VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव

भाग 1: 2023

DELHI JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD LUCKNOW CHANDIGARH GUWAHATI RANCHI ALLAHABAD BHOPAL

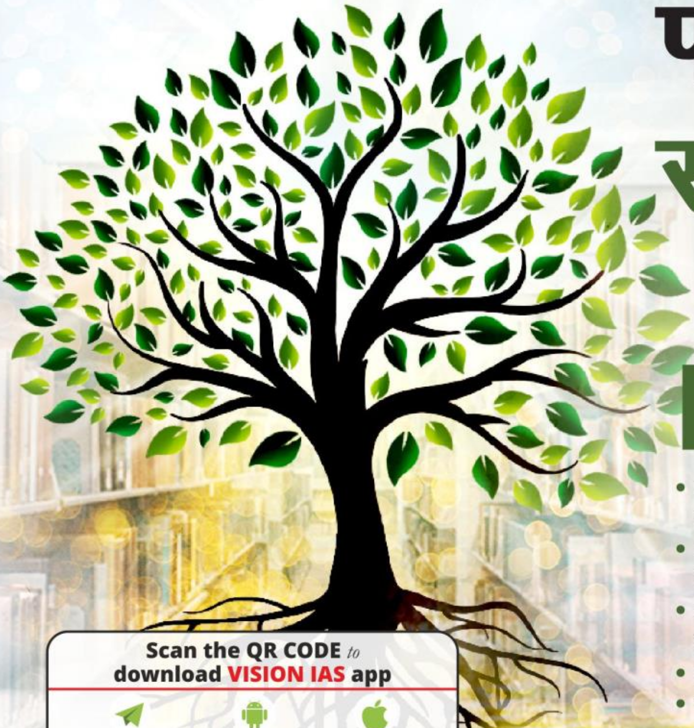

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा **2024**

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI		JAIPUR	LUCKNOW	BHOPAL
30 मई, 9 AM	15 मार्च, 1 PM	15 मई, 3 PM	7 जून, 9 AM	5 जुलाई

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

प्रारंभिक

✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

for **PRELIMS 2023**: 30 April — प्रारंभिक 2023 के लिए 30 अप्रैल

for **PRELIMS 2024**: 14 May — प्रारंभिक 2024 के लिए 14 मई

मुख्य

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for **MAINS 2023**: 4 June — मुख्य 2023 के लिए 4 जून

for **MAINS 2024**: 14 May — मुख्य 2024 के लिए 14 मई

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

PT 365: सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव भाग-1 (2023)

विषय-सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)......6

1.1. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF)......6

1.2. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)}......6

1.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)......7

1.4. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN)......9

1.5. प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana: PM-KMY)......9

1.6. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)......10

1.7. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम {National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)}......12

1.8. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture)......13

1.9. किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card: KCC)......14

1.10. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture: NMSA)......14

1.11. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)......16

2. आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush)......22

2.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन (National Ayush Mission: NAM)......22

2.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)......22

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)......24

3.1. औषध के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme for Pharmaceuticals)......24

3.2. बल्क ड्रग्स के लिए या महत्वपूर्ण मुख्य आरंभिक सामग्री (KSMs), औषधि मध्यवर्ती (DIs) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (PLI Scheme for Bulk Drugs or for Promotion of Domestic Manufacturing of Critical KSMs, DIs and APIs)......25

3.3. चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (PLI Scheme for Promotion of Domestic Manufacturing of Medical Devices)......26

3.4. औषध उद्योग को मजबूत बनाने हेतु योजना {Strengthening Pharmaceuticals Industry (SPI)}......26

3.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)......27

VISION IAS

4. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)......29

4.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना {UDE Desh Ka Aam Naagrik (UDAN)/Regional Connectivity Scheme (RCS)}......29

4.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)......30

5. कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal)......31

5.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)......31

6. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry)......33

6.1. भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive Scheme (PLI) For White Goods (Air Conditioners and Led Lights) Manufacturers in India}......33

6.2. स्टार्ट-अप इंडिया (Startup India)......34

6.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)......34

7. संचार मंत्रालय (Ministry of Communications)......39

7.1. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Promoting Telecom & Networking Products}......39

7.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)......39

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)......42

8.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {National Food Security Act (NFSA), 2013}......42

8.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)......43

9. सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation)......44

9.1. डेयरी सहकार योजना (Dairy Sahakar Scheme)......44

9.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)......44

10. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs)......46

10.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)......46

11. संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture)......47

11.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)......47

12. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)......49

12.1. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)......49

VISION IAS

12.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives) 49

13. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region)....... 51

13.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 51

14. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences)....... 53

14.1. वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण, प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (Atmosphere and Climate Research – Modelling, Observing Systems and Services: Across)....... 53

14.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives) 53

15. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)....... 55

15.1. समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना (Samagra Siksha- An Integrated Scheme for School Education)....... 55

15.2. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan: RUSA) 56

15.3. स्टडी इन इंडिया (Study in India) 57

15.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives) 57

16. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology: MeitY) 66

16.1. उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MeitY का स्टार्ट-अप एक्सलरेटर (समृद्ध) कार्यक्रम {Samridh (Start-up Accelerators of MeitY for Product Innovation, Development and Growth) Programme}....... 66

16.2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme) 67

16.3. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission: NSM)....... 68

16.4. सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019 (National Policy on Software Products, 2019)....... 69

16.5. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Large Scale Electronics Manufacturing}....... 70

16.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives) 70

17. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)....... 75

17.1. सिक्योर हिमालय (उच्च श्रेणी के हिमालयी पारितंत्र की आजीविका, संरक्षण, संधारणीय इस्तेमाल और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने संबंधी) परियोजना {Secure Himalaya (Securing Livelihoods, Conservation, Sustainable Use and Restoration of High Range Himalayan Ecosystem Himalaya) Project}....... 75

17.2. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan On Climate Change: NAPCC)....... 76

17.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives) 76

18. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) 80

18.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives) 80

© Vision IAS

19. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) 81

19.1. प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: PMVVY) 81

19.2. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand up India scheme) 81

19.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana: PMMY) 82

19.4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System: NPS) 83

19.5. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme: GMS) 85

19.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 85

20. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)......89

20.1. नीली क्रांति: समेकित मात्स्यिकी विकास और प्रबंधन (Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries)......89

20.2. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission: RGM) 90

20.3. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) {Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) Scheme}......91

20.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 92

21. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Food Processing Industries: MOFPI)......95

21.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना {PM Formalization Of Micro Food Processing Enterprises (PM- FME) Scheme} 95

21.2. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)......96

21.3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI)}......97

21.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 97

22. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare: MOHFW)......99

22.1. आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat)......99

22.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM) 100

22.3. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए अम्ब्रेल योजना (Umbrella scheme for Family Welfare and Other Health Interventions)......101

22.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 102

VISION IAS

नोट:

- पढ़ाई को आसान बनाने के लिए और अभ्यर्थियों को उनके समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए, हम पहले ही **"सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं"** डॉक्यूमेंट जारी कर चुके हैं, जिसमें उन सभी योजनाओं को शामिल किया गया है जो पिछले एक साल में सुर्ख़ियों में थीं।

- अब हम सरकारी योजनाओं पर एक व्यापक अध्ययन सामग्री जारी कर रहे हैं जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत संचालित की जा रही लगभग सभी योजनाओं को शामिल किया गया है।

यह अध्ययन सामग्री 2 भागों में जारी की जा रही है:
- **सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव) भाग 1)**: वर्तमान डॉक्यूमेंट।
- **सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव) भाग 2)**: इसे अतिशीघ्र जारी किया जाना है।

- विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/ कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

आसानी से रिवीजन करने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए **आइकॉन्स** जोड़े गए हैं, अर्थात्,

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना | केंद्र प्रायोजित योजना

अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)

1.1. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF)

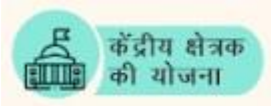

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD/नाबार्ड)।**
- **अवधि:** वर्ष 2032-33 तक।

अन्य उद्देश्य

फसल कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु **मध्यम या दीर्घकालिक ऋण/ वित्त** जुटाना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• इसे **कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 2020 में आरंभ किया गया** था। इसके लिए **1 लाख करोड़ रुपये** के कोष का प्रबंध किया गया है।
लाभार्थी	• किसान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), किसान उत्पादक संगठन (FPOs), स्वयं सहायता समूह (SHGs), राज्य एजेंसियां/ कृषि उपज विपणन समितियां (APMCs), आदि।
वित्तीय सहायता	• इसके तहत, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन (Post Harvest Management: PHM) परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी के रूप में **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
पात्र सामुदायिक संपत्ति परियोजना	• निर्यात क्लस्टरों सहित फसलों के क्लस्टरों के लिए **आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान** करने हेतु चिन्हित परियोजनाएं; • सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत **केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा** प्रोन्नत परियोजनाएं; • **जैविक आगतों का उत्पादन; बायो स्टिमुलैंट्स उत्पादन इकाइयां; स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए अवसंरचना।**

1.2. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)}

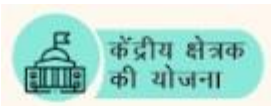

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य:** सदस्यों के लिए **इकोनॉमी ऑफ़ स्केल** और **बाजार पहुंच** में सुधार करना।
- **लाभार्थी: FPOs के सदस्यों की न्यूनतम संख्या** मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी (IAs):** 9 कार्यान्वयन एजेंसियां, FPOs का गठन करने में मदद करेंगी।

अन्य उद्देश्य

वर्ष 2027-28 तक **10,000 नए FPOs का गठन और संवर्धन** करना।

शब्दावली को जानें

- **FPO** एक सामान्य नाम है। FPOs में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियां (Farmer Producer Companies: FPCs) तथा साथ ही राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान सहकारी समितियां शामिल हैं।
- इनका गठन **कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के उत्पादन व विपणन** लागत में आनुपातिक रूप से बचत करने के माध्यम से **सामूहिक लाभ** के उद्देश्य से किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएं

इकोनॉमी ऑफ़ स्केल का लाभ उठाना	• FPO का गठन और संवर्धन **उपज क्लस्टर क्षेत्र दृष्टिकोण तथा विशेषीकृत जिंस आधारित दृष्टिकोण** पर आधारित है। • उत्पाद विशेषीकरण के विकास के लिए **"एक जिला एक उत्पाद"** पर ध्यान देना।
FPOs को वित्तीय सहायता	• FPOs को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO **18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। • 15 लाख रुपये प्रति FPO की सीमा के साथ FPO के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक के समतुल्य इक्विटी अनुदान सहायता का उल्लेख भी किया गया है। • FPOs की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्था से क्रेडिट गारंटी की सुविधा के साथ प्रति FPO 2 करोड़ रूपये के परियोजना ऋण का भी प्रावधान किया गया है।
FPOs को आरंभिक समर्थन प्रदान करना	• प्रत्येक FPO को संगठित करने, उसका पंजीकरण करने और **5 वर्ष की अवधि हेतु पेशेवर सहायता प्रदान करने** के उद्देश्य से **क्लस्टर-आधारित व्यावसाय संगठनों (Cluster-Based Business Organizations: CBBOs)** को संलग्न किया जाएगा।
कार्यान्वयन एजेंसियां (Implementing Agencies: IAs)	• इन्हें **लघु किसान कृषि-व्यापार संकाय** (SFAC), **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** और **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)**, **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड** (नेफेड/NAFED), उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन संघ लिमिटेड (NERAMAC), तमिलनाडु-SFAC, हरियाणा-SFAC, वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (WDD)- कर्नाटक तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ रूरल वैल्यू चेन्स (FDRVC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
संस्थागत ढांचा	• **राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी** (National Project Management Agency: NPMA) समग्र परियोजना मार्गदर्शन, समन्वय, FPOs से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य के लिए अधिदेशित है। • **जिला स्तरीय निगरानी समिति (D-MC):** जिले में योजना के कार्यान्वयन का समग्र समन्वय और निगरानी करेगी। यह जिला कलेक्टर/CEO/जिला परिषद की अध्यक्षता में होगी।
FPOs का प्रशिक्षण और कौशल विकास	• FPOs की क्षमता के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में चुने गए प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं: ○ **बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (BIRD)**, लखनऊ ○ **लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी** (LINAC), गुरुग्राम।

1.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

स्मरणीय तथ्य

केंद्र प्रायोजित योजना

- **प्रकार:** यह **एक केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **प्रकृति:** यह योजना कर्जदार किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी।
- **उद्देश्य: बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक** व्यापक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करना।

© Vision IAS

* **लाभार्थी: बटाईदारों / काश्तकार किसानों सहित सभी किसान।**

अन्य उद्देश्य

* अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित **किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर करना**
* **नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को अपनाना।**

प्रमुख विशेषताएं

सम्मिलित की गई फसल बीमा योजनाएं	• **निम्नलिखित योजनाओं को प्रतिस्थापित किया गया:** ○ **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और** ○ **संशोधित NAIS.** • **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)** अभी भी जारी है।
शामिल की गई फसलें और प्रीमियम का भुगतान	• **रबी और खरीफ के अंतर्गत आने वाली फसलें:** सभी अनाज, मिलेट्स, दालें और तिलहन। • प्रीमियम का भुगतान **बीमित राशि के प्रतिशत या बीमांकिक प्रीमियम दर (APR) के रूप में (जो भी कम हो)** किया जाता है। ○ **APR बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर है।** ○ **किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर:** **वाणिज्यिक/ बागवानी फसलें - बीमित राशि का 5%** | **खरीफ फसलें - बीमित राशि का 2.0%** | **रबी फसलें - बीमित राशि का 1.5%**
सरकार द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम	**सब्सिडी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी** • 90% - पूर्वोत्तर राज्यों के लिए • 50% - अन्य राज्यों के लिए • APR के प्रतिशत के रूप में केंद्र की हिस्सेदारी पर ऊपरी सीमा ○ वर्षा सिंचित क्षेत्रों/जिलों के लिए APR का 30% ○ सिंचित क्षेत्रों/ जिलों के लिए APR का 25%
फसलों की बीमित राशि	**MSP वाली फसलें:** राज्य / संघ राज्यक्षेत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय-मान या जिला स्तर मूल्य का चयन कर सकते हैं। **बिना MSP वाली फसलें: जिन फसलों के लिए MSP घोषित नहीं किया जाता है, उन फसलों हेतु फार्म गेट प्राइस (खेत पर) ही स्वीकार किया जाएगा।**
क्षेत्र दृष्टिकोण आधार	**क्षेत्र दृष्टिकोण अर्थात** 'बीमा इकाई (IU)' में सभी किसानों को समान जोखिमों का सामना करना पड़ता है **प्रमुख फसलों के लिए IU:** ग्राम/ग्राम पंचायत **अन्य फसलों के लिए IU:** ग्राम/ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर के आकार की कोई इकाई।
प्रौद्योगिकी	**स्मार्ट फोन** और **रिमोट सेंसिंग का उपयोग।**
जोखिम का कवरेज और अपवर्जन	**बुनियादी कवरेज (अनिवार्य):** सूखे, शुष्क मौसम, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक कीट प्रसार और रोग के हमले, भूस्खलन, वज्रपात के कारण प्राकृतिक **अतिरिक्त कवरेज (Add-On Coverage):** (राज्यों के विवेक पर) बुवाई / रोपण / अंकुरण जोखिम आदि के लिए कवरेज **सामान्य अपवर्जन (General Exclusions):** युद्ध और नाभिकीय जोखिमों, दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं अन्य निवारण करने योग्य जोखिमों से होने वाली हानियों को योजना में

	दहन, तूफान, ओलावृष्टि एवं चक्रवात जैसे गैर-निवार्य जोखिमों के कारण क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर उपज हानि (बुवाई से लेकर कटाई तक) को कवर करने का प्रावधान करती है।		सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
अन्य प्रावधान	• इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए **राज्यों को अपनी बीमा कंपनियां स्थापित करने** की अनुमति दी गई है। • **बीमा कंपनियों को कार्य का आवंटन 3 वर्षों के लिए किया जाएगा।** • **आधार नंबर अनिवार्य।**		

1.4. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN)

स्मरणीय तथ्य

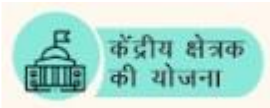

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य:** अलग-अलग कृषि आदानों (इनपुट्स) की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **लाभार्थी:** कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भूमि-धारक किसान।
- **अवधि :** इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष, प्रत्येक चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

अन्य उद्देश्य

सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना।

परिवार की परिभाषा	• पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे।
किसान परिवार जिन्हें योजना से बाहर रखा गया है	• **सभी संस्थागत भूमि धारक।** • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक। • शासन के तीनों स्तरों पर पूर्व और वर्तमान विधि निर्माता। • पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति। • डॉक्टर, इंजीनियर जैसे **पेशेवर।** • **सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी।** — • मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी/ ग्रुप-डी के कर्मचारियों को छोड़कर। • पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है।
भूमि अभिलेख की आवश्यकता और अपवाद	• इसका लाभ **उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा, जिनके नाम भू-अभिलेखों में दर्ज हैं।** • **अपवाद:** वन निवासी तथा पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड, जहां भूमि अभिलेखों के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। • **लाभार्थी की पहचान: राज्य/संघ शासित प्रदेश** सरकार द्वारा की जाती है।
स्व-पंजीकरण तंत्र	• **मोबाइल ऐप, पी.एम. किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के जरिये वॉक-इन** के माध्यम से।
ऋण	• **सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) दिए जाएंगे।** • **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज** के साथ फसल और पशु/ मछली पालन के लिए ऋण दिया जाता है।

1.5. प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana: PM-KMY)

स्मरणीय तथ्य

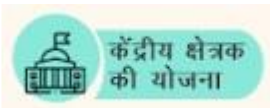

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य: लघु और सीमांत किसानों (SMF)** की वृद्धावस्था में सुरक्षा करना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

© Vision IAS

- **अपेक्षित लाभार्थी:** 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान (SMF) जो 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामी हैं।
- **पेंशन निधि प्रबंधक:** जीवन बीमा निगम (LIC)

अन्य उद्देश्य

इसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषकों को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की निरंतर हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है।

प्रमुख विशेषताएं

अपवर्जन/ कौन योजना के लिए अपात्र होगा	• **सभी संस्थागत भूमि धारक।** • **संवैधानिक पदों के** पूर्व और वर्तमान **धारक।** • पूर्व और वर्तमान **मंत्री/राज्य मंत्री और लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद** के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर तथा जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। • अंतिम मूल्यांकन वर्ष में **आयकर भरने वाले** सभी व्यक्ति। • **पेशेवर** जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि। • मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के **सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी।** • राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) जैसी किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल लघु व सीमांत किसान।
लाभ	• **आश्वासित पेंशन: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन।**
स्वैच्छिक और अंशदायी	**मासिक अंशदान:** योजना में **प्रवेश की आयु के आधार पर 55 से 200 रुपये के बीच** पेंशन निधि में अंशदान करना होगा। **समान/बराबर अंशदान:** **केंद्र सरकार** अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर ही योगदान करेगी।
पारिवारिक पेंशन	• **किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में,** मृतक का/की पति/पत्नी को पेंशन की 50 प्रतिशत राशि का पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा।
दिव्यांगता के लिए प्रावधान	यदि अंशदान करने वाला 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दिव्यांग हो जाता है। • **पति या पत्नी** बाद में **इस योजना को जारी रखने** का/की **हकदार होगा/होगी।** • **पति या पत्नी** बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज **(जो भी अधिक हो)** के साथ अंशदाता के अंशदान के हिस्से के साथ योजना से **बाहर निकल सकता/ सकती है।**
बाहर निकलने के प्रावधान	**समय से पूर्व निकास:** • **योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष के भीतर बाहर निकलना:** अंशदाता को बचत बैंक ब्याज दर के साथ अंशदान का हिस्सा मिलेगा। • **शामिल होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद, लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने पर:** अंशदाता को बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज **(जो भी अधिक हो) के साथ अंशदान का हिस्सा मिलेगा।**

1.6. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)

स्मरणीय तथ्य

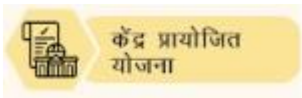

- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **उद्देश्य:** खेत स्तर पर जल की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।

- **समर्पित कोष:** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तत्वावधान में समर्पित एक दीर्घकालीन सिंचाई निधि (LTIF) और सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF)।
- **निगरानी:** केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय।

अन्य उद्देश्य

- सिंचाई के कवरेज का विस्तार **'हर खेत को पानी'** और
- केंद्रित तरीके से **'प्रति बूंद अधिक फसल'** जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।

शब्दावली को जानें

- जल बजट एक **जल प्रबंधन उपाय** है। इसका उपयोग एक भू-परिदृश्य या भू-खंड के लिए आवश्यक जल की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु किया जाता है।
- PMKSY में परिवार, कृषि और उद्योगों जैसे **सभी क्षेत्रकों के लिए जल बजट तैयार** किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएं

अंतर-मंत्रालयी योजना	**कृषि मंत्रालय:** प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) **जल शक्ति मंत्रालय:** • त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) का **खेत स्तर पर जल प्रबंधन (OFWM)** घटक • **हर खेत को पानी (HKKP)** **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD):** **एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)**
समर्पित सिंचाई कोष	**दो प्रकार के कोष** **दीर्घकालीन सिंचाई कोष (LTIF):** यह अपूर्ण, प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्त-पोषण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करने में मदद करेगा। **सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF):** राज्यों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।
निगरानी	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली व सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर गठित एक अंतर-मंत्रालयी **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)** द्वारा इसका निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु **नीति आयोग के उपाध्यक्ष** की अध्यक्षता में एक **राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC)** का गठन किया जाएगा।
4 घटक	
1. प्रति बूंद अधिक फसल	• प्रभावी जल परिवहन तथा परिशुद्ध जल अनुप्रयोग उपकरणों जैसे कि पिवोट, रेनगन (जल सिंचन), ड्रिप्स, स्प्रिंकलर को बढ़ावा देना। • **राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप -** सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों, खेत पर कृषि जल प्रबंधन, फसल संरेखण आदि और योजना की गहन निगरानी करना।
2. खेत स्तर पर जल प्रबंधन (On Farm Water Management: OFWM)	• AIBP को वर्ष 1996-97 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करना था, जो राज्यों की संसाधन क्षमताओं से परे हैं या जो पूर्णता के अंतिम चरण में हैं। • साथ ही, भारत में **प्रमुख (या बड़ी) / मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता** प्रदान करना है।
3. हर खेत को पानी	लघु सिंचाई (सतही व भूमिगत जल दोनों) द्वारा नए जल स्रोतों का निर्माण। **परंपरागत स्रोतों की वहन क्षमता का सुदृढ़ीकरण, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण** कमान क्षेत्र विकास।

© Vision IAS

4. एकीकृत जल संभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme: IWMP)	• अपवाहित जल का प्रभावी प्रबंधन और मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण गतिविधियों का उन्नयन। • **तीन घटक:** ○ सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) ○ मरुभूमि विकास कार्यक्रम (DDP) ○ एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP) • **मनरेगा के साथ अभिसरण (जोड़ना)।**

1.7. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम {National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)}

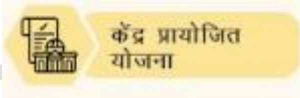

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **उद्देश्य:** खाद्य तेलों पर **आयात बोझ को कम** करना।
- **विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र:** पूर्वोत्तर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।
- **अवधि: वर्ष 2025-26 तक।**

अन्य उद्देश्य:

पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना।

- ऑयल पाम **पश्चिम अफ्रीका से उत्पन्न** हुआ है। यह तुलनात्मक रूप से भारत में एक नई फसल है। इसकी **प्रति हेक्टेयर उच्चतम वनस्पति तेल उपज क्षमता** है।
- यह दो अलग-अलग तेलों अर्थात **ताड़ के तेल और ताड़ की गिरी के तेल** का उत्पादन करता है। इन तेलों का उपयोग **खाद्य के साथ-साथ औद्योगिक उद्देश्यों** के लिए भी किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएं

सम्मिलित की गई योजना	• **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पाम ऑयल कार्यक्रम।**
लक्ष्य	• **2025-26 तक:**
	पाम ऑयल का क्षेत्रफल बढ़ाना: 10 लाख हेक्टेयर तक (अतिरिक्त 6.50 लाख हेक्टेयर जोड़ना- जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर शामिल है।)
	क्रूड पाम ऑयल के उत्पादन में बढ़ोतरी: 11.20 लाख टन तक।
	उपभोक्ता की जागरूकता में वृद्धि: 19.00 किग्रा/व्यक्ति/वर्ष का **उपभोग स्तर** बनाए रखना।
अग्रलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है	**रोपण सामग्री** ; **इंटरक्रॉपिंग (अंतर-फसलन)** के लिए इनपुट ; बीज उद्यानों, पौधशालाओं आदि की स्थापना ; **बोरवेल/पंप सेट/जल संचयन संरचनाओं** की स्थापना
कुशल जल प्रबंधन	• ऑयल पाम में **सूक्ष्म सिंचाई** और **जल संरक्षण** को बढ़ावा देना।
खेती के लिए क्षेत्र	• **ICAR- भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान (IIOPR)** ने ऑयल पाम की खेती के लिए लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षमता का आकलन किया है। • **आंध्र प्रदेश प्रमुख ऑयल पाम उत्पादक राज्य है।** इसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि का स्थान है। छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदि राज्यों में संभावित जिलों की पहचान की गई है।

1.8. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture)

स्मरणीय तथ्य

केंद्र प्रायोजित योजना

- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **उद्देश्य:** देश में बागवानी का समग्र विकास करना।
- **सहायता:** प्रमुख हस्तक्षेपों/ उपायों के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- **कवरेज:** इसमें सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश कवर किए गए हैं।

अन्य उद्देश्य:

बागवानी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, किसानों के समूहन (Aggregation) को प्रोत्साहित करना और उनके कौशल विकास का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं

कवर की गई फसलें	**फल** | **सब्जियां** | **कंद मूल वाली फसलें** | **मशरूम** | **मसाले** | **पुष्प** **सुगंधित पौधे** | **नारियल** | **काजू** | **कोको** | **बांस**
वित्त-पोषण साझेदारी	भारत सरकार 60% | राज्य सरकारें 40% — **पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर सभी राज्य** भारत सरकार 90% | राज्य सरकारें 10% — **पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्य** • राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB), नारियल विकास बोर्ड (CDB), केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH), नागालैंड और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों (NLAs) के मामले में केंद्र 100% योगदान करेगा।
राज्यों को सहायता	नर्सरी, ऊतक संवर्धन इकाइयों की स्थापना | जैविक कृषि और प्रमाणन | जल संभर प्रबंधन | मधुमक्खी पालन | किसानों का प्रशिक्षण | नए बागों और उद्यानों की स्थापना | अनुत्पादक बागों का कायाकल्प | विपणन व अवसंरचना
उप-योजनाएं	
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)	क्षेत्र आधारित व स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH)	यह एक तकनीकी मिशन है, जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, जैविक कृषि, कुशल जल प्रबंधन इत्यादि पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)	बोर्ड द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।
नारियल विकास बोर्ड {Coconut Development Board (CDB)}	नारियल विकास बोर्ड द्वारा देश के सभी नारियल उत्पादक राज्यों में MIDH के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।
केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH), नागालैंड	इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और क्षेत्रीय अधिकारियों की क्षमता के निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
MIDH के अधीन अन्य पहलें	
चमन (CHAMAN)	• प्रमुख राज्यों (12 राज्यों, 185 जिलों) के चयनित जिलों में **7 प्रमुख बागवानी फसलों** का क्षेत्र मूल्यांकन और

(जियोइंफॉर्मेटिक्स का उपयोग करके समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन)	उत्पादन पूर्वानुमान। • **प्रमुख फसलें:** आम, केला, चकोतरा, आलू, प्याज, मिर्च और टमाटर • कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग डेटा** का उपयोग।

हॉर्टनेट (HORTNET)	• **हॉर्टनेट** परियोजना MIDH के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वेब सक्षम कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है।
	• **लक्ष्य:** इसे **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित** किया गया है। साथ ही, इसके अंतर्गत कार्यप्रवाह की सभी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है,
	  ○ यथा- ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण, प्रमाणीकरण, तथा
	  ○ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान आदि।

1.9. किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card: KCC)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** खेती के अलग-अलग चरणों में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), लघु वित्त बैंक और सहकारी समितियां इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।
- **लाभार्थी:** सभी किसान- व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ता जिनके पास भू-स्वामित्व है; काश्तकार किसान, अलिखित पट्टेदार और बटाईदार आदि।
- **संबद्ध क्षेत्र कवरेज:** पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित क्षेत्रक।

अन्य उद्देश्य

- फसलों की **कृषि और फसल कटाई के बाद के व्यय के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं** को पूरा करना;
- किसान परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करना;
- कृषि संपत्ति और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के अनुरक्षण के लिए **कार्यशील पूंजी** उपलब्ध करवाना आदि।

प्रमुख विशेषताएं

अल्पकालिक ऋण	1.6 लाख रुपये तक का जमानत (संपार्श्विक) रहित ऋण	कोई प्रक्रियागत शुल्क नहीं	तीन लाख रुपये तक के तात्कालिक उधारकर्ताओं के लिए तीन प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान।	ऋण का प्रीमियम: बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा वहन (क्रमशः 2:1 के अनुपात में)।
दीर्घकालीन ऋण	• **दीर्घावधि ऋण सीमा अंश:** कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता के लिए।			
जोखिम कवरेज	• KCC धारक को बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता।			
अन्य सुविधाएं	सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को KCC प्रदान किए जाएंगे	ए.टी.एम. सक्षम रुपे कार्ड	सीमा के भीतर अनगिनत बार आहरण	एक बार में संपूर्ण दस्तावेजीकरण

1.10. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture: NMSA)

स्मरणीय तथ्य

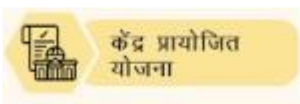

- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)।
- **लक्ष्य: बदलती जलवायु के प्रति भारतीय कृषि को अधिक आघात सहनीय बनाने** के लिए रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना।
- **उप-योजना:** यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत निर्धारित आठ मिशनों में से एक है।

- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** मिशन की प्रभावी निगरानी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य:

फसलों और पशुपालन दोनों गतिविधियों में उपयुक्त अनुकूलन और शमन उपायों के माध्यम से भारतीय कृषि को जलवायु लोचशील बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

सुभेद्य लोगों के लिए विशेष प्रावधान	**लघु व सीमांत किसानों के लिए:** आवंटन का **कम-से-कम 50 प्रतिशत।** इसमें से **महिलाओं के लिए कम-से-कम 30 प्रतिशत।** **SC जनसंख्या:** जिले में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में **आवंटन का 16 प्रतिशत।** इसका **विशेष घटक योजना (SCP)** के लिए उपयोग किया जाएगा। **ST जनसंख्या:** जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में आवंटन का **8 प्रतिशत।** इसका **जनजातीय उप योजना (TSP)** के लिए उपयोग किया जाएगा।
घटक	**वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (RAD):** मल्टी क्रॉपिंग, रोटेशनल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग आदि पर बल देने के साथ **एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा** देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। **खेत स्तर पर जल प्रबंधन (OFWM):** अब इसे **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)** के तहत शामिल किया गया है। **मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM):** इसका उद्देश्य **अवस्थिति के साथ-साथ फसल विशिष्ट सतत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन** को बढ़ावा देना तथा मृदा की उर्वरता का मानचित्र बनाना और उसे लिंक करना है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC)	• **उद्देश्य:** उर्वरक उपयोग में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए **सभी किसानों हेतु प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड** जारी करना। • SHC में **12 पैरामीटर** होते हैं, **प्रमुख (मैक्रो) पोषक तत्व:** N, P, K **गौण - पोषक तत्व:** S **सूक्ष्म पोषक तत्व:** Zn, Fe, Cu, Mn, Bo **भौतिक मानदंड:** pH, EC (इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी), OC (ऑर्गेनिक कार्बन)
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)	• यह मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) के उप-घटकों में शामिल है। • **उद्देश्य: जैविक खेती को समर्थन और बढ़ावा देना,** जिसके परिणामस्वरूप मृदा के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। **वित्तीय सहायता:** जैव उर्वरक, जैविक खाद आदि के लिए **50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर / 3 वर्ष** के लिए वित्तीय सहायता। • **जैविक प्रमाणन** के रूप में **भारत के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) (PGS-इंडिया) को बढ़ावा देती है।** • PGS-इंडिया उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित **हितधारकों की भागीदारी** पर जोर देती है। साथ ही, **तीसरे पक्ष के प्रमाणन के दायरे से बाहर कार्य** करती है।
कृषि वानिकी पर उप मिशन (Sub Mission on Agroforestry: SMAF)	• **उद्देश्य:** स्थानीय कृषि-जलवायु स्थिति के अनुकूल **वृक्षारोपण के तहत कवरेज का विस्तार करना।** • **कृषि भूमि पर वृक्ष उगाने तथा परिधीय और सीमावर्ती वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करता है।**

© Vision IAS

पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (RNBM) केंद्र प्रायोजित योजना	• **प्रकार:** यह **केंद्र प्रायोजित योजना** है। • **पृष्ठभूमि:** इसे 2006 में शुरू किया गया था। इसे आयात को कम करने तथा आजीविका और व्यावसायिक अवसरों में सुधार के लिए **2018-19** में पुनर्गठित किया गया था • **विधायी परिवर्तन** ○ वर्ष 2018 में भारतीय वन अधिनियम, 1927 में एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत **जंगल के बाहर उगाए जाने वाले बांस को वृक्ष की परिभाषा से हटा** दिया गया था। ○ निजी या घरेलू भूमि पर उगाए जाने वाले किसी भी बांस के लिए **अब किसी राज्य वन विभाग से काटने की अनुमति या पारगमन अनुमति की आवश्यकता नहीं है।** • **RNBM के घटक** ○ **उत्पाद विकास** ○ **मूल्य संवर्धन** ○ **कौशल और अनुसंधान एवं विकास** ○ **विपणन**

1.11. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)	केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- eNAM, **एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल** है। यह **कृषि जिंसों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण हेतु मौजूदा APMC मंडियों का एक नेटवर्क** बना रहा है।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **वित्त-पोषण का स्रोत:** एग्री-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AITF)

POP डैशबोर्ड					
व्यापार	परख	परिवहन	भंडारण	वित्तीय प्रौद्योगिकी	कृषि सलाहकार
बाजार की जानकारी	संस्थागत खरीदार	छंटाई और श्रेणी निर्धारण	कृषि इनपुट	अन्य	

- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी: लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC), eNAM की क्रियान्वयन एजेंसी है।**
- **प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (POP):**
  - **अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म्स का एकीकरण (इन्फोग्राफिक्स देखें)।**
  - **किसानों को अपने राज्य की सीमाओं के बाहर उपज बेचने** की सुविधा प्रदान करता है।
  - यह **e-NWR (नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट) के माध्यम से व्यापार को सुगम** बनाता है।

कृषि विपणन योजनाओं के लिए एकीकृत योजना (AGMARKNET/एगमार्कनेट) पोर्टल	केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य:** बागवानी और संबद्ध क्षेत्रकों सहित कृषि क्षेत्रक के विपणन योग्य अधिशेष के प्रभावी प्रबंधन के लिए कृषि विपणन बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- यह एक **सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए एक G2C (सरकार से नागरिक) ई-गवर्नेंस पोर्टल** है।
- यह देश भर के कृषि उपज बाजारों में दैनिक आमद और वस्तुओं की कीमतों के बारे में वेब-आधारित सूचना प्रवाह को सुगम बनाती है।
- इसमें दो कार्यान्वयन एजेंसियों के तहत **5 घटक** शामिल हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

विपणन और निरीक्षण निदेशालय या DMI (मंत्रालय का एक प्रभाग)	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ या SFAC (एक स्वायत्त संगठन)
• कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (ISAM) की नई कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) उप-योजना • विपणन सूचना नेटवर्क (MRIN) • एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं को मजबूत बनाना (SAGF)	• उद्यम पूंजी सहायता (VCA) और परियोजना विकास सुविधा (PDF) के माध्यम से कृषि-व्यवसाय विकास (ABD) • चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)

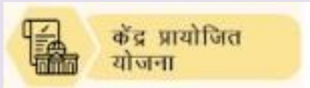

- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **उद्देश्य:** प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए **नई संस्थागत व्यवस्थाओं** के माध्यम से **विस्तार प्रणाली को किसान आधारित और किसानों के प्रति जवाबदेह** बनाना।
- इसे **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) के तहत प्रारंभ** किया गया है।
- **इसमें उचित रूप से निम्नलिखित शामिल हैं-**
  - **सूचना प्रसार के लिए व्यापक भौतिक पहुंच और प्रसार के इंटरैक्टिव तरीके,** ICT का उपयोग, मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए संस्थान को मजबूत करना, तथा
  - किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन के लिए **किसानों को हित समूहों (FIGs) में एकजुट करने के प्रयास करना।**

मुख्य घटक			
कृषि विस्तार पर उप मिशन (SMAE)	**कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)**	**बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन (SMSP)**	**पौध संरक्षण और पौध संगरोध पर उप मिशन (SMPP)**
यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में **जागरूकता निर्माण** तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है।	इसमें **'कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs)' और 'हाई-वैल्यू मशीनों के हाई-टेक हब'** की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	यह बीज ग्राम कार्यक्रम, बीज प्रसंस्करण-सह-बीज भंडारण गोदामों, राष्ट्रीय बीज रिज़र्व आदि की स्थापना के माध्यम से किसानों के लिए **गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करेगा।**	यह **जैव-सुरक्षा को विदेशी प्रजातियों के हमले और उसके प्रसार से बचाने के लिए** विनियामक, निगरानी तथा क्षमता निर्माण से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगा।

फार्म्स-ऐप (फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस-ऐप)

- **उद्देश्य:** इस ऐप के माध्यम से किसानों की व्यक्तिगत रूप से मदद की जाएगी। वे इस ऐप से **कृषि मशीनरी और उपकरण किराए पर ले सकेंगे तथा साथ ही, वे पुरानी कृषि मशीनरी को बेच एवं खरीद भी सकेंगे।**

प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)

- **उद्देश्य: किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना।**
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास पूरे राज्य के लिए एक खरीद सीजन में **मूल्य समर्थन योजना (PSS) या मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) को लागू करने का विकल्प** है। वे इन्हें **विशेष रूप से अधिसूचित तिलहन की फसलों के संबंध में लागू** कर सकते हैं।

मुख्य घटक

मूल्य समर्थन योजना (PSS) इस योजना के तहत **केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन और खोपरा (नारियल गिरी) की भौतिक खरीद** की जाती है। इस खरीद का व्यय और खरीद के कारण होने वाले नुकसान का वहन **केंद्र सरकार** करती है।
मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) इस योजना में उन **सभी तिलहनी फसलों को कवर किया जाता है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) अधिसूचित** किया गया है। इस प्रकार किसानों को **MSP और बिक्री मूल्य में अंतर का सीधा भुगतान** किया जाता है।

© Vision IAS

प्रायोगिक निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (PPPS)
खरीद परिचालनों में निजी क्षेत्रक की प्रायोगिक आधार पर भागीदारी की जाएगी। तिलहनों के मामले में राज्यों के लिए प्रायोगिक आधार पर PPPS आरंभ करने का विकल्प होगा।

जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (National Innovations on Climate Resilient Agriculture: NICRA)

- इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** ने प्रारंभ किया था।
- **उद्देश्य:** रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु संबंधी सुभेद्यता के प्रति **भारतीय कृषि को लोचशील** बनाना।

चार घटक			
रणनीतिक अनुसंधान	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	क्षमता निर्माण	प्रायोजित/प्रतिस्पर्धी अनुदान

कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना (Attracting and Retaining of Youth in Agriculture: ARYA)

- **उद्देश्य:** विविध कृषि, संबद्ध और सेवा क्षेत्रक उद्यमों की शुरुआत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आकर्षित व सशक्त करना। इस प्रकार वे चयनित जिलों में सतत आय और लाभकारी रोजगार अर्जित कर सकेंगे।
- इसका कार्यान्वयन **प्रत्येक राज्य के एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र** कर रहा है।
- इसके **प्रौद्योगिकी भागीदार** कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थान हैं।
- प्रत्येक जिले में, **200-300 ग्रामीण युवाओं की उद्यमशीलता गतिविधियों में उनके कौशल विकास** और संबंधित सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए पहचान की जाती है।

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) ज्ञान नेटवर्क

- यह **राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) का एक अभिन्न अंग है।**
- **उद्देश्य:** कृषि और संबद्ध उद्यमों में **स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल्स का आकलन** करना।
- **वित्त-पोषण: केंद्र सरकार 100 प्रतिशत** वित्त-पोषण करेगी।
- **KVKs निम्नलिखित के लिए स्वीकृत हैं-**
  - कृषि विश्वविद्यालय,
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थान,
  - संबंधित सरकारी विभाग और
  - कृषि में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (NGOs)।
- **KVKs द्वारा की जाने वाली गतिविधियां**
  - कृषि प्रौद्योगिकियों का **खेत स्तर पर परीक्षण**
  - सूचना व संचार तकनीक और अन्य मीडिया माध्यमों का उपयोग करके **कृषि सलाह प्रदान करना**
  - **अग्रिम पंक्ति** के तकनीकी प्रदर्शन
  - कृषि प्रौद्योगिकियों के **संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य** करना
  - विस्तार कर्मियों और किसानों की **क्षमता का निर्माण करना**

राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (NAHEP)

- **उद्देश्य:**
  - **बुनियादी ढांचे, संकाय (faculty) और छात्र उन्नति के समर्थन** के लिए संसाधन एवं तंत्र विकसित करना, तथा
  - **कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर गवर्नेंस और प्रबंधन** के लिए साधन उपलब्ध कराना।

- **बाहरी समर्थन:** इस परियोजना के लिए **विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में लागत साझाकरण** किया जाएगा।
- इस परियोजना को **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के शिक्षा प्रभाग** में लागू किया गया है।

NAHEP: मुख्य घटक

घटक 1	कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करना
घटक 2	कृषि उच्चतर शिक्षा में नेतृत्व के लिए ICAR में निवेश करना
घटक 3	परियोजना प्रबंधन और अधिगम (Learning)

फार्मर फर्स्ट/FIRST (खेत, नवाचार, संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी)

- इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने शुरू** किया है।
- **उद्देश्य:** प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए **किसान-वैज्ञानिक इंटरफ़ेस को बढ़ाना।**
- नवाचार, प्रौद्योगिकी, फीडबैक, बहु-हितधारकों की भागीदारी, बहु-पद्धति दृष्टिकोण और आजीविका हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना।

एग्री उड़ान

- इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी (ICAR-NAARM) और भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद (IIM-A) के इनक्यूबेटर केंद्रों** द्वारा प्रारंभ किया गया है।
- **उद्देश्य:** यह कार्यक्रम सख्त निगरानी, उद्योग नेटवर्किंग और निवेशकों को आकर्षित कर खाद्य व कृषि-व्यवसाय स्टार्ट-अप्स को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। सरकार अब कृषि में स्नातकों को स्टार्ट-अप प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है।

मेरा गांव मेरा गौरव

- **उद्देश्य:** इसके माध्यम से **लैब टू लैंड प्रक्रिया में तेजी लाने** के लिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसके लिए **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने पंद्रह गांवों** की **पहचान** की है।
- चयनित गांवों के किसानों को एक निश्चित समय सीमा में **तकनीकी एवं अन्य संबंधित पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध** करायी जाएगी।

एग्री-मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AMIF)

- इसे **2000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष** के साथ लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:** यह कोष **22000 ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs) और 585 कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs)** में कृषि विपणन अवसंरचना का विकास और उन्नयन करेगा।
  - इन **GrAMs** में, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके **भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत** किया जाएगा।
  - **GrAMs को ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार** से जोड़ा जाएगा। साथ ही, उन्हें **APMC विनियमों से छूट** प्रदान की जाएगी।
  - GrAMs से यह उम्मीद की जा रही है कि ये **किसानों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के माध्यम से उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को सीधे बिक्री करने** की सुविधा प्रदान करेंगे।
- **मांग आधारित योजना:** इसके तहत निधि का राज्यवार और वर्षवार आवंटन नहीं होता है।
- राज्य भी **हब एंड स्पोक मोड और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड** सहित नवोन्मेषी एकीकृत बाजार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए AMIF का उपयोग कर सकते हैं।

ई-कृषि संवाद

- **उद्देश्य:** यह एक **ऑनलाइन इंटरफेस** प्रदान करेगा। इसके माध्यम से किसान और अन्य **हितधारक सीधे ICAR से संपर्क** कर सकते हैं। इस प्रकार वे ICAR के समक्ष अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
- किसान विशेषज्ञों से तुरंत निदान और उपचारात्मक उपायों को प्राप्त करने के लिए **रोगग्रस्त फसलों, जानवरों या मछलियों की तस्वीरें भी अपलोड** कर सकते हैं।
- विशेषज्ञों द्वारा **उचित समाधान SMS या वेब के माध्यम से** प्रदान किया जाएगा।

ई-राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी (e-RAKAM)

- यह **MSTC लिमिटेड और सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी** की ओर से एक संयुक्त पहल है। **MSTC लिमिटेड** इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक

© Vision IAS

नियंत्रण के तहत एक **मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (PSU) है।**

- **उद्देश्य:** यह किसानों को उपज का **उचित मूल्य** दिलाने के लिए एक **नीलामी मंच** प्रदान करता है। इस प्रकार बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- इसके माध्यम से **किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान** किया जाता है।

हॉर्टिनेट-किसान कनेक्ट ऐप

- **यह खोज करने में सक्षम एक एकीकृत प्रणाली है।**
- इसे **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने विकसित** किया है।
- **उद्देश्य:** यह मानकों के अनुपालन के साथ भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर, अनार और सब्जियों के फार्म्स के पंजीकरण, परीक्षण व प्रमाणन की सुविधा हेतु इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करता है।

मेघदूत ऐप

- इसे **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से कृषि मंत्रालय** ने लॉन्च किया है।
- **इसे निम्नलिखित संस्थानों ने विकसित किया है:**
  - भारत मौसम विज्ञान विभाग;
  - भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान; तथा
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
- **उद्देश्य:** यह किसानों को **स्थानीय भाषाओं में अवस्थिति, फसल और पशुधन-विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह** प्रदान करता है।
- प्रदान की गई जानकारी **वास्तविक समय पर आधारित नहीं होती है,** लेकिन इसे **सप्ताह में दो बार अपडेट** किया जाता है।

एकीकृत पैकेज बीमा योजना (Unified Package Insurance Scheme: UPIS)

- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य **कृषि क्षेत्र से जुड़े नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा** प्रदान करना है।
- यह **किसानों को वित्तीय जोखिमों से बचाने में सहायता** प्रदान करेगा। इसके अलावा **खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्रक की वृद्धि व प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित** करेगा।
- इसे **2016 के खरीफ सीजन से प्रायोगिक आधार पर चयनित 45 जिलों में लागू** किया गया है।
- इसमें कुल **7 सेक्शन** हैं। जिनमें से **सेक्शन 1 (प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना: PMFBY)** अनिवार्य है।
- हालांकि, किसानों को **PMFBY सेक्शन के तहत लागू सब्सिडी का लाभ प्राप्त** करने के लिए **शेष 6 में से कम-से-कम 2 अन्य सेक्शन** का चयन करना होगा।

सेक्शन 1: फसल बीमा (प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)		सेक्शन 2: व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना: PMSBY के अनुसार कवरेज)
सेक्शन 3: जीवन बीमा (प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: PMJJBY के अनुसार कवरेज)	UPIS	सेक्शन 4: भवन और सामग्री बीमा (अग्नि और संबद्ध संकट)
सेक्शन 5: कृषि पंपसेट बीमा (10 हार्स पावर तक)		सेक्शन 6: छात्र सुरक्षा बीमा

पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना (PDDUUKSY)

- **उद्देश्य:** पर्यावरणीय जीविका और मृदा स्वास्थ्य के लिए **जैविक खेती, प्राकृतिक खेती तथा गाय आधारित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन** विकसित करना।
- इसके तहत जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और अन्य संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में **किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित** किए जाते हैं।

केंद्रीकृत फार्म मशीनरी प्रदर्शन परीक्षण पोर्टल

- **उद्देश्य:** यह पोर्टल विनिर्माताओं को **कृषि मशीनरी प्रदर्शन परीक्षण संस्थानों में सुधार** करने में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही, **मशीनों के परीक्षण व मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद** भी करेगा।
- विनिर्माताओं को निर्बाध रीति से **उनकी मशीनों के प्रदर्शन परीक्षण के लिए आवेदन करने, संचार करने और परीक्षण की प्रगति की निगरानी करने** में सुविधा प्रदान करता है।

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम	केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य:** इस कार्यक्रम के माध्यम से **लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20 प्रतिशत तक सुधार** करना है। साथ ही, क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें **क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड** बनाना है।
- इसकी **कार्यान्वयन एजेंसी** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) है।

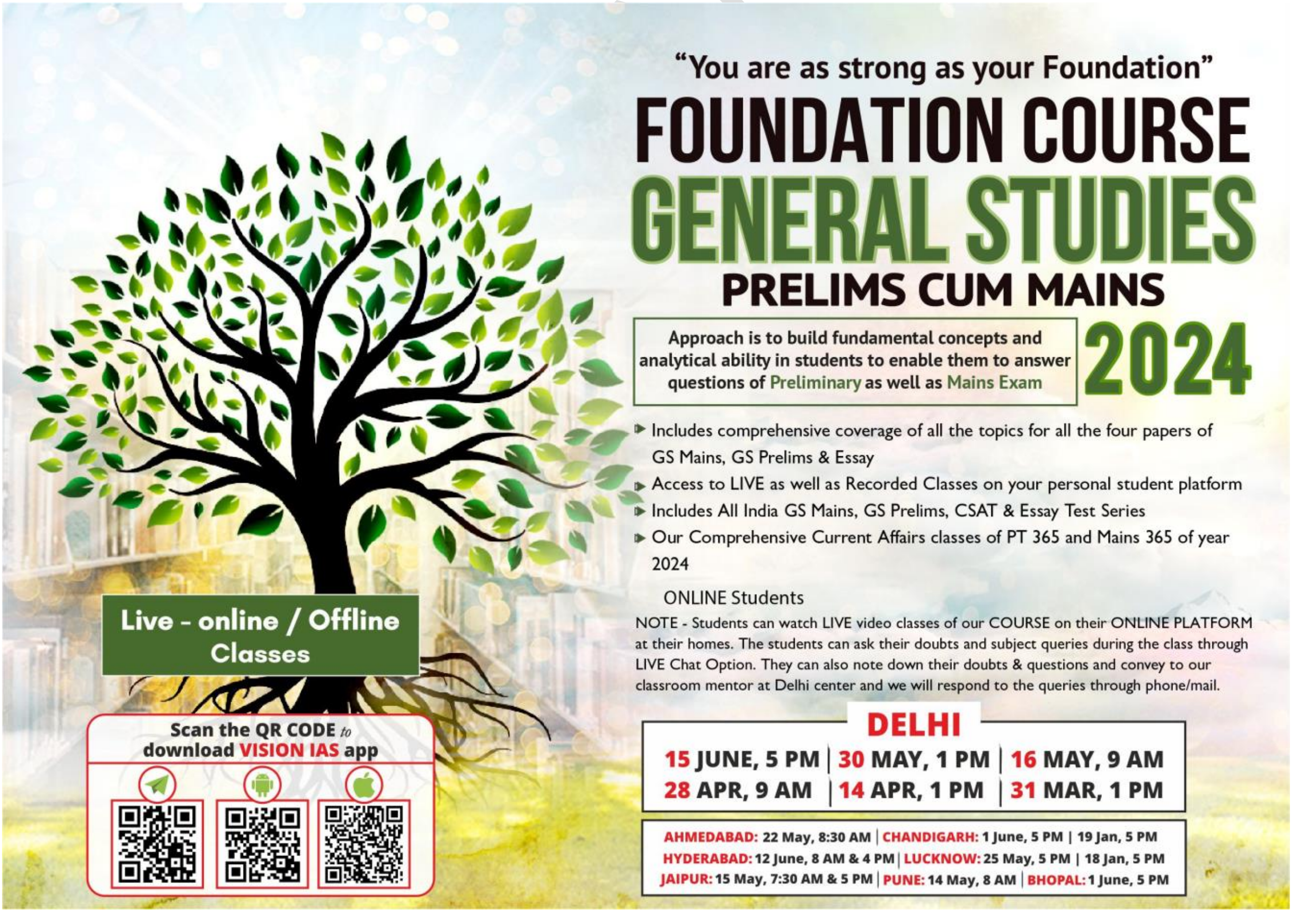

© Vision IAS

2. आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush)

2.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन (National Ayush Mission: NAM)

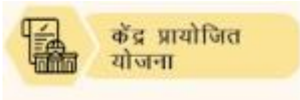

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य रोग के बोझ को कम करने के लिए **समग्र कल्याण और "सेल्फ-केयर" को बढ़ावा** देना है।
- **आयुष (AYUSH): आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा तथा होम्योपैथी।**
- **अवधि:** वर्ष 2026 तक।

अन्य उद्देश्य:

- लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना और औषधीय पादपों की कृषि को समर्थन प्रदान करना।
- कलस्टरों की स्थापना तथा उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास करना।

प्रमुख विशेषताएं

लागत प्रभावी आयुष सेवाएं	• आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से सार्वभौमिक पहुंच • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
2 घटक	**अनिवार्य घटक (रिसोर्स पूल का 80%)** • आयुष सेवाएं {आयुष सुविधाओं की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) के साथ सह-स्थापना}। • आयुष शैक्षणिक संस्थान। • आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (ASU&H) औषधियों एवं औषधीय पादपों का गुणवत्ता नियंत्रण। • औषधीय पादप **लचीले (Flexible) घटक (रिसोर्स पूल का 20%)** • योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र। • सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियां और टेली-मेडिसिन। • औषधीय पादपों के लिए फसल बीमा। • सार्वजनिक-निजी भागीदारी का प्रावधान और निजी आयुष शैक्षिक संस्थानों के लिए ब्याज सब्सिडी घटक।
संस्थागत क्षमता को मजबूत करना	**आयुष शिक्षण संस्थानों का उन्नयन** करना। 50 बिस्तरों तक की सुविधा वाले **एकीकृत आयुष अस्पताल स्थापित** करना। **आयुष लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित** करना। **आयुष्मान भारत योजना के 10% स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों का संचालन** करना।
अन्य प्रावधान	• NAM के तहत औषधीय पौधों की कृषि हेतु किसानों को सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। • **आयुष ग्राम:** प्रत्येक प्रखंड से चयनित गांव में आयुष आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा रहा है।

2.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

आयुष दवाओं की निगरानी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना (CENTRAL SECTOR SCHEME FOR PROMOTING PHARMACOVIGILANCE OF AYUSH DRUGS)

- **उद्देश्य:** आयुष दवाओं के **प्रतिकूल प्रभावों के दस्तावेजीकरण** की संस्कृति को विकसित करना तथा इनकी सुरक्षात्मक निगरानी करना। साथ ही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जाने वाले **भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करना।**
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- यह राष्ट्रीय, मध्यवर्ती और परिधीय स्तर पर **फार्माकोविजिलेंस सेंटर (PvCC) के त्रि-स्तरीय नेटवर्क** की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है।
  - नई दिल्ली स्थित **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान,** आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है। इसे इस पहल के अंतर्गत विविध

गतिविधियों के समन्वय हेतु NPvCC के रूप में नामित किया गया है।

राष्ट्रीय आयुष ग्रिड परियोजना

- **उद्देश्य:** यह परियोजना **छह कार्यात्मक क्षेत्रों में सेवा वितरण का डिजिटलीकरण** करती है।
- आयुष ग्रिड निम्नलिखित के **प्रासंगिक डिजाइन सिद्धांतों** का पालन करती है:
  - इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0;
  - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM); तथा
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट (NDHB).
- अब तक शुरू की गई **प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:**
  - **मोबाइल ऐप: आयुष संजीवनी, योग लोकेटर आदि।**
  - **अनुकूलित आईटी पाठ्यक्रम:** आयुष पेशेवरों के लिए।
  - **आयुष नेक्स्ट: करियर मार्गदर्शन, इंटरएक्टिव फोरम, क्विज आदि के साथ** सूचना के आदान-प्रदान के लिए।

आयुष क्लिनिकल केस रिपॉजिटरी (CCR) पोर्टल

- **उद्देश्य:** अलग-अलग रोग स्थितियों के उपचार के लिए **आयुष प्रणालियों की क्षमता को प्रदर्शित** करना।
- यह **आयुष चिकित्सकों और जनता दोनों को समर्थन प्रदान** करता है।
- यह आयुष चिकित्सकों द्वारा **सफलता की कहानियों/सफलतापूर्वक इलाज किए गए मामलों को पोस्ट करने की सुविधा प्रदान** करता है।

© Vision IAS

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)

3.1. औषध के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme for Pharmaceuticals)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **लक्ष्य:** औषध क्षेत्र में भारत की **विनिर्माण क्षमताओं** को बढ़ाना।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI).
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2028-29 तक

उद्देश्य: भारत से बाहर **वैश्विक चैंपियन तैयार करना** और इस तरह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करना।

प्रमुख विशेषताएं

<table>
<tr><td>आवेदक</td><td>
इसके अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के साथ-साथ गैर-MSMEs दोनों आते हैं:
स्वामित्व फर्म (Proprietary Firm);
साझेदारी फर्म;
सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership: LLP);
भारत में पंजीकृत कोई कंपनी।
</td></tr>
<tr><td>पात्र निवेश</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">किया गया व्यय</th></tr>
<tr><td>नया संयंत्र, मशीनरी, उपकरण</td><td>अनुसंधान एवं विकास (R & D)</td><td>प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT)</td><td>उत्पाद पंजीकरण</td><td>भवन का निर्माण</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>उत्पाद श्रेणियां</td><td>
<table>
<tr><th>श्रेणी 1</th><th>श्रेणी 2</th><th>श्रेणी 3</th></tr>
<tr><td>बायोफार्मास्यूटिकल्स ; जटिल जेनेरिक दवाएं; पेटेंट दवाएं; ऑर्फ़न ड्रग्स इत्यादि।</td><td>सक्रिय औषध सामग्री (APIs)/मुख्य प्रारंभिक सामग्री (KSMs) और औषधि मध्यवर्तियों (DIs) के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत कवर किए गए उत्पादों को छोड़कर अन्य APIs/KSMs/DIs</td><td>भारत में निर्मित नहीं होने वाली दवाओं सहित श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत नहीं आने वाली दवाएं</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>वित्तीय प्रोत्साहन</td><td>
आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) में वृद्धिशील बिक्री पर प्रदान किया जाता है।
प्रोत्साहन भुगतान की अवधि: अधिकतम 6 वर्ष।
<table>
<tr><th colspan="2">प्रोत्साहन की दर</th></tr>
<tr><td>श्रेणी 1 और 2</td><td>श्रेणी 3</td></tr>
<tr><td>प्रारंभ में 10% और क्रमिक रूप से 6% तक कम कर दी जाएगी।</td><td>प्रारंभ में 5% और क्रमिक रूप से 3% तक कम कर दी जाएगी।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3.2. बल्क ड्रग्स के लिए या महत्वपूर्ण मुख्य आरंभिक सामग्री (KSMs), औषधि मध्यवर्ती (DIs) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (PLI Scheme for Bulk Drugs or for Promotion of Domestic Manufacturing of Critical KSMs, DIs and APIs)

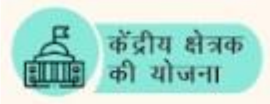

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **लक्ष्य:** आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण KSMs/DIs/APIs के आयात पर निर्भरता को कम करना।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी:** भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) लिमिटेड।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2029-30 तक

अन्य उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य मुख्य आरंभिक सामग्री (KSMs) / औषधि मध्यवर्ती (Drug Intermediates) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) में अधिक निवेश आकर्षित कर इनके घरेलू विनिर्माण / उत्पादन को बढ़ावा देना है।

- एक बल्क ड्रग या API किसी औषध उत्पाद में ऐसा रासायनिक अणु होता है, जो उत्पाद में **दावा किए जाने वाले चिकित्सीय प्रभाव पैदा** करता है। उदाहरण के लिए **पेनिसिलिन।**
- भारत **बल्क ड्रग्स के कुल आयात का लगभग 70% चीन से आयात** करता है।

प्रमुख विशेषताएं

<table>
<tr><td>विषय क्षेत्र</td><td>• चार अलग-अलग लक्षित क्षेत्रों में 90% के न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन के साथ ग्रीन फील्ड संयंत्रों की स्थापना करना।</td></tr>
<tr><td>पात्र निवेश</td><td>
<table>
<tr><td colspan="5">निम्नलिखित पर किया गया व्यय</td></tr>
<tr><td>नया संयंत्र, मशीनरी, उपकरण</td><td>अनुसंधान और विकास (R&D)</td><td>प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT)</td><td>उत्पाद पंजीकरण</td><td>भवन का निर्माण</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>उत्पाद श्रेणियां</td><td>• चार श्रेणियों में 41 उत्पाद, जो सभी चिन्हित 53 APIs को कवर करते हैं।
<table>
<tr><td rowspan="4">लक्ष्य खंड</td><td rowspan="2">किण्वन आधारित उत्पाद</td><td>मुख्य उत्पाद</td></tr>
<tr><td>आला (Niche) उत्पाद</td></tr>
<tr><td rowspan="2">रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पाद</td><td>मुख्य रसायन</td></tr>
<tr><td>अन्य रसायन</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>वित्तीय प्रोत्साहन</td><td>• आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) में वृद्धिशील बिक्री पर प्रदान किया जाता है।
• प्रोत्साहन भुगतान की अवधि: अधिकतम 6 वर्ष तक।
<table>
<tr><td colspan="2">प्रोत्साहन की दर</td></tr>
<tr><td>किण्वन आधारित उत्पादों के लिए</td><td>रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पादों के लिए</td></tr>
<tr><td>प्रारंभ में 20% और क्रमिक रूप से 5% तक कम कर दी जाएगी।</td><td>10% तक।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

© Vision IAS

3.3. चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (PLI Scheme for Promotion of Domestic Manufacturing of Medical Devices)

स्मरणीय तथ्य

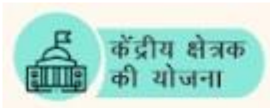

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
- **आवेदक:** भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी, जो ग्रीनफील्ड परियोजना में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक।

अन्य उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बृहद् निवेश को आकर्षित करके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

प्रमुख विशेषताएं

<table>
<tr><td rowspan="2">पात्र उत्पाद</td><td colspan="5">चार लक्ष्य खंड</td></tr>
<tr><td>कैंसर केयर /रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण</td><td>रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग चिकित्सा उपकरण</td><td>न्यूक्लियर इमेजिंग उपकरण</td><td>एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण</td><td>प्रत्यारोपण योग्य चिकित्सा उपकरणों सहित सभी प्रत्यारोपण</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पात्र निवेश</td><td colspan="5">निम्नलिखित पर किया गया व्यय</td></tr>
<tr><td>नया संयंत्र, मशीनरी, उपकरण</td><td>अनुसंधान और विकास (R&D)</td><td>प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT)</td><td>उत्पाद पंजीकरण</td><td>भवन का निर्माण</td></tr>
<tr><td>वित्तीय निवेश</td><td colspan="5">• निवेश भुगतान की अवधि: अधिकतम 5 वर्ष।
• आधार वर्ष 2019-20 के आधार पर वृद्धिशील बिक्री का पांच प्रतिशत तक।</td></tr>
</table>

3.4. औषध उद्योग को मजबूत बनाने हेतु योजना {Strengthening Pharmaceuticals Industry (SPI)}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** औषध क्षेत्रक में **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को मजबूत करना।
- **लाभ:** मौजूदा फार्मा क्लस्टर्स और MSMEs की उत्पादकता, गुणवत्ता और संधारणीयता में वृद्धि होगी।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-2026 की अवधि तक।
- **परियोजनाओं का अनुमोदन: औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता में योजना संचालन समिति** (SSC) द्वारा।

अन्य उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य भारत को **फार्मा (औषध) क्षेत्र में** वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए **मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना** है।

- **भारतीय औषध उद्योग मात्रा के आधार पर तीसरा और मूल्य के आधार पर 14वां** विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भारत में **यूनाइटेड स्टेट फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US FDA) द्वारा अनुमोदित संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।**

प्रमुख विशेषताएं

साझा सुविधाएं	• सभी सुविधाएं **साझा उपयोग** के लिए लक्षित हैं। • **उदाहरण:** साझा परीक्षण केंद्र; प्रशिक्षण केंद्र; R&D केंद्र इत्यादि।

3 घटक	
साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (Assistance to Pharmaceutical Industry for Common Facilities: AP-ICF)	• मौजूदा **फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स** की क्षमता को मजबूत करना। • **सहायता:** स्वीकृत परियोजना लागत का **70% तक (हिमालयी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 90% तक) अथवा 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो।**
औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (Pharmaceutical Technology Upgradation Assistance Scheme: PTUAS)	• SMEs और MSMEs की उत्पादन सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान करना। इससे वे **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामकीय मानकों** {WHO-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) या शेड्यूल-M} को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगी। **पूंजीगत सब्सिडी:** **10 करोड़ रुपये** की अधिकतम सीमा तक ऋण पर **10 प्रतिशत** तक। **न्यूनतम पुनर्भुगतान अवधि तीन वर्ष।** **ब्याज छूट:** घटती ऋण शेष के आधार पर **5 प्रतिशत तक।** अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों के मामले में **6 प्रतिशत** तक।
औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन तथा विकास योजना (Pharmaceutical & Medical Devices Promotion and Development Scheme: PMPDS)	• यह कार्य अध्ययन / सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, डेटाबेस तैयार करने और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जाएगा।

3.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन (Promotion of Bulk Drug Parks)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **लक्ष्य:** राज्यों के साथ भागीदारी में भारत में **तीन मेगा बल्क ड्रग पार्क्स** विकसित करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए **हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश को सैद्धांतिक मंजूरी** दी गई है।
- यह **एक ही स्थान पर सामान्य अवसंरचना सुविधाएं (CIF)** प्रदान करती है। इससे विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण होगा।
- **वित्तीय सहायता:**
  - गुजरात और आंध्र प्रदेश में **परियोजना लागत की 70% सहायता।**
  - हिमाचल प्रदेश में **परियोजना लागत की 90% सहायता।**
  - एक पार्क के लिए **अधिकतम सहायता 1000 करोड़ रुपये** तक सीमित होगी।

चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना (Promotion of Medical Device Parks)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **उद्देश्य:** बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग तथा लागत में आनुपातिक बचत के लिए विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक।
- मेडिकल डिवाइस पार्क्स स्थापित करने के लिए **उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश** को स्वीकृति प्रदान की गई।
- यह **एक ही स्थान पर सामान्य अवसंरचना सुविधाएं (CIF)** प्रदान करती है। इससे विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण होगा
- **वित्तीय सहायता:**
  - उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में **परियोजना लागत की 70% सहायता।**
  - हिमाचल प्रदेश में **परियोजना लागत की 90% सहायता।**

© Vision IAS

- एक पार्क के लिए **अधिकतम सहायता 1000 करोड़ रुपये** तक सीमित होगी।

प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PM-BJP)

- **उद्देश्य:** सामान्य जन विशेषकर गरीबों के लिए सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ़ इंडिया (PMBI)।
- **प्रोत्साहन: 5.00 लाख रुपये तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी जिलों, द्वीपीय जिलों और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 2.00 लाख रुपये** तक के विशेष प्रोत्साहन।
- **गुणवत्ता सुनिश्चित करना:**
  - दवाएं केवल **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं** से खरीदी जाती हैं।
  - दवा को **'राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL)'** द्वारा मान्यता दी जाती है।

फास्फोरस एवं पोटैशियम (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS)

- **उद्देश्य:** खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादकता में सुधार और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना।

सब्सिडी, पोषक तत्वों की सामग्री के आधार पर प्रदान की जाती है।

नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटैशियम	सल्फर
N	P	K	S

- एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले **'N', 'P', 'K' और 'S' के लिए प्रति पोषक तत्व आधारित सब्सिडी** की सिफारिश करती है।
  - यह समिति **गौण ('S' के अलावा) और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त फोर्टिफाइड सब्सिडीकृत उर्वरकों पर प्रति टन अतिरिक्त सब्सिडी की भी सिफारिश** करती है।
- देश में उर्वरकों की व्यापक उपलब्धता के लिए **रेल और सड़क मार्ग द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों की आवाजाही और वितरण के लिए माल भाड़ा** प्रदान किया जाता है।
- जटिल उर्वरकों के 13 ग्रेड सहित **सभी सब्सिडीकृत P&K उर्वरकों का ओपन जनरल लाइसेंस (OGL) के तहत आयात** किया जाता है।

यूरिया सब्सिडी

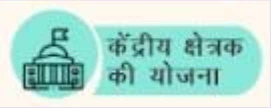

- **उद्देश्य: किफायती कीमतों पर यूरिया उर्वरकों की समय पर और आसानी से उपलब्धता** सुनिश्चित करना।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **सब्सिडीकृत यूरिया:** किसानों को **वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उपलब्ध** करवाया जाता है।
- **माल ढुलाई लागत भी शामिल है।**
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): ई-उर्वरक DBT पोर्टल पर बिक्री के पंजीकृत होने पर ही कंपनी सब्सिडी का दावा** करती है।
- **लाभार्थी का प्रमाणीकरण: या तो आधार या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर** अनिवार्य है।

पेट्रो-रसायन की नई योजनाएं (NPS)

योजना के तहत प्रमुख पहलें:

- पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में **समर्पित प्लास्टिक पार्कों** की स्थापना करना और **पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (CoE)** की स्थापना करना।
- वित्त वर्ष 2023-24 से **रसायन संवर्धन और विकास योजना (CPDS)** को NPS के तहत शामिल किया जाएगा।
  - रासायनिक और पेट्रो-रसायन उद्योग के प्रचार एवं विकास के लिए **जागरूकता पैदा करने तथा सूचना के प्रसार की परिकल्पना** की गई है।

फार्मा जन समाधान

- **उद्देश्य: दवाओं के मूल्य निर्धारण और उपलब्धता से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण** के लिए एक वेब सक्षम प्रणाली स्थापित करना।
- **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013** के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना।

'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप

- **उद्देश्य:** अलग-अलग अनुसूचित दवाओं के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) **द्वारा निर्धारित MRP को वास्तविक समय के आधार पर दर्शाना।**

4. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)

4.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना {UDE Desh Ka Aam Naagrik (UDAN)/Regional Connectivity Scheme (RCS)}

स्मरणीय तथ्य

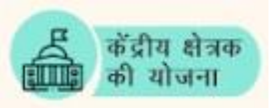

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **लक्ष्य:** हवाई सेवा के माध्यम से **छोटे और मझोले शहरों को बड़े शहरों से** जोड़ना।
- **एयरलाइनों को सहायता: रियायत और व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF)** के रूप में।
- **अवधि:** 10 वर्ष तक।

भारत विमानन क्षेत्र में दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा बाजार है।**

अन्य उद्देश्य: टियर II और टियर III शहरों में बेहतर विमानन अवसंरचना तथा एयर कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना।

प्रमुख विशेषताएं

अधिकतम किराया	500 किमी तक की यात्रा के लिए 'फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट' द्वारा **एक घंटे की यात्रा या हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग आधे घंटे की यात्रा** हेतु — 2500/ निर्धारित।
रियायती दरों पर सीट	• एयरलाइंस को **रियायती दरों पर 50% सीटें (9-40 सीटें) प्रदान** करनी होती हैं।
क्षेत्रीय संपर्क वित्त-पोषण (RCF)	• यह योजना के **स्व-वित्तपोषण तंत्र** की सुविधा प्रदान करता है। • यह **कुछ घरेलू उड़ानों पर लेवी के माध्यम से VGF को वित्त-पोषित** करता है।
मांग और बाजार आधारित मॉडल	• ये केवल उन राज्यों और हवाई अड्डों/एयरोड्रोम/हेलीपैडों पर उपलब्ध है, जो रियायतें प्रदान करते हैं। • राज्य सरकारों को **मुफ्त सुरक्षा और अग्निशमन सेवा, रियायती दरों पर उपयोगिताएं, क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) हवाई अड्डों के लिए मुफ्त जमीन** आदि उपलब्ध करानी होती है।
व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (VGF) की साझेदारी	**VGF साझाकरण तंत्र**: केंद्र का हिस्सा — 20%; राज्यों का हिस्सा — 80% • पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश 10% तक का योगदान करेंगे।
प्रमुख पहलें	**उड़ान (UDAN) के तहत प्रमुख पहलें** **लाइफलाइन उड़ान:** महामारी के दौरान चिकित्सा कार्गो के परिवहन के लिए **कृषि उड़ान:** विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) और जनजातीय जिलों में कृषि उत्पादों की मूल्य प्राप्ति **अंतर्राष्ट्रीय उड़ान:** गुवाहाटी व इंफाल से/को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का अन्वेषण करने के लिए NER हेतु मार्गों को खोजना

© Vision IAS

4.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

डिजी यात्रा परियोजना

- **उद्देश्य:** यह हवाई अड्डों पर अलग-अलग चेक पॉइंट्स पर कागज रहित यात्रा तथा प्रत्येक बार पहचान की जांच से मुक्ति को सुविधाजनक बनाती है।
- इसके तहत प्रत्येक यात्री को एक **विशिष्ट डिजी यात्रा पहचान-पत्र (Unique Digi Yatra ID) प्रदान** किया जाता है।
- **डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम बनाने के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन (DYF)** की स्थापना की गई है। DYF एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में कार्य करेगी।

नभ (भारत के लिए अगली पीढ़ी के विमानन केंद्र) {NABH (Nextgen Airports for Bharat)}

- **लक्ष्य:15 वर्षों में लगभग 100 विमानपत्तनों को स्थापित करना है**
- **PPP:** इसके लिए आवश्यक निवेश का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र से प्राप्त होगा।

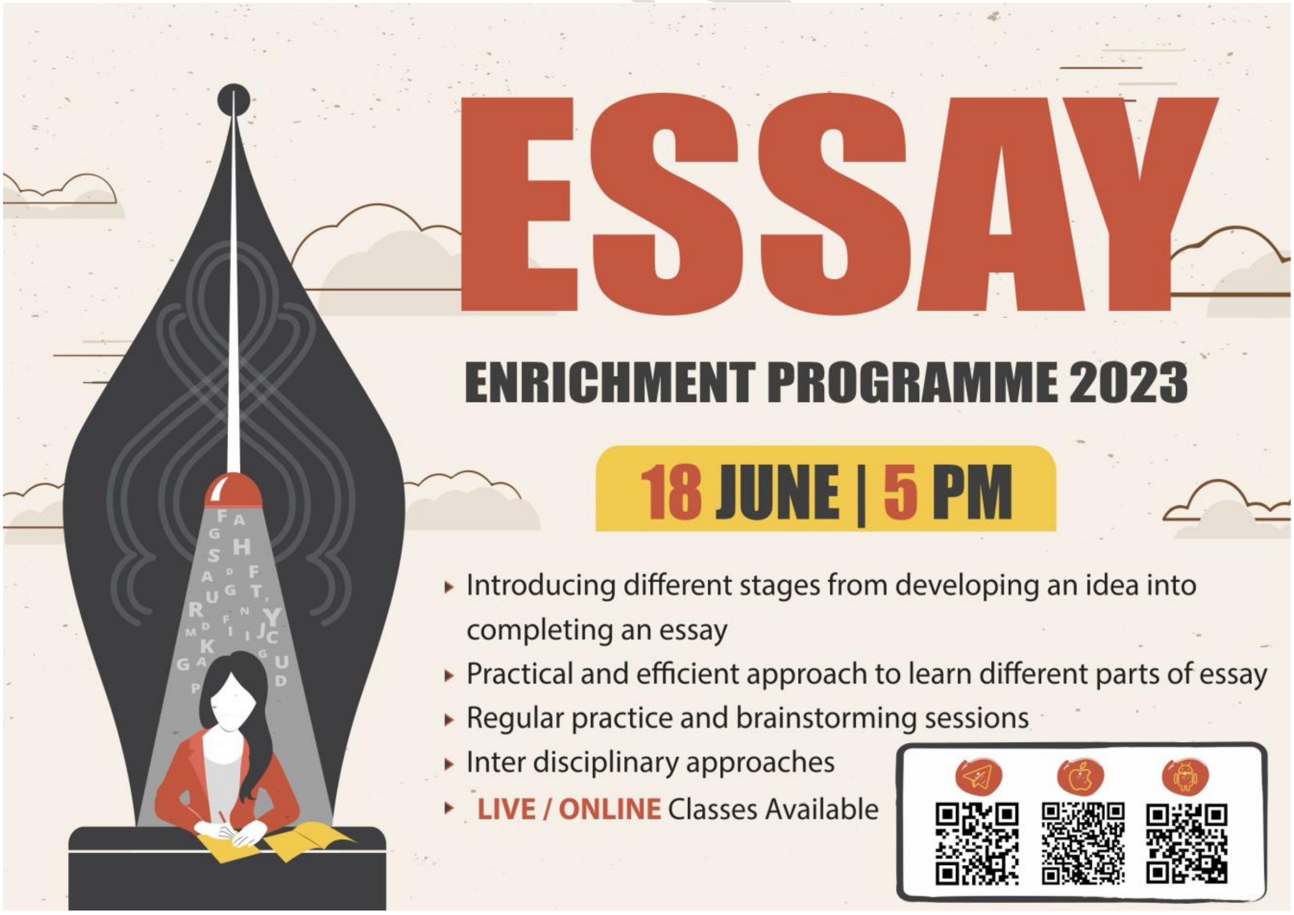

5. कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal)

5.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का दोहन और आबंटन करने की योजना) नीति {SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) Policy}

- **उद्देश्य:** देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ तरीके से कोयला उपलब्ध करवाना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि कोल लिंकेज (या आपूर्ति) का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके।
- पूर्ववर्ती आश्वासन पत्र (LoU)-ईंधन आपूर्ति समझौता (FSA) व्यवस्था को **चरणबद्ध तरीके से समाप्त** किया जाएगा।
- यह नीति कोयले के नीलामी के माध्यम से FSAs या लिंकेज की कमी वाले ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान करती है।
- यह **ऊर्जा उत्पादकों को सस्ता कोयला** प्राप्त करने और उत्पादन की लागत कम करने में सहायता प्रदान करती है।
- **कोयला वितरण नीति (NCDP), 2007** ऊर्जा क्षेत्रक के लिए कोयला लिंकेज को शासित करती है।

प्रमुख लाभार्थी और लाभ	विद्युत कंपनियां (सुनिश्चित कोयला आपूर्ति)
	उपभोक्ता (बिजली की कम लागत)
	देशज कोयला क्षेत्रक (आयातित कोयले की मात्रा में गिरावट)
	बैंकिंग क्षेत्रक {गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में गिरावट}

उत्तम (खनन किए गए कोयले के तृतीय पक्ष आकलन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना) ऐप {UTTAM (Unlocking Transparency By Third Party Assessment Of Mined Coal) app}

- **कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** द्वारा उत्तम ऐप को विकसित किया गया है।
- **लक्ष्य:** यह ऐप, **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सभी सहायक कंपनियों में तृतीय पक्ष आधारित नमूना प्रक्रिया की निगरानी में सभी नागरिकों तथा कोयला उपभोक्ताओं को सक्षम बनाता है।**
- यह एक अंतर्क्रियात्मक मानचित्र आधारित प्रणाली है। यह गुणवत्ता संबंधी मानकों के लिए विविध सहायक कंपनियों के पास विद्यमान कोयले की गुणवत्ता की समग्र कवरेज प्रदान करेगा।

कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली {Coal Mine Surveillance and Management System (CMSMS)}

लक्ष्य: यह एक **वेब आधारित GIS एप्लीकेशन** है। इसके माध्यम से अनधिकृत खनन स्थलों की स्थिति का पता लगाया जाएगा।

- सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला मूल प्लेटफ़ॉर्म इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) द्वारा प्रदान किया गया बेस मैप है, जो ग्रामीण स्तरीय सूचनाएं प्रदान करेगा।

खान प्रहरी (Khan Prahari)

- **लक्ष्य:** यह अवैध कोयला खनन जैसे रैट होल माइनिंग, चोरी आदि से संबंधित **सभी प्रकार की गतिविधियों की रिपोर्ट हेतु उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण** है।
- **कोई भी व्यक्ति घटना की जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ-साथ लिखित सूचना को सीधे सिस्टम में अपलोड** कर सकता है।
- **शिकायतकर्ता की पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा।**

प्रकाश (आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता) (Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony: PRAKASH) पोर्टल

- **लक्ष्य:** इस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों, यथा- विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला

© Vision IAS

आपूर्ति का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।

- यह पोर्टल विद्युत संयंत्रों के लिए संपूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला का मानचित्रण और निगरानी करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - आपूर्ति स्रोतों (खानों) पर कोयले का भंडार (स्टॉक);
    - योजनाबद्ध कोयले के सांचे (rakes);
    - पारगमन में कोयले की मात्रा और
    - विद्युत उत्पादक केंद्रों पर कोयले की उपलब्धता।

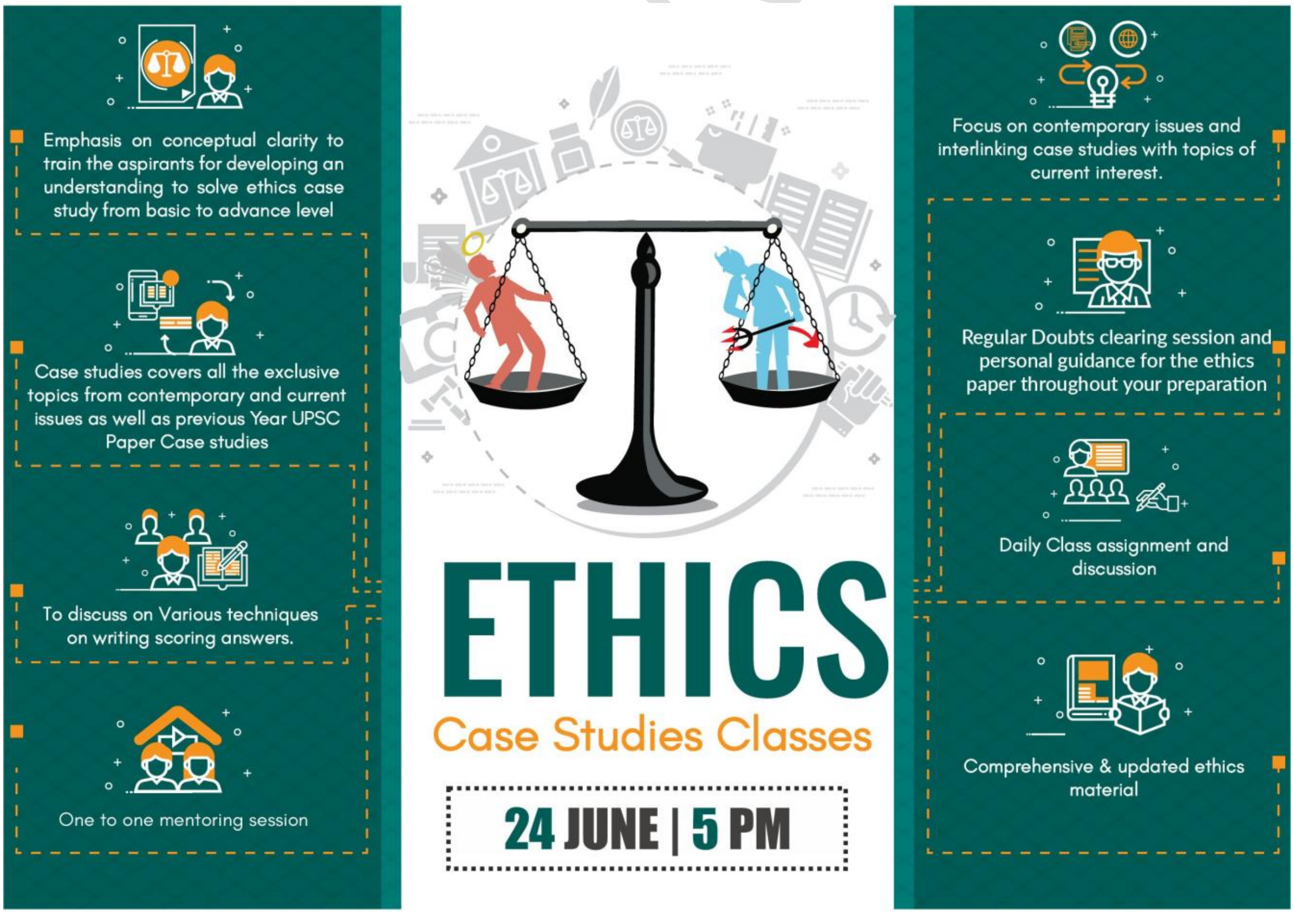

6. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry)

6.1. भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive Scheme (PLI) For White Goods (Air Conditioners and Led Lights) Manufacturers in India}

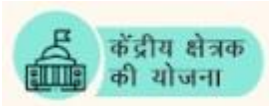

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** व्हाइट गुड्स के संदर्भ में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा आयात निर्भरता को कम करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT).
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक।

अन्य उद्देश्य: व्हाइट गुड्स की विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और** व्यापक निवेश को आकर्षित करना तथा **क्षेत्रगत कमियों का निवारण करना, उन्हें वृहद पैमाने पर किफायती बनाना, निर्यात में वृद्धि करना।**

प्रमुख विशेषताएं

विषय क्षेत्र	• योजना के तहत भारत में लक्षित खंडों में विनिर्माण के लिए **ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड निवेश** करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
पात्र निवेश	**AC के अंतर्गत लक्षित खंड:** एयर कंडिशनर; उच्च मूल्य की मध्यवर्ती वस्तुएं; निम्न मूल्य की मध्यवर्ती वस्तुएं **LED के अंतर्गत लक्षित खंड:** LED प्रकाश उत्पाद; LED प्रकाश उत्पादों के घटक • **केवल तैयार वस्तुओं की असेंबली की प्रक्रिया को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।**
वित्तीय प्रोत्साहन	**वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 6%** का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। आधार वर्ष- 2019-20 है। **प्रोत्साहन की अवधि: 5 वर्ष और एक वर्ष की गेस्टेशन अवधि।** **कैबिनेट द्वारा स्वीकृत राशि के आधार पर प्रोत्साहनों के लिए कुल भुगतान की सीमा निर्धारित की जाएगी।**
निगरानी	• मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries: EGoS) PLI योजना की निगरानी करेगा।

© Vision IAS

6.2. स्टार्ट-अप इंडिया (Startup India)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** नवाचार और स्टार्टअप्स को पोषित करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT).**
- **अपवर्जन:** किसी **मौजूदा संस्था के विभाजन या पुनर्निर्माण** द्वारा गठित की गई किसी संस्था को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अन्य उद्देश्य: भारत में स्टार्ट-अप्स संस्कृति को उत्प्रेरित करना तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत व समावेशी पारितंत्र का निर्माण करना।

शब्दावली को जानें

- **फंड ऑफ फंड्स** का अर्थ है कि सरकार सेबी (SEBI) में पंजीकृत **वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)** को सहायता पहुंचाती है। बदले में AIFs इक्विटी/ इक्विटी-लिंक्ड साधनों के माध्यम से **भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश** करते हैं। **AIFs को डॉटर फंड** के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख विशेषताएं

स्टार्ट-अप के लिए पात्रता	एक स्टार्ट-अप को **प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या साझेदारी फर्म या एक सीमित देयता भागीदारी (LLP) के रूप में पंजीकृत** होना चाहिए।	**टर्नओवर:** विगत किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर **100 करोड़ रुपये** से अधिक नहीं होना चाहिए।	**कार्यकाल:** निगमीकरण की तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने तक ही स्टार्ट-अप माना जाएगा।	स्टार्ट-अप को मौजूदा उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के नवाचार/सुधार की दिशा में कार्य करना चाहिए। साथ ही. इसमें रोजगार/धन सृजित करने की क्षमता होनी चाहिए।	**अपवर्जन:** किसी **मौजूदा संस्था के विभाजन या पुनर्निर्माण** द्वारा गठित की गई किसी संस्था को स्टार्ट-अप नहीं माना जाएगा।
स्टार्ट-अप के समर्थन हेतु प्रमुख स्तंभ					
सरलीकरण और आरंभिक समर्थन	• **स्व-प्रमाणन,** ताकि विनियामक बोझ को कम किया जा सके। • **आसान अनुपालन, आसान निकास की प्रक्रिया,** कानूनी सहायता, पेटेंट संबंधी आवेदनों की तीव्र ट्रैकिंग आदि। • **सूचना की विषमता को कम करने हेतु एक वेबसाइट लॉन्च** की गई है।				
वित्त-पोषण और प्रोत्साहन	• आयकर और पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की जाती है। • **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी/SIDBI) द्वारा प्रबंधित 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्ट-अप्स के लिए फंड ऑफ़ फंड्स** की स्थापना की गई है। • सिडबी के माध्यम से स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण किया गया है।				
उद्भवन और उद्योग-शैक्षणिक जगत भागीदारी	• कई इन्क्यूबेटरों और नवाचार वेधशालाओं, समारोह, प्रतियोगिताओं और अनुदानों का सृजन करना। • नीति आयोग के स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (SETU/सेतु) कार्यक्रम के साथ **अटल नवाचार मिशन (AIM)** का शुभारंभ।				

6.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)

- **आरंभ वर्ष:** इसे **2021 में** शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** योग्य इनक्यूबेटर्स के माध्यम से पात्रता प्राप्त **स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान** करना (इन्फोग्राफिक्स देखिए)।

- स्टार्ट-अप्स **70 लाख रुपये** तक प्राप्त कर सकते हैं।
- इनक्यूबेटर्स **5 करोड़ रुपये** तक प्राप्त कर सकते हैं।

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक:** सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन आदि।
- **लाभ:** यह स्टार्ट-अप्स को एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने या ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **वित्तीय सहायता का उद्देश्य**
  - **प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट**
  - **प्रोटोटाइप विकास**
  - **उत्पाद परीक्षण**
  - **बाजार में प्रवेश**
  - **वाणिज्यीकरण**

स्टार्ट-अप्स के लिए पात्रता	इनक्यूबेटर्स के लिए पात्रता
• **DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त हो।** • **स्थापित हुए 2 वर्ष** हुए हों। • केंद्र/राज्य सरकारों से **10 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक सहायता** (पुरस्कार राशि को छोड़कर) प्राप्त नहीं की हो।	• यह एक **कानूनी रूप से स्थापित संस्था** (सोसायटी, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या वैधानिक निकाय) होती है। • **कम से कम 2 वर्षों** से परिचालन में हो। • **कम से कम 25 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।** • **भौतिक रूप से इन्क्यूबेशन से गुजरने वाले कम से कम 5 स्टार्ट-अप्स** होने चाहिए।

एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

- **उद्देश्य:** देश के सभी जिलों में **संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना** है।
- देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना, ताकि सभी प्रदेशों में समग्र रूप से सामाजिक-आर्थिक संवृद्धि को सक्षम किया जा सके।
  - इसे **सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लॉन्च** किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के 75 जिलों में उत्पाद-विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों का निर्माण करना था।
- हाल ही में, **ODOP की उपहार सूची का डिजिटल संस्करण** लॉन्च किया गया है।

निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **उद्देश्य: निर्यात के संवर्धन के लिए उपयुक्त अवसंरचना** के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक।
- **कार्य क्षेत्र:** सीमावर्ती हाट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, गुणवत्ता परीक्षण आदि जैसे आवश्यक निर्यात लिंकेज के साथ अवसंरचना परियोजना को अपग्रेड करना।
- **अपवर्जन:** क्षेत्रक विशिष्ट योजनाओं (जैसे वस्त्र उद्योग के लिए) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं।
- **वित्तीय सहायता:** सहायता अनुदान तथा **प्रत्येक अवसंरचनात्मक परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा निर्धारित** की गई है।

चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (CSSS)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **उद्देश्य:** चैंपियन क्षेत्रकों की क्षेत्रक संबंधी कार्य योजनाओं के लिए आरंभ की गई पहलों का समर्थन करना।

© Vision IAS

- **वित्तीय सहायता:** यह 5000 करोड़ रुपये की एक समर्पित निधि है।
- घरेलू विनियामक सुधारों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की सुविधा प्रदान करती है।

ऑडियो विजुअल सेवाएं	12 चिन्हित CSS	संचार सेवाएं
चिकित्सा मूल्य यात्रा		निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं		पर्यावरणीय सेवाएं
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT सक्षम सेवाएं		वित्तीय सेवाएं
लेखांकन और वित्त सेवाएं		शिक्षा सेवाएं
कानूनी सेवाएं		परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं

इस योजना के लिए आरंभ की गई नई पहलों की पहचान हेतु **5 स्तंभ**

नई प्रक्रियाएँ	नई अवसंरचना	नए क्षेत्रक	नई सोच	नए मानदंड
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) में सुधार हेतु	भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने हेतु	अप्रयुक्त क्षमता वाले क्षेत्रक	प्राधिकार जारी करने/अनुमोदित करने से व्यवसाय में साझेदारी तक	सेवाओं में वैश्विक व्यापार को आकार प्रदान करने हेतु

इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म

- **आरंभकर्ता:** इन्वेस्ट इंडिया।
- **उद्देश्य: व्यवसायों और निवेशकों को कोविड-19 (कोरोनावायरस) के खिलाफ भारत की सक्रिय प्रतिक्रिया पर वास्तविक समय में अपडेट प्राप्त करने में मदद** करने हेतु एक व्यापक संसाधन प्रदान करना।

पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना (EPCGS)

- **उद्देश्य:** पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में रियायतें प्रदान कर निर्यात हेतु वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- **प्रशासित:** यह **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)** द्वारा प्रशासित है।
- **शासित:** यह भारत की **विदेश व्यापार नीति (FTP)** द्वारा शासित है।
- **भारत में निर्यात हेतु उत्पादन के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क-मुक्त आयात** की अनुमति प्रदान करती है।
- केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रकों के लिए **औसत निर्यात दायित्व को बनाए रखने से एकमुश्त छूट देने और निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाने के लिए एक विकल्प** की घोषणा की है।
  - इस राहत के लिए पात्र क्षेत्रक- होटल, स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक क्षेत्रक हैं।

निर्यात बंधु योजना

- **उद्देश्य:** MSMEs सहित **नए और संभावित निर्यातकों** तक पहुंच स्थापित करना। साथ ही, उन्हें **अभिविन्यास कार्यक्रमों, परामर्श सत्रों, व्यक्तिगत सुविधा आदि के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान** करना है।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM)

- **कार्यान्वयन एजेंसी: बौद्धिक संपदा कार्यालय।** यह पेटेंट, डिज़ाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय (CGPDTM) के अधीन है।
- **उद्देश्य: 1 मिलियन छात्रों को बौद्धिक संपदा (IP) संबंधी जागरूकता और मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करना।**
- इसके तहत निर्धारित लक्ष्य को **अगस्त 2022** में प्राप्त कर लिया गया था।

परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group: PMG)

- यह विशिष्ट संस्थागत तंत्र है। इसके तहत 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अवसरंचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित चुनौतियों एवं विनियामक बाधाओं पर त्वरित समाधान प्रदान किया जाता है।
- कुछ प्रमुख परियोजनाएं, जहाँ लंबित मुद्दों का समाधान कर लिया गया है, उनमें शामिल हैं:
    - **भारतनेट, उत्तर पूर्व गैस ग्रिड और जगदीशपुर-हल्दिया व बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना सहित)।**

'स्वायत्त (SWAYATT)' पहल

- **उद्देश्य:** यह गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर **ई-लेन-देनों के माध्यम से स्टार्टअप्स, महिलाओं और युवाओं** को प्रोत्साहन प्रदान करने की एक पहल है।

उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास योजना (NEIDS)

- **उद्देश्य:** पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना। साथ ही, रोजगार और आय सृजन को प्रोत्साहित करना।
- **शामिल क्षेत्रक:** विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** प्रस्तावों को प्रक्रियागत करने व अनुमोदित करने और भुगतान करने हेतु।

NEIDS के तहत प्रमुख लाभ						
ऋण तक पहुंच हेतु केंद्रीय पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन	केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन (CII)	केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (CCII)	आयकर (IT) प्रतिपूर्ति	वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रतिपूर्ति	रोजगार प्रोत्साहन (EI)	परिवहन प्रोत्साहन (TI)

निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए 'परिवहन और विपणन सहायता (TMA) योजना

- **उद्देश्य:** कृषि उपज के **माल ढुलाई और विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता** प्रदान करना है। साथ ही, **निर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को बढ़ावा** देना है।
- **अपेक्षित लाभ:** ट्रांस-शिपमेंट के कारण **निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के परिवहन की उच्च लागत के नुकसान में कमी होगी।**
- **विस्तार:** संबंधित **निर्यात संवर्धन परिषद** में विधिवत पंजीकृत सभी निर्यातक।

भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (IFLDP)	केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **अवधि:** वर्ष 2026 तक।

6 प्रमुख घटक					
सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संवर्धन (STEP)	चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (IDLS)	मेगा लेदर फुटवियर एंड एक्सेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट (MLFACD)	संस्थागत सुविधाओं की स्थापना (EIF)	ब्रांड प्रचार	डिजाइन स्टूडियो का विकास

निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों की छूट देने की योजना {Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme}

- **उद्देश्य:** निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए अलग-अलग करों तथा शुल्कों यथा- स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि की प्रतिपूर्ति करना है। ज्ञातव्य है कि इन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत कोई छूट/रियायत या प्रतिदाय (refund) प्रदान नहीं किया जा रहा है।
- यह **निर्यात की शून्य रेटिंग** सुनिश्चित करता है अर्थात करों तथा शुल्कों का निर्यात नहीं किया जा सकता।

© Vision IAS

- पूर्ववर्ती दो योजनाओं का प्रतिस्थापन
    - **भारत से पण्य निर्यात योजना** (Merchandise Export from India Scheme: MEIS); तथा
    - **राज्य और केंद्रीय उद्ग्रहण एवं करों से छूट (RoSCTL)** करती है।
- **RoSCTL को राज्य और केंद्र द्वारा लागू उन शुल्कों एवं करों के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिनका प्रतिदाय/रिफंड वस्तु और सेवा कर के माध्यम से नहीं होता है।**

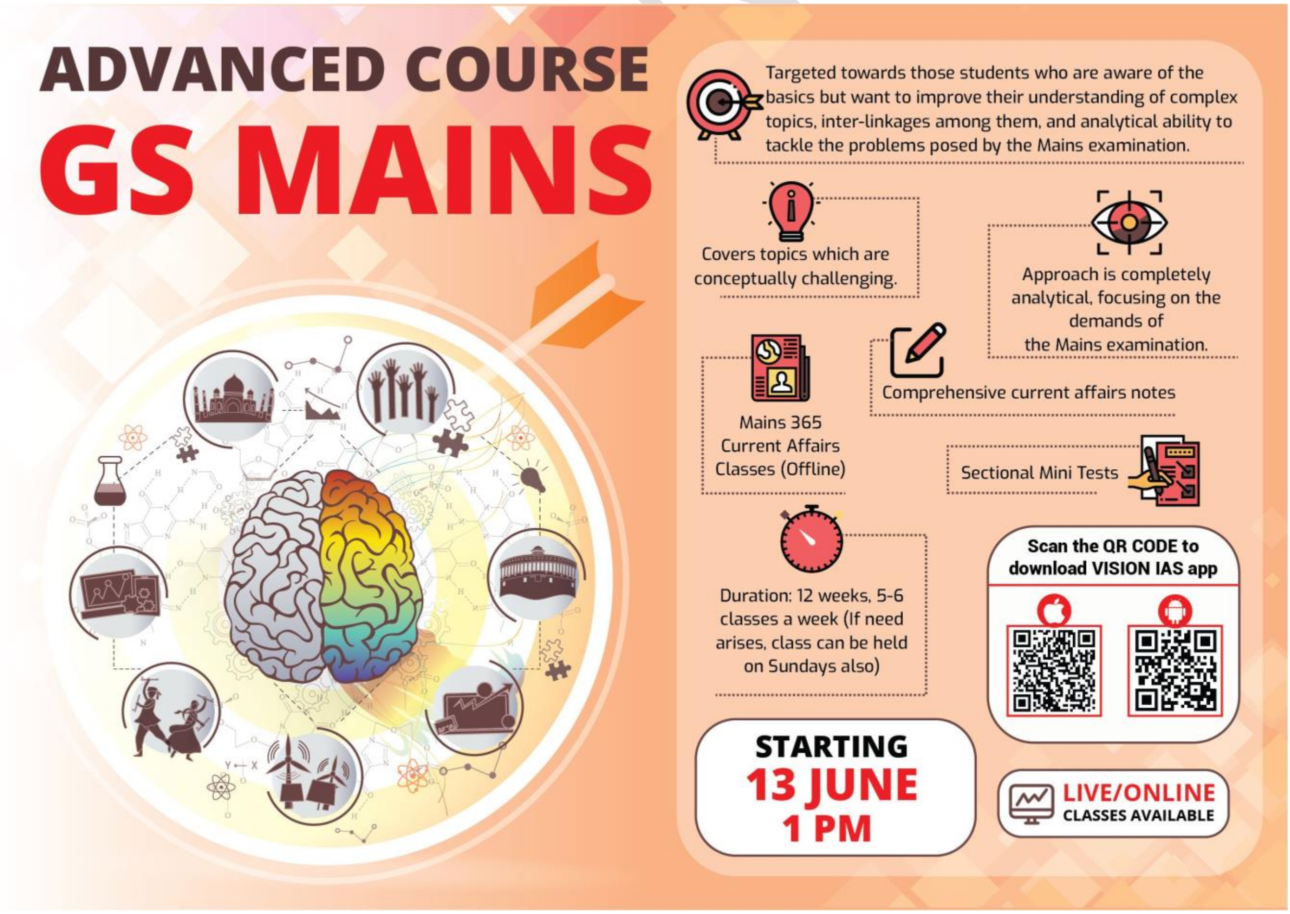

7. संचार मंत्रालय (Ministry of Communications)

7.1. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Promoting Telecom & Networking Products}

स्मरणीय तथ्य

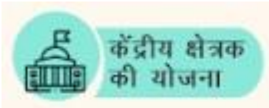

- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **लक्ष्य:** भारत में एक **मजबूत घरेलू मूल्य श्रृंखला** का निर्माण करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक **(SIDBI)** इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2021 से **वित्त वर्ष 2024-2025 तक ही** निवेश किया जाएगा।

उद्देश्य: दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के लक्षित खंडों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना।

प्रमुख विशेषताएं

विषय क्षेत्र	• **केवल भारत में वस्तुओं के विनिर्माण के लिए कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी।**
पात्रता प्राप्त निवेश	**किया गया व्यय:** नए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण; अनुसंधान और विकास (R&D); प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (TOT); सिविल कार्यों पर किया गया परिव्यय (संयंत्र, मशीनरी, आदि का निर्माण)
उत्पाद श्रेणियां	**लक्षित खंड:** प्रेषण के प्रमुख उपकरण; 4G/5G, अगली पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण; उद्यम के उपकरण: स्विच, राउटर; कोई अन्य उत्पाद: जिसे EGoS द्वारा निर्धारित किया गया हो।
वित्तीय प्रोत्साहन	• **प्रोत्साहन भुगतान की अवधि:** अधिकतम 5 वर्ष।
प्रोत्साहन की दर	(see table below)

किया गया व्यय (पात्रता प्राप्त निवेश)

नए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण	अनुसंधान और विकास (R&D)	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (TOT)	सिविल कार्यों पर किया गया परिव्यय (संयंत्र, मशीनरी, आदि का निर्माण)

लक्षित खंड (उत्पाद श्रेणियां)

प्रेषण के प्रमुख उपकरण	4G/5G, अगली पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण	उद्यम के उपकरण: स्विच, राउटर	कोई अन्य उत्पाद: जिसे EGoS द्वारा निर्धारित किया गया हो।

प्रोत्साहन की दर

MSMEs के लिए	अन्यों के लिए	अतिरिक्त 1% प्रोत्साहन
वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष मानकर **वृद्धिशील बिक्री पर 7%-4% तक।**	**6% से 4 %** तक।	**डिजाइन आधारित PLI के तहत** उन उत्पादों के लिए, जिन्हें भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है।

7.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NATIONAL BROADBAND MISSION)

- **उद्देश्य:** डिजिटल संचार अवसंरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाना।
- **प्रमुख घटक एवं लक्ष्य**

गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी: अब तक **1.81 लाख ग्राम पंचायतों** में यह सेवा प्रदान की गई है।	**ब्रॉडबैंड की गति:** वर्ष 2024-25 तक **50 Mbps** तक।	**फाइबराइजेशन:** वर्ष 2024-25 तक **50 लाख किमी** तक।	टावरों में वृद्धि करना, टेलीकॉम टावर्स/बेस ट्रांसीवर स्टेशन का फाइबराइजेशन और फाइबर क्यूम्यलेटिव का **मानचित्रण।**

© Vision IAS

भारतनेट

- **उद्देश्य:** मांग किए जाने पर **सभी के लिए 2 Mbps से 20 Mbps की** सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- **आवृत्त क्षेत्र:** सभी **बसावट वाले गाँव। शुरुआत में सभी ग्राम पंचायतों को लक्षित** किया गया था।
- **अवधि: वर्ष 2025 तक।**
- **कार्यान्वयन:** भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा।
- **वित्त-पोषित:** सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) द्वारा।
- **राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना**
    - डिजिटल इंडिया के विज़न को साकार करने के लिए **बिना भेदभाव के सुलभ होने वाला एक अत्यधिक स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर** स्थापित करना।

तरंग संचार पोर्टल

- **उद्देश्य: मोबाइल टावर और विद्युत चुम्बकीय आवृत्ति (EMF) उत्सर्जन के अनुपालन के बारे में जानकारी** प्रदान करना।
- **शुल्क का भुगतान करके** सूचना प्राप्त की जा सकती है।
- **तरंग संचार वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है**

मोबाइल टावरों के बारे में सूचना तक आसान पहुंच		
• मोबाइल टावर और विद्युत चुम्बकीय आवृत्ति (EMF) के उत्सर्जन अनुपालन के बारे में जानकारी प्रदान करना।	मोबाइल टावरों और उत्सर्जन के बारे में मिथकों और भ्रांतियों को दूर करता है।	उपयोगकर्ता विकिरण उत्सर्जन के संबंध में टावर या बेस स्टेशन की जांच करवा सकता है।

नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल उन्नयन (दर्पण) परियोजना {DARPAN: Digital Advancement of Rural Post Office for A New India}

- **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य **सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और बैंकिंग सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी का "वित्तीय समावेशन" सुनिश्चित करना है।**
- इसका लक्ष्य प्रत्येक शाखा के **पोस्टमास्टर (BPM) को निम्न ऊर्जा खपत वाला प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध** करवाना है।
- **DARPAN-PLI एप्लिकेशन:** डाक जीवन बीमा (PLI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) नीतियों के लिए प्रीमियम के निर्बाध संग्रहण हेतु लॉन्च किया गया है।

संपूर्ण बीमा ग्राम योजना (Sampoorna Bima Gram Yojana)

- **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य डाक नेटवर्क के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करना है।
- यह देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव (जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों) की पहचान करेगा। साथ ही, **कम से कम एक RPLI** (ग्रामीण डाक जीवन बीमा) पॉलिसी के साथ उस चिन्हित गाँव के सभी परिवारों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
- **RPLI** ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीण महिलाओं को बीमा कवर प्रदान करता है।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को उन्हें संपूर्ण बीमा ग्राम में रूपांतरित के लिए इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।

दीन दयाल स्पर्श योजना (Deen Dayal SPARSH Yojana)

- **लक्ष्य:** डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को बढ़ावा देना।
- **दीन दयाल स्पर्श (रुचि के रूप में डाक टिकटों के प्रति अभिवृत्ति और अनुसंधान के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति) योजना:** इस योजना के अंतर्गत कक्षा VI से IX तक उन बच्चों को वार्षिक तौर पर छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह (Philately) को एक रूचि के रूप में चुना है।

प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पी.एम.-वाणी) {Prime Minister Wi-Fi Access network Interface (PM-WANI)}

- **लक्ष्य:** सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रावधान करते हुए देश में **वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।**
- **अंतिम छोर तक इंटरनेट पहुंचाने हेतु स्थानीय दुकानों और प्रतिष्ठानों को वाई-फाई प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित** करता है।
    - इसके लिए **लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है तथा पंजीकरण शुल्क भी नहीं** लिया जाता है।

पीएम-वाणी इकोसिस्टम			
पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO)	पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA)	ऐप प्रोवाइडर	सेंट्रल रजिस्ट्री

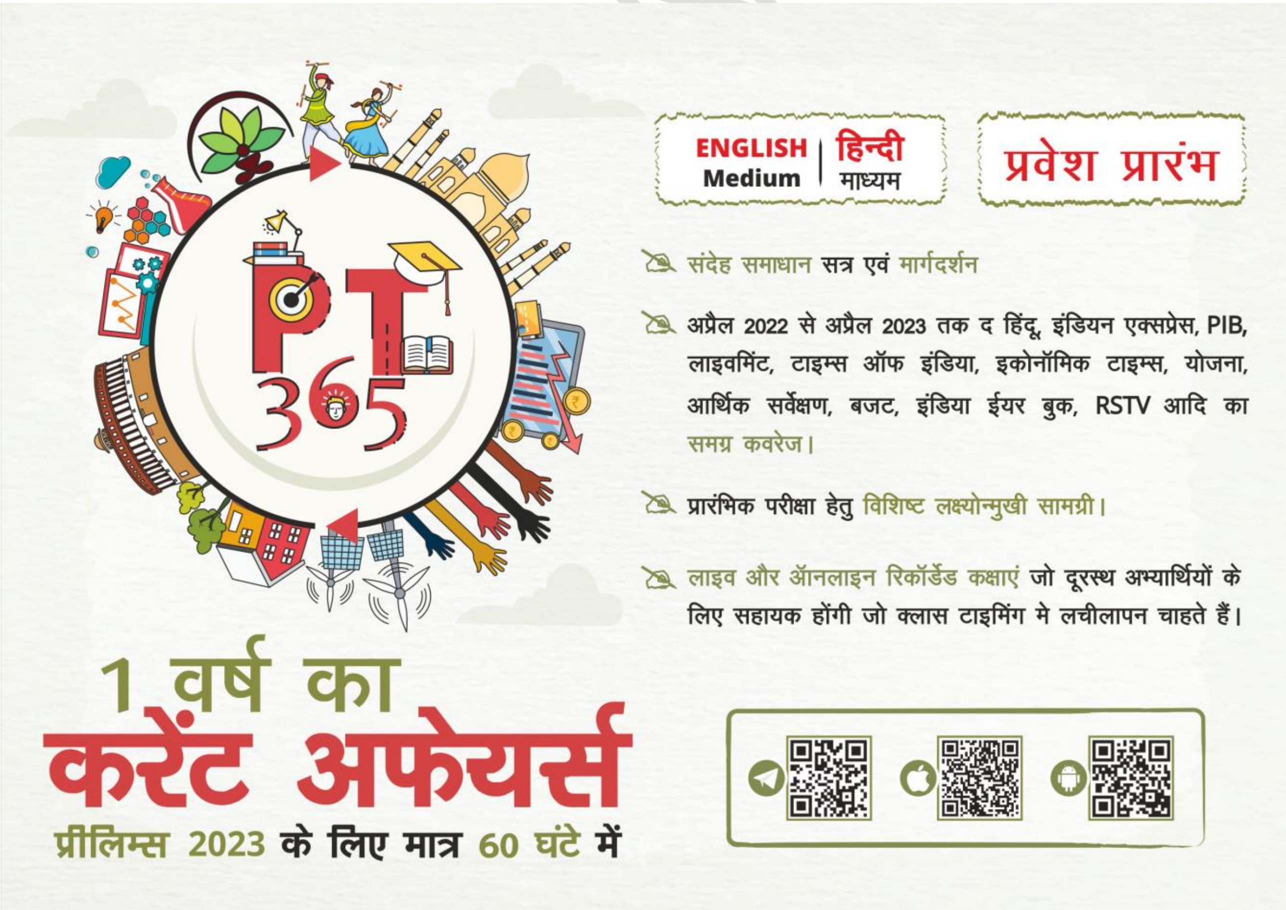

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)

8.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {National Food Security Act (NFSA), 2013}

केंद्र प्रायोजित योजना

स्मरणीय तथ्य:

- **प्रकार:** यह **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **उद्देश्य:** मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में **खाद्य और पोषण सुरक्षा** प्रदान करना।
- **कवरेज:** देश की आबादी का 67% (ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50%) कवर किया जाएगा।
- **परिवार की पहचान:** वित्त वर्ष 2011-12 के लिए **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS)-परिवार द्वारा उपभोग सर्वेक्षण डेटा** के आधार पर

अन्य उद्देश्य: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडीकृत मूल्य {जिसे **केंद्रीय निर्गम मूल्य** (Central Issue Price: CIP) कहा जाता है} पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए **"पात्र परिवारों"** के संबंधित व्यक्तियों को **कानूनी अधिकार प्रदान करना।**

प्रमुख विशेषताएं

जीवन चक्र दृष्टिकोण	**बच्चे (6 माह-14 वर्ष)** 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड। **गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं** आंशिक वेतन मुआवजे के रूप में कम से कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा।
लाभ	अंत्योदय अन्न योजना (AAY) **35 किग्रा प्रति परिवार प्रति माह** प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH) **5 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह** चावल **3 रुपये** प्रति किग्रा **गेहूं 2 रुपये** प्रति किग्रा **मोटा अनाज 1 रुपये** प्रति किग्रा
अन्य लाभ	**खाद्य सुरक्षा भत्ता:** खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी हकदार होंगे **महिला सशक्तीकरण:** राशन कार्ड घर की सबसे वरिष्ठ महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को जारी किया जाता है **शिकायत निवारण तंत्र:** जिला और राज्य स्तर पर **दंड शुल्क:** जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत के अनुपालन में विफल रहने पर लोक सेवक/प्राधिकारी पर आरोपित है

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY)	• **उद्देश्य:** 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक **सभी पात्र परिवारों को मुफ्त चावल, गेहूं और मोटे अनाज** उपलब्ध कराना।
	• इसे NFSA की **धारा 3** के तहत आरंभ किया गया है।
	  ○ NFSA की अनुसूची-1 के अनुसार, **केंद्र सरकार कार्यकारिणी शक्ति द्वारा इन अनाजों की रियायती कीमतों में परिवर्तन कर** सकती है।
	  ○ हालांकि परिवर्तित मूल्य, **गेहूं और मोटे अनाज के MSP तथा चावल के लिए जारी किए गए MSP से अधिक नहीं** होने चाहिए।

कार्यान्वयन			
	संयुक्त जिम्मेदारी	केंद्र की जिम्मेदारी	आवश्यक खाद्यान्न का आवंटन, खाद्यान्न का परिवहन, FCI के गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) तथा फिर निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना आदि।
		राज्यों की जिम्मेदारी	पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना आदि का प्रभावी कार्यान्वयन करना।

8.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONE NATION ONE RATION CARD: ONORC)	केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **उद्देश्य:** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा NFSA के तहत जारी किए गए **राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी** को लागू करना।
- पहले इसे **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)** के रूप में जाना जाता था।
- लाभार्थी देश में किसी भी **ePoS (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) सक्षम उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपने हक का खाद्यान्न प्राप्त** कर सकते हैं।
- वे **मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण** के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (2/2)			
अपना राशन प्राप्त करने के लिए, इन सरल प्रक्रियाओं का अनुपालन कीजिए:			
कार्य समय के दौरान PoS सक्षम राशन की दुकान पर जाएँ	आधार नंबर या आधार से जुड़ा राशन कार्ड दिखाएं	दुकान पर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को पूरा करें	अपना NFSA खाद्यान्न कोटा प्राप्त करें

मूल्य स्थिरता कोष (Price Stabilization Fund: PSF)

- **उद्देश्य:** कुछ कृषि-बागवानी जिंसों जैसे **प्याज, आलू और दालों में मूल्य अस्थिरता** का समाधान करना। जिंसों की खरीद की जाती है तथा उन्हें भंडारित (स्टॉक) किया जाता है।
- स्टॉक के अंशांकित मोचन (कैलिब्रेटेड रिलीज़) के माध्यम से उचित कीमतों पर ऐसी जिंसों की आपूर्ति करके उपभोक्ताओं की सुरक्षा की जाती है।
- फार्म गेट (कृषि स्थल) / मंडी में किसानों / किसान संघों से सीधी खरीद को प्रोत्साहन दिया जाता है।
- इस कोष का **बाजार हस्तक्षेप संचालन हेतु केंद्रीय एजेंसियों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/एजेंसियों को कार्यशील पूंजी का ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान करने के लिए उपयोग** किया जाता है।

नोट: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वर्ष 2003 में एक मूल्य स्थिरता कोष भी स्थापित किया गया था, ताकि कॉफी, चाय, रबर और तंबाकू के लघु उत्पादकों को (चार हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे उत्पादक) वित्तीय राहत प्रदान की जा सके। हालांकि, यह वित्तीय राहत इन जिंसों की कीमत प्राइस स्पेक्ट्रम बैंड/मूल्य विस्तार सीमा से नीचे आ जाने तक प्रदान की जाती रही है।

© Vision IAS

9. सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation)

9.1. डेयरी सहकार योजना (Dairy Sahakar Scheme)

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** "सहकार से समृद्धि तक" दृष्टिकोण को साकार करना।
- **परियोजना लागत सीमा:** परियोजना लागत की **कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं** है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) कार्यान्वयन एजेंसी है।**
- **अवधि: वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक।**

उद्देश्य: यह सहकारी समितियों को ESG (पर्यावरण, संधारणीयता और गवर्नेंस) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी फ्रेमवर्क पर केंद्रित है। साथ ही, "किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

क्या आप जानते हैं?

- NCDC को भारत सरकार ने वर्ष **1963 में** संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया था। **यह मुख्य रूप से स्थानीय, जिला, शीर्ष/बहु-राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के लिए स्थापित एक शीर्ष स्तर की वैधानिक स्वायत्त संस्था है।**
- यह सरकार के किसी भी बजटीय समर्थन के बिना, **खुले बाजार के सिद्धांतों** पर कार्य करता है।

प्रमुख विशेषताएं

योग्यता	• **पंजीकृत कोई सहकारी समिति या** • कोई भी FPO/SCH (सहकारी), जिसके उप-नियमों में डेयरी से संबंधित गतिविधियों को संपन्न करने के लिए उपयुक्त प्रावधान हों
वित्तीय सहयोग	• **NCDC द्वारा विस्तारित।** • **गोजातीय विकास, खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन** जैसी गतिविधियों के लिए। • **ऋण अवधि: 5 से 8 वर्ष**, जिसमें मूलधन के भुगतान पर 3 वर्ष का ऋण स्थगन (moratorium) शामिल है।
सहायता प्रतिरूप	• **राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम** से या **NCDC के प्रत्यक्ष वित्त पोषण दिशा-निर्देशों और पात्र योजना के मानदंडों को पूरा करने वाली सहकारी समितियों के** माध्यम से
सहायक गतिविधियां और सेवाएं	**कुछ प्रमुख सहायक गतिविधियों को शामिल किया गया है:** नवीकरणीय ऊर्जा; सूचना और संचार प्रौद्योगिकी; पशु चारा/आहार पूरक का उत्पादन; PET बोतल / पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन; अनुसंधान और विकास; डेयरी संबंधित देखरेख सेवाएं
अन्य मुख्य प्रावधान	• **गुरुग्राम स्थित लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी (LINAC) के माध्यम से** सहकारी समितियों की क्षमता का निर्माण करना। • **केंद्र या राज्य या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तंत्र** की अन्य पहलों के साथ **अभिसरण।**

9.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

आयुष्मान सहकार योजना (Ayushman Sahakar Scheme)

- **लक्ष्य:** समग्र स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, शिक्षा और सेवाओं पर **सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता** प्रदान करना
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)**
- **NCDC निम्नलिखित के लिए सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है-**
  - PHCs स्थापित करने के लिए, तथा

- ○ चिकित्सा शिक्षा, नैदानिक सेवाओं, दवा व्यवसायों, ब्लड बैंकों आदि का समर्थन करने के लिए।
- परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए **कार्यशील पूंजी** (working capital) और **मार्जिन मनी** (margin money) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान (interest subvention) उपलब्ध करवाया जाएगा।

युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना (YUVA SAHAKAR-COOPERATIVE ENTERPRISE SUPPORT AND INNOVATION SCHEME)

- **लक्ष्य: युवाओं को** सहकारी व्यावसायिक उपक्रमों की ओर आकर्षित करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)**
- **योग्यता: कम से कम एक वर्ष से संचालित सभी प्रकार की सहकारी समितियां।**
- **वित्त-पोषण:** NCDC द्वारा निर्मित **कोऑपरेटिव स्टार्ट-अप एंड इनोवेशन फंड (CSIF)** से जुड़ा हुआ है।

प्रोत्साहन राशि	वित्त-पोषण
• इस योजना में मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष के अधिस्थगन सहित परियोजना के लिए ब्याज दर, प्रचलित सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर (3 करोड़ रुपये तक) से **2%** कम होगी।	• परियोजना लागत का **70%** तक और • निम्नलिखित से जुड़ी सहकारी समितियों के लिए **80%** तक: ○ उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ○ आकांक्षी जिले, तथा ○ महिला या SC या ST या PwD सदस्य।

सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना {Sahakar Mitra: Scheme on Internship Programme (SIP)}

- **उद्देश्य:** सहकारी संस्थानों को युवा पेशेवरों के नवीन और प्रगतिशील विचारों तक पहुँचने में सहयोग करना। साथ ही, युवाओं को क्षेत्र में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** NCDC.
- **पात्रता:**
  - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे विषयों में पेशेवर स्नातक या
  - कृषि-व्यवसाय, सहकारिता, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, IT आदि में MBA की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं
- संगठनात्मक संदर्भ में कौशल एवं ज्ञान का उपयोग करके सीखने का अनुभव प्राप्त करने के लिए **युवा पेशेवरों को लघु अवधि (चार महीने से अधिक नहीं) का अवसर प्रदान करना।**

© Vision IAS

10. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs)

10.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

MCA21 परियोजना (MCA21 Project)

- **उद्देश्य:** नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी गेटवे (NSDG) के साथ अंतर-प्रचालनीयता प्राप्त करना।

यह भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई-गवर्नेंस परियोजना है।	कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रवर्तन और अनुपालन का पूर्ण स्वचालन सुनिश्चित किया जाएगा।	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।	MCA 3.0: ई-अधिनिर्णयन, ई-परामर्श आदि के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल प्रदान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय CSR डेटा पोर्टल (National CSR Data Portal)

- **उद्देश्य:** यह पात्र कंपनियों द्वारा अपने वित्तीय विवरण में MCA21 रजिस्ट्री पर दाखिल की गई **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों** और जानकारी को प्रसारित करने का एक मंच है।

कॉरपोरेट डेटा पोर्टल (Corporate Data Portal)

- **उद्देश्य:** यह पोर्टल कंपनियों की **सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी (वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट और विभिन्न कार्यक्रम-आधारित फाइलिंग सहित) को सार्वजनिक अवलोकन** के लिए उपलब्ध कराएगा।

कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (SPICe+)

- **उद्देश्य:** भारत में व्यवसाय शुरू करने में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं, लगने वाले समय और लागत की बचत करना। यह **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB)** की दिशा में भारत सरकार की विभिन्न पहलों और प्रतिबद्धताओं का एक भाग है।
- SPICe+ वस्तुतः केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों एवं विभागों तथा एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु एक **एकीकृत वेब फॉर्म** है।

3 मंत्रालय		
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग

स्वतंत्र निदेशकों का डेटाबैंक (Independent Directors' Databank)

- **उद्देश्य:** भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानकों का विकास करने के लिए मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों को **सक्षम बनाना।**
- **निम्नलिखित की व्यापक रिपोजिटरी(Comprehensive repository)** का निर्माण किया जाएगा:
  - **मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों की**
  - स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक और योग्य **व्यक्तियों** की
- **सभी स्वतंत्र निदेशकों को** डेटा बैंक के साथ अपना **पंजीकरण कराना आवश्यक** है।
- **कंपनियां भी** स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज, चयन और उनसे संपर्क करने हेतु अपना **पंजीकरण करा सकती हैं।**

11. संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture)

11.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

प्रोजेक्ट मौसम (Project Mausam)

- **उद्देश्य: बहुआयामी हिन्द महासागर के संदर्भ में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसंधान करना** है ताकि **विविधता से भरे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं धार्मिक अंतर्संबंधों को उजागर किया जा सके।**
- **अन्य उद्देश्य:** इस प्रोजेक्ट के तहत **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ट्रांस-नेशनल नामांकन के रूप में** शामिल किए जाने हेतु **स्थलों एवं साईटों की पहचान करना।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India: ASI)**
  - इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा अनुसंधान संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है।
- **अवधि:** 2023 तक

प्रोजेक्ट मौसम के केंद्र-बिंदु		
मानसून की पद्धतियां	**सांस्कृतिक मार्ग**	**समुद्री परिदृश्य**

दो **ट्रांस-नेशनल नामांकन** तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है	
दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में चोलों द्वारा उपयोग किए गए मार्ग	**दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अपनाए गए** भूमि एवं समुद्री मार्ग

स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस {Scheme for Promotion of Culture of Science (SPOCS)}

- **उद्देश्य:** प्रदर्शनी, सेमिनार, लोकप्रिय व्याख्यान आदि का आयोजन करके **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना** तथा **उद्योग एवं मानव कल्याण में इनके विकास तथा अनुप्रयोग का वर्णन करना।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन)।

निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है		
साइंस सिटी, साइंस सेंटर, इनोवेशन हब की स्थापना का	मौजूदा साइंस सिटी/साइंस सेंटर/इनोवेशन हब के आधुनिकीकरण/उन्नयन का	डिजिटल तारामंडल / अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान शिक्षा केंद्र (SAEC) की स्थापना का

सेवा भोज योजना (SEVA BHOJ SCHEME)

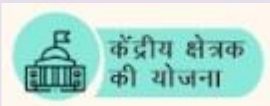

- **उद्देश्य :** परोपकारी धार्मिक संस्थानों के वित्तीय बोझ को कम करना।
- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना**
- यह सभी परोपकारी धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मठ, बौद्ध मठ आदि पर लागू होता है,
- **निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति की जाएगी**
  - **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) की** और
  - **IGST में केंद्र सरकार के हिस्से की**
  - जनता को निःशुल्क भोजन देने के लिए विशिष्ट कच्चे खाद्य पदार्थों की खरीद पर उपर्युक्त दो करों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

© Vision IAS

सांस्कृतिक मानचित्रण एवं रोडमैप पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Cultural Mapping and Roadmap)

- **उद्देश्य:** एक मजबूत आईटी-सक्षम मंच पर **निम्नलिखित का एक व्यापक डेटा बेस विकसित करना-**
    - कलाकार, कला रूप का और
    - सांस्कृतिक संगठनों से एकत्रित अन्य संसाधनों का।
- **यह 'कला संस्कृति विकास योजना'** नामक एक अम्ब्रेला योजना का भाग है।
- **यह सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा,** कलाकारों को सहायता प्रदान करेगा और रोजगार सृजित करेगा।

गुरु-शिष्य परम्परा योजना (Guru Shishya Parampara Scheme)

- **उद्देश्य: हमारी मूल्यवान परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना।**
- **गुरु द्वारा शिष्यों को दुर्लभ और लुप्त हो रही कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है।**
- **6 माह से 1 वर्ष की अवधि वाली एक योजना के लिए मासिक पारिश्रमिक**
    - **गुरु के लिए** – 7,500/- रुपये,
    - **सहयोगी के लिए** – 3,750/- रुपये और
    - **शिष्य के लिए** - 1,500/- रुपये प्रति शिष्य।

आदर्श स्मारक (Adarsh Smarak)

- **उद्देश्य: स्मारकों के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं** प्रदान करना है, जैसे कि ऑडियो-वीडियो केंद्र, अपशिष्ट जल व कचरा निपटान इत्यादि को व्यवस्थित करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)**

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (National Mission on Manuscripts)

- **उद्देश्य:** पांडुलिपियों का संरक्षण और उनमें निहित ज्ञान का प्रसार करना।
- **भारतीय पांडुलिपि विरासत की पहचान करने, प्रलेखन करने, संरक्षण करने तथा उसे सर्वसुलभ बनाने हेतु**
- **एक पांडुलिपि होती है-**
    - कागज, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते या किसी अन्य सामग्री पर **हस्तलिखित रचना,**
    - **जो कम से कम 75 वर्ष प्राचीन हो,**
    - **इसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक महत्व हो।**
- **लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पाण्डुलिपि नहीं होती हैं।**

सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम (Cultural Heritage Youth Leadership Programme: CHYLP)

- **उद्देश्य:** युवाओं के मध्य **भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की समझ विकसित करना।**
- यह पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों की बेहतर समझ हेतु उनसे स्थानीय भाषाओं में संवाद करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं की सुरक्षा के लिए योजना

(Scheme for Safeguarding the Intangible Heritage and Diverse Cultural Traditions of India)

- **उद्देश्य:** इसके तहत **विभिन्न संस्थानों,** समूहों, व्यक्तियों, संस्कृति मंत्रालय से इतर संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं और विद्वानों को **पुनः सक्रिय एवं प्रभावी बनाना है,** ताकि **वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (ICH) को सुदृढ़, संरक्षित, परिरक्षित** एवं बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों/परियोजनाओं में संलग्न हो सकें।
- **सहायता: गैर-आवर्ती अनुदान, मानदेय** आदि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

12. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

12.1. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** वेतन और पेंशन को कम करके उपलब्ध संसाधनों को सैन्य आधुनिकीकरण हेतु प्रयोग करना
- **तरीका:** अल्पकालिक भर्ती मॉडल या 'टूर ऑफ ड्यूटी' (ToD)
- **अग्निवीर के लिए योग्यता:** अन्य अर्हता मानदंडों को पूरा करने के साथ **17.5 वर्ष से 21 वर्ष** (वर्तमान वर्ष की भर्ती के लिए 23 वर्ष) की आयु।
- **लाभ:** नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार के साथ युवाओं को सशक्त व अनुशासित बनाना और कौशल प्रदान करना

अन्य उद्देश्य: सशस्त्र बलों में युवाओं की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना और यह सुनिश्चित करना कि युवा एक परिसंपत्ति बने रहें।

प्रमुख विशेषताएं

अग्निवीर	• **अधिकारी रैंक (PBOR) से नीचे के कार्मिक के रूप में भर्ती** ○ **थलसेना,** ○ **वायुसेना और** ○ **नौसेना** • **यह भर्ती चार वर्ष के लिए की जाएगी जिसमें छह माह का प्रशिक्षण भी शामिल होता है।** • प्रतिवर्ष लगभग **45,000 से 50,000** भर्तियां की जाएंगी।
अग्निवीरों को प्रदत्त वेतन पैकेज	"सेवा निधि" पैकेज (आयकर से छूट) — सेवा पूरी होने पर, योगदान और ब्याज सहित 11.71 लाख रुपये,
स्थायी नियुक्ति	• कुल भर्तियों के **25%** भाग को स्थायी कमीशन के तहत **अगले 15 वर्षों तक सेवा में रहने की अनुमति दी जाएगी।**
अग्निवीरों के लिए सहायक उपाय	• चार वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों के लिए पूर्णकालिक नौकरी में; ○ **रक्षा मंत्रालय ने-** भारतीय तटरक्षक एवं रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में **10% आरक्षण की घोषणा की है।** ○ **गृह मंत्रालय ने-** अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में 10% आरक्षण की घोषणा की है। ○ **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने-** मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों के सरल प्रवेश की घोषणा की है।

12.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF) योजना

- **निधि के अंतर्गत प्रति प्रोजेक्ट को प्रदान किए जाने वाले अनुदान को** 10 करोड़ रुपये से **बढ़ाकर** 50 करोड़ रुपये किया गया है।
  - **इसे मेक इन इंडिया के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
  - योजना के कार्यान्वयन में **सहायक एजेंसी** के रूप में DRDO ने **इन्वेस्ट इंडिया** के साथ भागीदारी की है।
- **उद्देश्य:** रक्षा अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक प्रणालियों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक पारितंत्र का निर्माण करना।
  - यह योजना रक्षा बलों की प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए **MSMEs और स्टार्ट-अप** द्वारा **घटकों, उत्पादों, प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों** के स्वदेशी विकास को सहायता प्रदान करती है।

रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना {Defence Testing Infrastructure (DTI) Scheme}

- **उद्देश्य: निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक परीक्षण अवसंरचना का** निर्माण करके घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना।

© Vision IAS

- **रक्षा और एयरोस्पेस संबंधी उत्पादन के लिए 6-8 ग्रीनफील्ड DTI सुविधाओं की स्थापना करना।**
- योजना के अंतर्गत SPVs को **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत पंजीकृत किया जाएगा। केवल भारत में पंजीकृत **निजी संस्थाएं और राज्य सरकार की एजेंसियां** ही SPVs के सृजन हेतु पात्र होंगी।

परियोजना में वित्तीय सहायता	
सहायता अनुदान	75%
विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा	25%

वन रैंक वन पेंशन योजना (One Rank One Pension Scheme)

- **लक्ष्य**: सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी हो, **समान पेंशन** प्रदान करना।
- **कवरेज**: **30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त** हुए सशस्त्र बल कार्मिक तथा युद्ध विधवाओं और अशक्त पेंशनभोगी सहित कुटुंब पेंशनभोगी।
- **अपवर्जन: स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त (VRS) होने वाले कर्मियों** को OROP योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- भविष्य में पेंशन की राशि **प्रत्येक 5 वर्ष में पुनः निर्धारित** की जाएगी।

नोट: OROP से पूर्व, वेतन आयोग की उस समय की संस्तुतियों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को तब से पेंशन प्रदान की जाती थी, जब वे सेवानिवृत्त हुए थे।

राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा (National Integration Tour)

- **लक्ष्य**: ये शैक्षिक एवं प्रेरणादायी यात्राएं हैं। इनका उद्देश्य देश की समृद्ध विरासत के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक एवं उद्योग संबंधी जारी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
- **लाभार्थी:** जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के युवा
- **लाभ**: युवाओं के लिए करियर विकल्प और प्रसिद्ध हस्तियों के साथ बातचीत।

मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति (Mission Raksha Gyan Shakti)

- **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण परिवेश में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की संस्कृति को विकसित करना है।

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

13. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region)

13.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम(North East Special Infrastructure Development Scheme: NESIDS)

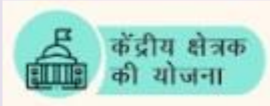

- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना**
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्यों के निर्दिष्ट क्षेत्रकों में अवसंरचनाओं के सृजन से संबंधित अंतराल को समाप्त करना था।
- **परियोजना समर्थन करती है:**
  - **भौतिक अवसंरचना-** जलापूर्ति, विद्युत, कनेक्टिविटी और विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित भौतिक अवसंरचना निर्मित करना।
  - **सामाजिक क्षेत्रों के लिए अवसंरचना-** प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए अवसंरचना निर्मित करना।

अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (Non-Lapsable Central Pool of Resources: NLCPR)

- **उद्देश्य:** बजटीय वित्त-पोषण को बढ़ाकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) में **अवसंरचनाओं का तीव्र विकास सुनिश्चित करना।**
- **निधिकरण का तरीका: 90:10 (केंद्र:राज्य)**
- सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी **भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना** का निर्माण करना।
- कोई राज्यवार बजटीय आवंटन नहीं।
- **सभी गैर-छूट वाले केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को NER में सकल बजटीय सहायता (GBS) का कम से कम 10%** खर्च करना अनिवार्य है।

उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास योजना (North East Road Sector Development Scheme: NERSDS)

- **उद्देश्य:** NER में **सड़कों की कुछ श्रेणियों** (सड़कों पर पुलों सहित) का पुनरुद्धार/निर्माण/उन्नयन।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: उत्तर पूर्वी परिषद** (NEC)

सहायता प्राप्त सड़कों की श्रेणियां			
अंतर्राज्यीय सड़कें	सामाजिक-राजनीतिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों की सड़कें	सुरक्षा या रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक सड़कें	कृषि उपज और आर्थिक महत्व की वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त सड़कें

पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (North Eastern Region Community Resource Management Project: NERCORMP)

- **उद्देश्य:** इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने और आजीविका विकास से संबंधित स्थानीय संस्थानों को सुदृढ़ करके आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के आजीविका विकल्पों में संधारणीय तरीके से सुधार करना है।
- **यह एक आजीविका और ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट है।**
- **समुदायों और सहयोगी गैर-सरकारी संगठनों** के माध्यम से पहलें की जाएगी।
- **वित्त-पोषण:** अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) और उत्तर पूर्वी परिषद
- **कवरेज:** अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय
- **प्रमुख गतिविधियां:** क्षमता-निर्माण, आजीविका संबंधी गतिविधियां, विस्तार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि

सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि (Social and Infrastructure Development Fund: SIDF)

- **उद्देश्य:** मुख्यतः अधोलिखित हेतु NER के **सार्वजनिक खाते में इस निधि को बनाया गया है-**
  - उत्तर पूर्वी **क्षेत्र**, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों **(जो उन विशेष समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनका समाधान**

सामान्य योजनाओं द्वारा नहीं किया जा सकता है) के प्रति **समर्पित है।**

- यह मुख्यतः **एकमुश्त पैकेज** है। इसमें उन परियोजनाओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

आत्मानिर्भर हस्तशिल्पकर योजना (Atmanirbhar Hastshilpkar Scheme)

- **शुरू किया गया: पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi) द्वारा**
- **उद्देश्य**: आय सृजन गतिविधियों के लिए सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके NER के **छोटे कारीगरों का विकास करना**।.
- **ऋण सुविधा:** ऋण सुविधा **जमानत मुक्त (Collateral Free)** है और इसमें 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर है, जिसे 24 महीनों में चुकाया जा सकता है।

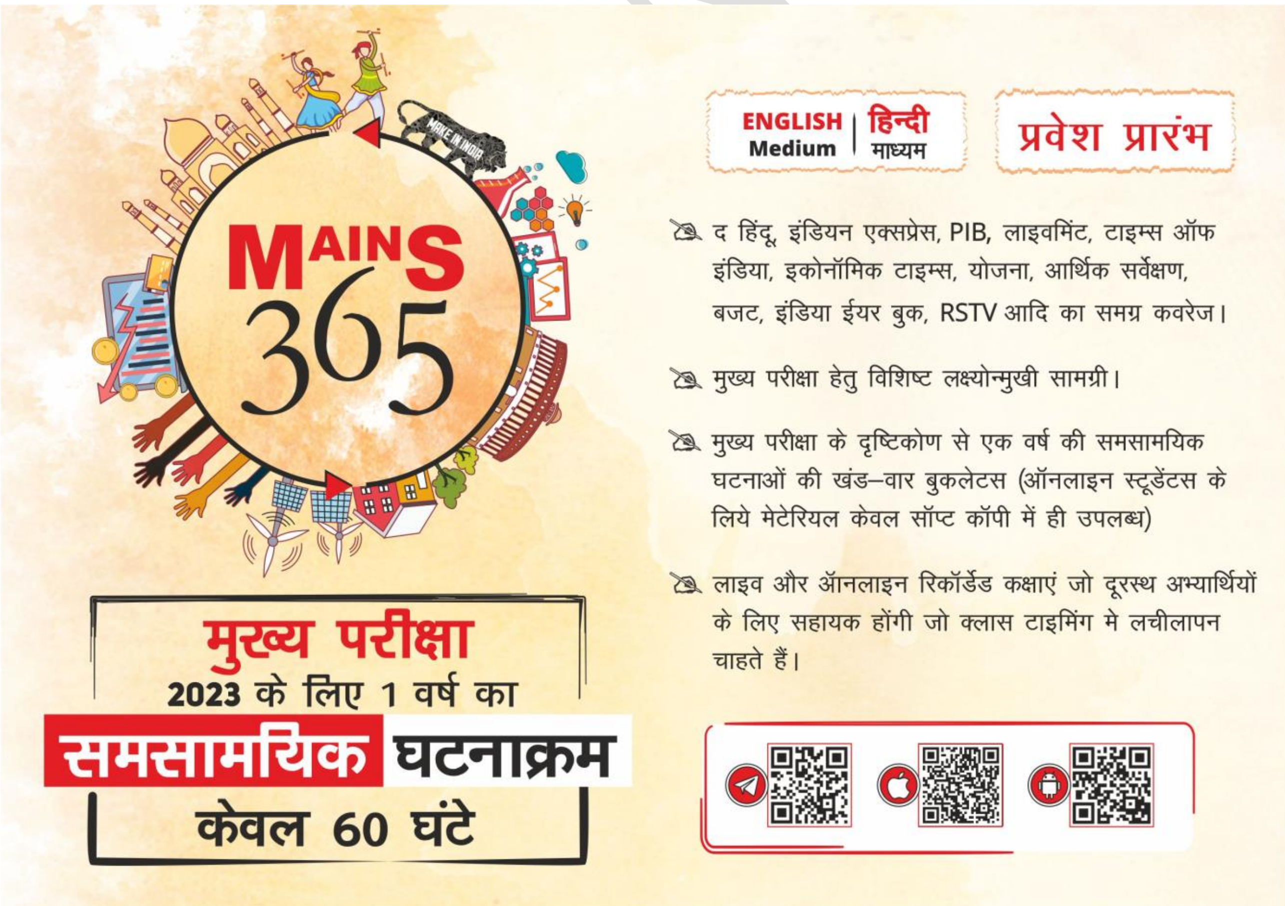

14. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences)

14.1. वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण, प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (Atmosphere and Climate Research – Modelling, Observing Systems and Services: Across)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य:** बेहतर मौसम, जलवायु, महासागरीय पूर्वानुमान और सेवाएं प्रदान करना,
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय(MoES) द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) जैसी इकाइयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है
- **अवधि:** 2021-2026 (विस्तारित)

अन्य उद्देश्य: विश्वसनीय मौसम और जलवायु सेवा प्रदान करने के लिए **वास्तविक समय में मौसम, जलवायु और अन्य संकटमय घटनाओं के पूर्वानुमान में सुधार** हेतु अनुसंधान एवं विकास का संचालन करना।

प्रमुख विशेषताएं

कार्यान्वयन	संबंधित संस्थानों के माध्यम से **एकीकृत तरीके से कार्यान्वित किया गया है**
9 उप-कार्यक्रमों के लिए 4 कार्यान्वयन एजेंसियां	
IMD	• पोलारिमेटिक डॉपलर मौसम रडार को प्रवर्तन में लाना (DWRs) • पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन • मौसम और जलवायु संबंधी सेवाएं • वायुमंडलीय प्रेक्षण प्रणाली
IITM, पुणे	• मानसून संवहन, मेघ और जलवायु परिवर्तन (MC4) • उच्च-निष्पादन कंप्यूटिंग सिस्टम (HPSC) • नेशनल फेसिलिटी फॉर एयरबोर्न रिसर्च (NFAR)
IITM और INCOIS	• मानसून मिशन 2 जिसमें हाई रिजोल्यूशन (12 कि.मी.) **ग्लोबल एनसेंबल फोरकास्ट सिस्टम** (नीति आयोग की पहचान की गई गतिविधि) शामिल है
NCMRWF	• मौसम और जलवायु की संख्यात्मक मॉडलिंग

14.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

'नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क' {Knowledge Resource Centre Network (KRCNet)}

- **उद्देश्य:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के **पारंपरिक पुस्तकालयों को** नॉलेज रिसोर्स सेंटर (KRC) के रूप में अपग्रेड करना।
- KRCs को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा और **KRCNet पोर्टल पर एकीकृत किया जाएगा।**

मौसम ऐप (Mausam App)

- **उद्देश्य:** https://mausam.imd.gov.in/ पर उपलब्ध मौसम संबंधी सूचना के लिए निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच प्रदान करना।

5 सेवाएं प्रदान करता है				
वर्तमान समय के मौसम की जानकारी	नाऊकास्ट (प्रति घंटे स्थानीयकृत चेतावनी)	शहर का पूर्वानुमान	चेतावनी	रडार से उपलब्ध जानकारी

© Vision IAS

वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research: SAFAR)

- **उद्देश्य: यह एक शोध आधारित प्रबंधन प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां वायु प्रदूषण शमन की रणनीति देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ चलती है।**
- **महानगरीय शहरों में लगभग रियल टाइम में वायु की गुणवत्ता संबंधी स्थान विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है।**
- 1-3 दिन तक के लिए वायु गुणवत्ता संबंधी अग्रिम पूर्वानुमान (भारत में पहली बार) भी प्रदान करता है।
- मौसम के मापदंडों से संबंधित **पूर्व की चेतावनी प्रणाली** से संबद्ध है।

महासागर सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान: ओ-स्मार्ट) {Ocean Services, Technology, Observations, Resources Modelling and Science (O-SMART)}

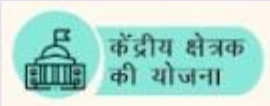

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **अवधि:** 2021-2026
- **उद्देश्य:** निरंतर अवलोकन के आधार पर **महासागरीय संसाधनों** (सजीव और निर्जीव दोनों) **के संधारणीय दोहन** के लिए **पूर्वानुमान एवं सेवाएं** प्रदान करना
- इस योजना में **महासागर विकास गतिविधियों**, जैसे- सागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, संसाधनों, अवलोकनों और विज्ञान **से संबंधित 16 उप-परियोजनाएं शामिल हैं।**
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:**
    - राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई
    - भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), हैदराबाद
    - राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR), चेन्नई
    - समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र (CMLRE), कोच्चि
    - राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा

गगन आधारित समुद्री संचालन और जानकारी उपकरण: जेमिनी {Gagan Enabled Mariner's Instrument for Navigation and Information (GEMINI) device}

- **उद्देश्य:** आपदा संबंधी चेतावनी के लिए **आपातकालीन जानकारी और संचार** तथा समुद्री राज्यों में मछुआरों के लिए चेतावनी तथा संभावित मत्स्य क्षेत्र (PFZ) और महासागरीय स्थिति पूर्वानुमान (OSF) जारी करना।
- **गगन उपग्रह** से प्राप्त डेटा को ब्लूटूथ संचार के माध्यम से मोबाइल में **प्राप्त और स्थानांतरित करता है।**
- **यह INCOIS** द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन सूचना को डिकोड करता है **और सूचना को नौ क्षेत्रीय भाषाओं में** प्रसारित करता है।

15. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)

15.1. समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना (Samagra Siksha- An Integrated Scheme for School Education)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** प्री-स्कूल **से लेकर कक्षा 12 तक** विस्तारित स्कूली शिक्षा के सुधार हेतु
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (SIS)।
- **अवधि: वर्ष** 2021 से 2026 तक

अन्य उद्देश्य:

- सार्वभौमिक **पहुंच, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा के व्यवसायीकरण** को बढ़ावा देना और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) को मजबूत करना।
- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• समग्र शिक्षा **विद्यालयी शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक का एक व्यापक कार्यक्रम है।** • **इस योजना में निम्नलिखित तीन योजनाएं शामिल हैं:**		
	सर्व शिक्षा अभियान- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार विद्यालय के बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा तक पहुं को सर्व सामान्य बनाना।	**राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)-** • **माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करना।** • **सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाना,** • **लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक और दिव्यांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना।**	**शिक्षक शिक्षा योजना-** • **प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक ठोस संस्थागत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और** • **प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए शैक्षणिक संसाधन सहायता प्रदान कना।**
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप अन्य प्रमुख पहलें	"सार्थक' (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति: SARTHAQ) योजना NEP, 2020 के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप और आगे की राह निर्धारित करती है।		
	निपुण भारत ((NIPUN BHARAT- बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल)- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त करें।		
	फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (FLS)- इसे कक्षा 3 के छात्रों के बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के स्तर का आकलन करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसे 2022 में निपुण-भारत मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय और NCERT द्वारा लागू किया गया था।		
	विद्या प्रवेश NCERT द्वारा विकसित 3 माह का खेल आधारित 'स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल' है।		
	विद्यांजलि 2.0 समुदाय/स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने या संपत्ति/सामग्री/उपकरण के रूप में योगदान देने हेतु सीधे अपनी पसंद के स्कूलों के साथ संपर्क करने और जुड़ने में मदद करने के लिए स्थापित एक वेब पोर्टल है।		
	बारहवीं कक्षा तक आवासीय और स्कूली शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBVs) का उन्नयन।		

© Vision IAS

<table>
<tr><td></td><td>पहाड़ी इलाकों तथा छोटे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (आवासीय विद्यालय) की स्थापना। यह विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए स्थापित किए जाएंगे जिन्हें किसी भी वयस्क की सुरक्षा प्राप्त नहीं है और जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता है।

निष्ठा 4.0 (ECCE) - यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।</td></tr>
<tr><td>निपुण भारत</td><td>

- **मिशन का फोकस**
  - विद्यालयी शिक्षा के प्रारम्भिक वर्षों में **बच्चों को शिक्षा विद्यालय तक पहुंच प्रदान कराना और उसे बनाए रखना**
  - **शिक्षक क्षमता निर्माण**
  - **प्रत्येक बच्चे के** सीखने की क्षमता **की प्रगति पर नजर रखना**
  - उच्च गुणवत्ता और विविधता वाली छात्र और शिक्षक शिक्षण सामग्री का विकास करना
- **कार्यान्वयन रणनीति: राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-विद्यालय स्तर पर पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा।**

<table>
<tr><th colspan="6">राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका</th></tr>
<tr><td>अपने-अपने FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहु-वर्षीय कार्य योजनाएं बनाना</td><td>एक राज्य विशिष्ट और विभिन्न चरणीय कार्य योजना तैयार करके राष्ट्रीय मिशन को प्रासंगिक बनाएं</td><td>प्री-प्राइमरी से कक्षा 3 तक पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना</td><td>प्रारंभिक कक्षाओं में नामांकित प्रत्येक बच्चे के डेटाबेस की मैपिंग</td><td>छात्रों को किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण सुनिश्चित करना</td><td>स्कूल/सार्वजनिक पुस्तकालय को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>शिक्षा शब्दकोश</td><td>• यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) द्वारा तैयार स्कूली शिक्षा से संबंधित विभिन्न शब्दावली की एक सूची है।</td></tr>
<tr><td>समग्र शिक्षा ढांचा</td><td>• इसे DoSEL द्वारा जारी किया गया है।
• यह समग्र शिक्षा के प्रत्येक घटक के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) और प्रत्येक घटक के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय विवरण प्रदान करता है।</td></tr>
<tr><td>RTE अधिनियम, 2009 में संशोधन</td><td>• सामान्य विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात के संबंध में RTE अधिनियम, 2009 की अनुसूची में संशोधन किया गया है।
<table><tr><td>प्राथमिक स्तर पर: प्रत्येक दस नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षक</td><td>उच्च प्राथमिक स्तर पर: प्रत्येक पंद्रह नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षक</td></tr></table>
</td></tr>
</table>

15.2. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan: RUSA)

स्मरणीय तथ्य

केंद्र प्रायोजित योजना

- **उद्देश्य:** राज्य स्तर पर योजनाबद्ध विकास के माध्यम से **उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में पहुंच, समानता और गुणवत्ता** संबंधी सुधार करना
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (SIS)।
- **अवधि:** 2026 तक

अन्य उद्देश्य

- विश्वविद्यालयों या मॉडल डिग्री कॉलेजों की **गुणवत्ता में वृद्धि करना** और **क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।**
- उच्चतर शिक्षा में **महत्वपूर्ण अवसंरचना से संबंधित कमियों की पहचान करना और उन्हें दूर करना** तथा **गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों/प्रोफेसरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।**
- **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों** को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

कवरेज	• **सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों तक।**
आवश्यक शर्तें	• **राज्यों द्वारा किए गए शैक्षणिक, प्रशासनिक और शासन संबंधी सुधारों को** शामिल करना।

ऊर्ध्वगामी (Bottom-up) दृष्टिकोण	• राज्यों को **उच्चतर शिक्षा की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक सोच और योजना बनाने** के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
इन मौजूदा योजनाओं को सम्मिलित किया गया है	• RUSA के पहले चरण में निम्नलिखित दो **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** को शामिल किया गया था। ○ **मॉडल डिग्री कॉलेज,** और ○ **पॉलिटेक्निक पर उप-मिशन** • **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की योजनाएं** जैसे कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए विकास अनुदान, एकमुश्त कैच अप अनुदान आदि RUSA में शामिल हैं।
गुणवत्ता और अनुसंधान संबंधी फोकस	• सभी संस्थान अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में **राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) प्रत्यायन को अपनाएंगे।**
अन्य प्रावधान	• केंद्रीय वित्त पोषण **मानक आधारित और परिणामों पर निर्भर** होगा। • **आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।**

15.3. स्टडी इन इंडिया (Study in India)

स्मरणीय तथ्य

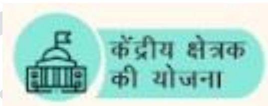

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य: विदेशी छात्रों के लिए** भारत को **एक पसंदीदा शिक्षण गंतव्य/हब** बनाना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इसका कार्यान्वयन एडसिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। एडसिल (इंडिया) लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी I कंपनी है।

अन्य उद्देश्य

- भारत में अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन को प्रोत्साहित करना।
- पड़ोसी देशों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ भारत की सॉफ्ट पॉवर क्षमता को बेहतर बनाना।
- वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत की बाजार भागीदारी को 1 प्रतिशत से भी कम से बढ़ाकर 2 प्रतिशत तक करना।

प्रमुख विशेषताएं

अंतर-मंत्रालयी पहल	**इसमें शामिल प्रमुख मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; गृह मंत्रालय; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यह **मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय** तथा **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** की एक संयुक्त पहल है।
भारतीय शिक्षा की प्राप्ति के अवसर	• **यह पहल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों** को शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले **मूल्यवान शैक्षिक अवसरों को प्राप्त करने हेतु** प्रोत्साहित करती है।
पसंदीदा देश	• यह कार्यक्रम दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व और अफ्रीका के **30 से अधिक चयनित देशों से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों** को आकर्षित करने पर केंद्रित है।
कार्यक्रम निम्नलिखित की परिकल्पना करता है	विदेशों में **भारतीय मिशनों** और भारत में विदेशी मिशनों **के साथ घनिष्ठ समन्वय**; लक्षित देशों में **ब्रांडिंग गतिविधियों** को प्रोत्साहित करना; **प्रवेश के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल जो** विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करता है; सहायता के लिए **कॉल सेंटर**; मेधावी उम्मीदवारों को सीटों के **आवंटन के लिए एल्गोरिथम**

15.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

पीएम ई-विद्या (PM eVIDYA)

- **उद्देश्य: यह डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है।** इसके तहत बच्चों को उनकी शिक्षा में होने वाले नुकसान को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम बनाने हेतु किया जाता है।

- यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है।
- **भारत में स्कूली शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के लिए पीएम ई-विद्या को यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है।** इसे ICT के उपयोग हेतु यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

पीएम श्री स्कूल(PM Shri Schools)

- **उद्देश्य:** ये **अत्याधुनिक स्कूल** होंगे और **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की प्रयोगशाला** के रूप में कार्य करेंगे।
- **यह छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु** पूरी तरह से तैयार/प्रतिबद्ध है।

विद्या समीक्षा केंद्र (VSK)

- **उद्देश्य: गुजरात शिक्षा विभाग के VSK की तर्ज पर** राष्ट्रव्यापी रूप से विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना करना।
- **यह शिक्षकों और छात्रों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति, छात्रों के सीखने के परिणामों के आवधिक आकलनों** आदि को ट्रैक करने में मदद करता है।
- **राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली को** NDEAR (नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर) VSK **के नाम से जाना जाएगा।**

भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) पहल

- IKS अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का एक **नवाचारी प्रकोष्ठ** है।
- **उद्देश्य:** कला और साहित्य, कृषि, मूलभूत विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में **समृद्ध विरासत और पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना।**
- IKS के सभी पहलुओं पर **अंतःविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IKS को** आगे के शोध और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए **संरक्षित और प्रसारित करना।**
- राजा मंत्री चोर सिपाही, पोशम पा, गिल्ली डंडा आदि उन **75 स्वदेशी खेलों में शामिल हैं जिन्हें IKS पहल के तहत स्कूलों में प्रारंभ किया जाएगा।**

स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स' (स्टार्स) प्रोजेक्ट

केंद्र प्रायोजित योजना

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य: भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी और मापन गतिविधियों में सुधार करना।**
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 तक।
- **बाहरी सहायता: विश्व बैंक** द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की गई।
- **कवरेज: 6 राज्य**

हिमाचल प्रदेश	राजस्थान	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	केरल	ओडिशा

- **इसे समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है।** इसके तहत **योजना** के उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो स्कूली शिक्षा को बढ़ाने में सीधे तौर पर मदद करेंगे।
- **यह धन की प्राप्ति और संवितरण को परिणामों से जोड़ती है** (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

विकेंद्रीकृत प्रबंधन के लिए योजना निर्माण और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना	माध्यमिक विद्यालय पूर्णता दर में सुधार	गवर्नेंस इंडेक्स स्कोर में सुधार
	कुछ मापन योग्य परिणाम	
चयनित राज्यों में ग्रेड 3 भाषा में न्यूनतम प्रवीणता	राज्यों के बीच क्रॉस-लर्निंग को सुविधाजनक बनाने के लिए साझेदारी विकसित करना।	मजबूत शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली

- **फोकस:**

पीएम ई-विद्या	मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा

प्रधान मंत्री शोध अध्येतावृत्ति योजना (Prime Minister's Research Fellowship: PMRF)	• **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना है, ताकि **नवाचार के माध्यम से विकास** की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

- **कवरेज:**
    - IITs, IISERs, भारतीय विज्ञान संस्थान (बेंगलुरु)
    - कुछ शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय/NITs जो विज्ञान और/या प्रौद्योगिकी डिग्री प्रदान करते हैं।
    - कोई भी **मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय**
- विज्ञान या इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में **PhD कार्यक्रम के लिए** चयनित उम्मीदवारों को **आकर्षक छात्रवृत्ति।**
- एक PMRF अध्येता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्वयं के PMRF अनुदान संस्थान के अलावा नजदीक के **ITI/पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज/स्कूल में सप्ताह में एक बार पढ़ाएगा।**

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)

केंद्र प्रायोजित योजना

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य: पात्र विद्यालयों में कक्षा I-VIII** में पढ़ने वाले **बच्चों की पोषण स्थिति में** सुधार करना।
- **अवधि: 2025-26** तक
- इसके तहत पात्र बच्चों को **सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक बार गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा।**
- **इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA)** के तहत लागू किया गया।

प्रति बच्चा प्रतिदिन भोजन मानदंड

स्तर	अनाज	दाल	सब्जियां	तेल एवं वसा	नमक और मसाले
प्राथमिक	100 ग्राम	20 ग्राम	50 ग्राम	5 ग्राम	आवश्यकता के अनुसार
उच्च प्राथमिक	150 ग्राम	30 ग्राम	75 ग्राम	7.5 ग्राम	आवश्यकता के अनुसार

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से **खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन।**
- इसे वर्ष 1995 में **मध्याह्न भोजन योजना** के रूप में शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (Rashtriya Avishkar Abhiyan: RAA)

- **उद्देश्य:** अवलोकन, प्रयोग कार्य, अनुमान ड्राइंग आदि के माध्यम से **विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में 6-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रेरित और संलग्न करना।**
- **यह SSA** और **RMSA दोनों का एक उप-घटक है।**
- **इसके अंतर्गत नवोन्मेषी कार्यक्रमों, छात्रों के आदान-प्रदान आदि के माध्यम से IITs/ IIMs/ IISERs** और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा प्रतिष्ठित संगठनों जैसे संस्थानों द्वारा परामर्श दिया जाता है।

उन्नत भारत अभियान (Unnat Bharat Abhiyan)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **उद्देश्य:** समावेशी भारत के निर्माण के लिए **ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास** प्रक्रियाओं में रूपांतरकारी परिवर्तन करना।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मुद्दों की पहचान करने** और **उनके लिए संधारणीय समाधान** खोजने में उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) के **संकाय और छात्रों** को सुविधा प्रदान करना।
- **उन्नत भारत अभियान 2.0** को कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों तक बढ़ाया गया है।

© Vision IAS

तकनीकी हस्तक्षेप के लिए चयनित क्षेत्र				
संधारणीय कृषि	जल संसाधन प्रबंधन	कारीगर, उद्योग और आजीविका	बुनियादी सुविधाएं (अवसंरचना और सेवाएं)	ग्रामीण ऊर्जा प्रणाली

बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम (कपिला अभियान) {Kalam Program for IP Literacy and Awareness (KAPILA)}

- **उद्देश्य:** उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) में बौद्धिक संपदा, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानना, सहायता प्रदान करना और सम्मानित करना।
- **इसे शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ (MIC) द्वारा शुरू किया गया है।**
- **यह पेटेंट दाखिल करने के लिए** उन **संस्थानों को वित्तीय सहायता** प्रदान करता है जो उच्चतर शिक्षण संस्थानों का हिस्सा हैं।
- यह भारत में और विश्व स्तर पर, विशेष रूप से छात्रों और संकाय के बीच **पेटेंट फाइलिंग, इसके लिए उपलब्ध तंत्र और इसकी प्रक्रिया संबंधी** आवश्यकताओं के बारे में उचित **जागरूकता** पैदा करता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्-स्पाइसेज़ (छात्रों के मध्य रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए योजना) {AICTE-SPICES (Scheme for Promoting Interests, Creativity and Ethics among Students)}

- **उद्देश्य: छात्रों के** हितों, रचनात्मकता और नैतिकता को बढ़ावा देकर उनके **सर्वांगीण विकास के लिए छात्रों के क्लब** का विकास करना।
- **पात्रता:** AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थान जो न्यूनतम 5 वर्षों से अस्तित्व में हैं।

वित्तीय सहायता	छात्र क्लब को मॉडल क्लब के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत एक संस्थान को केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा।

वित्तीय साक्षरता अभियान: विसाका {Vittiya Saksharata Abhiyan (VISAKA)}

- **उद्देश्य:** सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में **कैशलेस कैंपस** विकसित करना।
- **राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)/राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों द्वारा** निकटतम बाजार में दुकानदारों, विक्रेताओं को लेन-देन के डिजिटल तरीकों के बारे में **जागरूक बनाना।**

अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना (Impacting Research Innovation and Technology: IMPRINT) 2.0

- **उद्देश्य: ज्ञान को व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में परिवर्तित** करके **हमारे देश द्वारा सामना की जाने वाली** सबसे **प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों** का समाधान करना।
- **कवरेज:** शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित HEIs/केंद्रीय वित्त-पोषित तकनीकी संस्थान (CFTI) जिनमें निजी संस्थान भी शामिल हैं।
- इस पहल में पूर्ववर्ती **उच्चतर आविष्कार योजना** भी **शामिल** है।
- **वित्तपोषण:** इस राष्ट्रीय पहल को शिक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त-पोषित किया जाएगा।

उत्कृष्ट संस्थान योजना {Institute of Eminence (IoE) scheme}

- **उद्देश्य: सार्वजनिक और निजी श्रेणी** के **प्रत्येक 10 संस्थानों** को **विश्व स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं** के लिए सक्षम बनाना और उन्हें IoE का दर्जा देना।

शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में स्वायत्तता	सार्वजनिक संस्थानों को 1,000 करोड़ रुपए तक का अनुदान	MEA और MHA से NOC प्राप्त करने के बाद विदेशों में कैंपस स्थापित करने की अनुमति	कैंपस के बाहर नए केंद्र शुरू करने की अनुमति- पांच वर्ष में अधिकतम तीन; एक वर्ष में एक से अधिक नहीं

विद्वान पोर्टल (Vidwan portal)

- **'विद्वान'** भारत में शिक्षण और अनुसंधान से संबंधित प्रमुख /शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल से संबंधित एक प्रमुख डेटाबेस है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या NILP)

केंद्र प्रायोजित योजना

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के अनुरूप है।
- **लक्षित लाभार्थी: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षर व्यक्ति।**
    - इसके अंतर्गत महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इसका कार्यान्वयन स्कूलों एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा शिक्षक शिक्षण संस्थानों के **स्वयंसेवी शिक्षकों और छात्रों के माध्यम से** किया जाता है।
- **लक्ष्य:** वित्त वर्ष 2022-27 तक 5 करोड़ शिक्षार्थी (1.00 करोड़ प्रति वर्ष) को लाभान्वित करना।
    - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NCERT और NIOS के सहयोग से **"ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)"** का उपयोग करना।
- **पांच घटक**
    - FLN
    - महत्वपूर्ण जीवन कौशल
    - बुनियादी शिक्षा
    - शिक्षा जारी रखना
    - व्यावसायिक कौशल

स्वयं या 'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' {SWAYAM (Study Webs of Active– Learning for Young Aspiring Minds)}

- **उद्देश्य:** सबसे वंचितों लोगों पर अधिक ध्यान देते हुए सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन को स्वीकार करना।
- **300 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स** (MOOC) का भंडार है। इन्हें शीर्ष रैंक वाले संस्थानों के शिक्षाविदों द्वारा विकसित किया गया है और ये **नि:शुल्क प्रदान किए जाते** हैं।

मुख्य लाभ					
बेस्ट-इन-क्लास इंस्ट्रक्टर्स	साप्ताहिक असाइनमेंट	प्रोक्टर्ड परीक्षा	आसान क्रेडिट ट्रांसफर	एक्टिव लोकल चैप्टर्स	व्यवस्थित दृष्टिकोण

शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान) {Global Initiative of Academic Networks (GIAN)}

- **उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और उद्यमियों** के प्रतिभा पूल का उपयोग करना ताकि **भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों** के साथ उनके जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **विदेश के उच्च श्रेणी के संस्थानों के शिक्षक-**
    - भारत आएंगे,
    - अपने समकक्षों और छात्रों के साथ बातचीत और भागीदारी करेंगे और
    - **विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे।**
- SWAYAM, MOOCs प्लेटफॉर्म और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से **देश भर के छात्रों के लिए व्याख्यान उपलब्ध कराए जाएंगे।**

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (National Academic Depository: NAD)

- **उद्देश्य: सभी शैक्षणिक पुरस्कारों** जैसे- प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट इत्यादि का **24x7 ऑनलाइन भंडार गृह।**
- **इसे अकादमिक संस्थानों/बोर्डों/पात्रता मूल्यांकन निकायों** द्वारा विधिवत डिजिटाइज़ किया जाएगा और **सुरक्षित रखा गया है।**

नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क {National Institution Ranking Framework (NIRF)}

- **देश भर में संस्थानों को रैंक प्रदान करने** हेतु एक कार्य पद्धति की रूपरेखा प्रदान करता है।
- **पैरामीटर**

    1. अनुसंधान और व्यावसायिक कार्य
    2. आउटरीच और समावेशिता
    3. शिक्षण, अधिगम और संसाधन

© Vision IAS

4. स्नातक परिणाम

5. अनुभूति

सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान {Impactful Policy Research in Social Sciences (IMPRESS)}

- **उद्देश्य: नीतिगत प्रासंगिक क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित** करना ताकि नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद (ICSSR)
- **पात्रता:** सभी **सरकारी वित्त-पोषित संस्थान**, UGC 12(b) दर्जे वाले **निजी संस्थान** और **ICSSR अनुसंधान संस्थान।**
- यह शासन और समाज पर अधिकतम प्रभाव के साथ **सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रस्तावों को वित्त-पोषित** करता है।

IMPRESS के तहत पहचाने गए क्षेत्र										
राज्य और लोकतंत्र	शहरी रूपांतरण	मीडिया, संस्कृति और समाज	रोजगार कौशल और ग्रामीण रूपांतरण	शासन, नवाचार और सार्वजनिक नीति	वृद्धि, वृहद व्यापार और आर्थिक नीति	सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी	राजनीत, कानून और अर्थशास्त्र	विज्ञान और शिक्षा	स्वास्थ्य और पर्यावरण	कृषि और ग्रामीण विकास

स्पार्क- अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (SPARC - Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration)

- **उद्देश्य:** भारत के HEIs के अनुसंधान परिवेश में सुधार करना।
- भारतीय संस्थानों और 28 चयनित देशों के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच **शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग** को सुगम बनाना।
  - **राष्ट्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करना।**
- **पात्रता: निम्नलिखित** सभी भारतीय संस्थानों को इसमें स्थान दिया गया है-
  - ओवरऑल टॉप-100 में शामिल संस्थान या
  - भारत रैंकिंग (NIRF-2019) की श्रेणी-वार शीर्ष -100 में शामिल संस्थानों को

एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि (Integrated National School Education Treasury: INSET)

- **उद्देश्य: देश में स्कूलों से संबंधित सभी मापदंडों के लिए पूर्ण रूप से एकीकृत, त्वरित रूप से सुलभ और निर्बाध सूचना नेटवर्क का निर्माण करना।**
- इसका उद्देश्य विद्यालयों, प्रखंडों, जिलों, निर्वाचन क्षेत्रो, राज्यों और अन्य क्षेत्रों के लिए सरलता से सुलभ सूचनाओं के बहु-स्तरीय परिवेश का निर्माण करना है।

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh: MUSK)

- **इस कोष का निर्माण वर्ष 2017 में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से आय प्राप्त करने हेतु किया गया था।**
- वर्ष 2023-24 के लिए इस कोष से निम्नलिखित के लिए धन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है
  - सर्व शिक्षा अभियान
  - राष्ट्रीय साधन सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना
  - केन्द्रीय विद्यालय संगठन
  - नवोदय विद्यालय समिति
- **पी.एम. उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) योजना।** यह योजना में उच्चतर शिक्षा के लिए वर्तमान ब्याज सब्सिडी और गारंटी फंड अंशदान योजनाओं और छात्रवृत्ति को एकीकृत करती है।

प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (National Educational Alliance for Technology: NEAT)

- **उद्देश्य:** शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए **शिक्षा अध्यापन-विषयक में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उत्पादों को एक मंच** पर लाना।
- यह सरकार और भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच एक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल है।**
- इसके अंतर्गत एक खुले निमंत्रण और स्क्रीनिंग के माध्यम से, कंपनियों को अपने उत्पादों को शिक्षार्थियों के लिए **विकसित राष्ट्रीय पोर्टल पर प्रदर्शित करने** हेतु आमंत्रित किया जाता है। वे अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें खरीद सकते हैं।

प्रधान मंत्री युवा (YUVA- युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक) योजना 2.0 {Pradhan Mantri YUVA (Young, Upcoming and Versatile Authors) Scheme 2.0}

- **यह एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है।**
- **उद्देश्य: 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित** करना ताकि
  - देश में **पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति** को बढ़ावा दिया जा सके, और
  - विश्व स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सके।

पढ़े भारत बढ़े भारत (Padhe Bharat Badhe Bharat)

- यह **SSA का** एक राष्ट्रव्यापी **उप कार्यक्रम** है।
- **उद्देश्य: भाषा के विकास में सुधार** करना और **गणित में** स्वाभाविक और **सकारात्मक रुचि** पैदा करना।

7,02,250 राजकीय विद्यालयों के लिए 473.96 करोड़ रुपये का परिव्यय	प्रत्येक सरकारी स्कूल के लिए 5,000-20,000 रुपये के एक अलग पुस्तकालय अनुदान के लिए पहली बार प्रावधान	बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए बाल साहित्य के साथ रीडिंग कॉर्नर का सृजन करना

- **दो ट्रैक**
  - प्राथमिक कक्षाओं में समझ के साथ **प्रारंभिक रूप से पढ़ना और लिखना**
  - **प्रारंभिक गणितीय ज्ञान**

प्रधान मंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम - ध्रुव (Pradhan Mantri Innovative Learning Programme: DHRUV)

- **उद्देश्य:** प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए उनकी पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना।
- देश भर के **उत्कृष्टता केंद्रों** में, **प्रतिभाशाली बच्चों** को विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और पोषण दिया जाएगा ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें।
- इस कार्यक्रम का पहला बैच अक्टूबर 2019 के दौरान लागू किया गया था।
  - प्रारंभ में, दो क्षेत्रों अर्थात् विज्ञान और प्रदर्शन कलाओं को शामिल किया गया था।

भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए परा-विद्या संबंधी अनुसंधान योजना (स्ट्राइड) (Scheme for Trans-disciplinary Research for India's Developing Economy: STRIDE)

- **उद्देश्य: युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को मजबूत** करना, क्षमता निर्माण करना तथा
- मानविकी और मानव विज्ञान के क्षेत्र में **बहु-संस्थागत नेटवर्क की उच्च प्रभाव वाली अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना।**
- कला, भारतीय भाषाओं, संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों सहित **मानविकी और मानव विज्ञान के क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान** पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।
- **स्ट्राइड (STRIDE) के तहत अभिनव अनुसंधान परियोजनाएं**
  - सामाजिक रूप से प्रासंगिक
  - वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण
  - स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित
  - राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण

उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना: श्रेयस (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills: SHREYAS)

उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) के माध्यम से अप्रैल 2019 में उत्तीर्ण सामान्य स्नातकों को **उद्योग प्रशिक्षुता अवसर** प्रदान करना।

- **इसमें शामिल प्रमुख मंत्रालय हैं**
  - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय:
  - श्रम और रोजगार मंत्रालय
  - शिक्षा मंत्रालय

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं		
पहला ट्रैक: ऐड-ऑन अप्रेंटिसशिप (डिग्री अप्रेंटिसशिप)	दूसरा ट्रैक: - एंबेडेड अप्रेंटिसशिप	श्रम और रोजगार मंत्रालय के NCS पोर्टल को उन उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जोड़ा जाएगा जहां नियोक्ता भर्ती की आवश्यकता संबंधी पोस्ट करते हैं।
जो छात्र वर्तमान में डिग्री प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं, उन्हें अप्रेंटिसशिप जॉब रोल की चयनित सूची से अपनी पसंद की नौकरी चुनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।	मौजूदा बी. वोक कार्यक्रमों को बी.ए. (पेशेवर), बी.एस.सी. (पेशेवर) या बी.कॉम (पेशेवर) पाठ्यक्रमों में पुनर्गठित किया जाएगा, जिसमें 6 से 10 महीने की **अनिवार्य प्रशिक्षुता (मेंडेटरी अप्रेंटिसशिप)** होगी।	

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (Technical Education Quality Improvement Programme : TEQUIP)

- **उद्देश्य:** निम्न आय वाले राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों (SCS) के लिए विशेष विचार के साथ देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना।
- **बाह्य सहायता: यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है।**
- इसके अंतर्गत IIT, NITS आदि से स्नातक **ग्रामीण क्षेत्रों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने** के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेशन कार्यक्रम (EDUCATION QUALITY UPGRADATION AND INCLUSION PROGRAMME: EQUIP)

- **उद्देश्य: पांच वर्षों (2019-2024)** में इस क्षेत्रक में रणनीतिक हस्तक्षेपों को लागू करके **भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली** में रूपांतरण की शुरुआत करना।

पहुंच के विस्तार के लिए रणनीतियां			
सुभेद्य समुदायों (SC/ST) तक पहुंच बढ़ाना	भौगोलिक रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों तक पहुंच का विस्तार करना	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार करना	उच्चतर शिक्षा तक समग्र पहुंच को बढ़ाना
वंचित क्षेत्रों में समरस छात्रावासों की स्थापना; अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति; रोजगारपरक कौशल प्रदान करने के लिए फिनिशिंग स्कूल/ब्रिज कोर्स	व्यवसायीकरण के माध्यम से सीखने की क्षमता और रोजगार क्षमता में वृद्धि; MOOCs के माध्यम से उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के अवसरों का विस्तार करना	शिक्षार्थी सहायता केंद्रों की संख्या दोगुनी करना; इग्नू के ICT बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना; कई भाषाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान करना	उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना; विश्वविद्यालयों में दोहरे प्रकार (दूरस्थ और नियमित) में पाठ्यक्रम प्रदान करना

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम (Ek Bharat Shreshtha Bharat programme)

- **उद्देश्य:** विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क और पारस्परिकता के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता को सुदृढ़ करना।
- **लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क के लिए भारत में एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ युग्मित किया जाता है।**
- युग्मित किए गए राज्य/**संघ राज्य क्षेत्र साझी गतिविधियों को संचालित करने** के लिए एक दूसरे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन **द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत** राष्ट्रीय एकता शिविरों **का आयोजन किया जाता है।**

उड़ान- छात्राओं को पंख देने हेतु कार्यक्रम (UDAAN-Giving Wings To Girls)

- **उद्देश्य:** तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में बालिकाओं के निम्न नामांकन की समस्या का समाधान करना तथा विद्यालयी शिक्षा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के मध्य व्याप्त अंतराल को न्यूनतम करना।
- इसके तहत ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए **प्री-लोडेड टैबलेट पर** अध्ययन सामग्री के माध्यम से **निःशुल्क ऑफ़लाइन/ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।**
    - ये संसाधन मुख्यतः देश के **विभिन्न प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी** के लिए उपलब्ध **कराए जाएंगे।**

संस्थानों की नवोन्मेष परिषद् (Institution Innovation Council : IIC)

- **उद्देश्य:** उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) में एक **जीवंत स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, स्टार्ट-अप सहायक तंत्र का निर्माण करना, अटल रैंकिंग ऑफ़ इंस्टिट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स फ्रेमवर्क** (ARIIA) के लिए संस्थान तैयार करना आदि।
- अब तक, लगभग 1700 उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्थापित किए जा चुके हैं।
- IIC 3.0 के तहत इन्हें 5000 उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्थापित किया जाना है।

भारत में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस (Digital Gender Atlas for Advancing Girl's Education in India)

- **उद्देश्य:**इसके माध्यम से विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग जैसे हाशिए पर स्थित समुदायों की बालिकाओं के संदर्भ में, **निम्नस्तरीय निष्पादन करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान** की जाएगी। यह पहचान विशिष्ट लैंगिक संकेतकों के आधार पर की जानी है।

<table>
<tr><td colspan="3" align="center">शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (U-DISE)</td></tr>
<tr><td>शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (DISE)</td><td>डेटा स्रोत</td><td>राष्ट्रीय शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली</td></tr>
<tr><td colspan="3" align="center">भारत की जनगणना 2011</td></tr>
</table>

- यह राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर लिंग संबंधी संकेतकों की चतुर्थक रैंकिंग के आधार पर एक तुलनात्मक समग्र सूचकांक प्रदान करता है।
- **यह समय-समय पर अलग-अलग लिंग संबंधी मापदंडों के प्रदर्शन के रुझान विश्लेषण और ट्रैकिंग को** सक्षम बनाता है।

शाला गुणवत्ता (शगुन) पोर्टल {Shala Gunvatta (Shagun) Portal}

- **उद्देश्य: केंद्र सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वायत्त निकायों के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं,** तस्वीरों, वीडियो, अध्ययन, समाचार पत्रों के लेखों आदि **का भंडार करना।**
- **ऑनलाइन निगरानी मॉड्यूल** उपाय, राज्य-स्तरीय प्रदर्शन और प्रमुख शैक्षिक संकेतकों के विरुद्ध प्रगति।
- यह शिक्षा विभागों को **रीयल-टाइम आकलन करने** में सक्षम बनाता है **जो सामान्य पेपर-आधारित निगरानी तंत्र में संभव नहीं होता है।**
- सरलीकृत डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग।

© Vision IAS

16. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology: MeitY)

16.1. उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MeitY का स्टार्ट-अप एक्सलरेटर (समृद्ध) कार्यक्रम {Samridh (Start-up Accelerators of MeitY for Product Innovation, Development and Growth) Programme}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्ट-अप्स के लिए **अपने उत्पादों को उन्नत करने तथा अपने कारोबार को बढ़ाने हेतु निवेश प्राप्त करने के लिए** एक अनुकूल मंच तैयार करना।
- **फोकस:** यह आगामी तीन वर्षों में (वर्ष 2021 से) ग्राहक तथा निवेशक संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करके **300 स्टार्ट-अप्स को एक्सलरेट (समृद्ध) करने** पर केंद्रित है।
- **वित्तीय सहायता:** स्टार्ट-अप के मौजूदा मूल्यांकन व विकास के चरण के आधार पर **स्टार्ट-अप में 40 लाख रुपये तक का** निवेश चयनित एक्सीलेरेटरों के माध्यम से किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्ट-अप हब (MSH)**

> **शब्दावली को जानें**
>
> **स्टार्ट-अप एक्सलरेटर (Startup accelerators):** वे प्रारंभिक चरण की विकास-संचालित कंपनियों को **शिक्षा, सलाह और वित्तपोषण** के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।

अन्य उद्देश्य: सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा कर भारत की समस्याओं को हल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित संभावित स्टार्ट-अप्स को गति देने हेतु चयन करने और एक्सलरेट करने के लिए **मौजूदा और आगामी स्टार्टअप्स एक्सलरेटरों का समर्थन** करना।

मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए **ऊष्मायन (Incubation) सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम** शुरू किए हैं। • हालांकि सामाजिक प्रभाव वाले इन स्टार्ट-अप्स की मदद करने और भारत की समस्याओं का बड़े पैमाने पर समाधान करने के लिए एक एक्सलरेटर कार्यक्रम की संकल्पना करने तथा उसे आरंभ किए जाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। • उपरोक्त कार्यक्रमों के स्टार्टअप **समृद्ध (SAMRIDH) कार्यक्रम के लिए एक फीडर** के रूप में कार्य करेंगे।
मौजूदा और आगामी एक्सलरेटरों के लिए समर्थन (Support to existing and upcoming accelerators)	सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा कर भारत की समस्याओं को हल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित संभावित स्टार्ट-अप्स को गति देने हेतु चयन करना और एक्सलरेट करना
एक्सलरेटरों की पात्रता	इन्क्यूबेशन व्यवसाय में 3 वर्षों से अधिक का अनुभव और उन्होंने 50 से अधिक स्टार्ट-अप्स का समर्थन किया हो (कम-से-कम 10 को गैर-सरकारी निवेश प्राप्त हुआ हो) अथवा ऐसे लक्षित त्वरक कार्यक्रम जिन्हें समृद्ध (SAMRIDH) के तहत वांछनीय गतिविधियों के रूप में सूचीबद्ध कम-से-कम 3 समूहों के परिचालन का अनुभव हो। क्षमताओं के प्रदर्शन के संबंध में : * घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के लिए स्टार्ट-अप्स का समर्थन करना * वेंचर कैपिटलिस्ट/ एंजेल निवेशकों के साथ नेटवर्क/संबंध होना * प्रमुख बिजनेस मेंटर्स से जुड़ा होना * गहन प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर उत्पाद निर्माण करने वाले स्टार्ट-अप्स को प्रेरित करने हेतु **संरचित समूह**

	भारत में कार्यरत	स्टार्ट-अप गतिविधियों के परिचालन हेतु **आवश्यक जगह और बुनियादी ढांचा।**
समर्थन तंत्र	• MSH प्रॉमिसरी/SAFE नोट के माध्यम से **सरकार के योगदान के बदले स्टार्ट-अप्स में इक्विटी** धारण करेगा, जैसा कोई एक्सलरेटर करता है, जिसका उपयोग कार्यक्रम की स्व-स्थिरता के लिए किया जाएगा। • कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन के लिए एक **परियोजना प्रबंधन इकाई** का गठन किया जाएगा।	

नोट:
- यह प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्ट-अप्स और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने वाले **MeitY के दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने** के लिए MeitY के तहत एक स्थापित एक **नोडल इकाई है।**
- यह MeitY के सभी ऊष्मायन केंद्रों (incubation centres), स्टार्ट-अप्स और नवाचार संबंधी गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक **राष्ट्रीय समन्वय तथा सुविधा और निगरानी केंद्र** के रूप में कार्य करता है।

16.2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना।
- **प्रकृति:** यह एक **छत्रक कार्यक्रम है** जो **मंत्रालयों और विभागों** की **विभिन्न ई-गवर्नेंस संबंधी पहलों** को एक साथ जोड़ता है।
- **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP):** ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जहां भी संभव हो, PPP को प्राथमिकता दी जाती है।
- **कार्यान्वयन:** इसे **MeiTY** के समग्र **समन्वय** के साथ सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

अन्य उद्देश्य: एक **सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचा** स्थापित करना, **डिजिटल सेवाएं** प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक की **इंटरनेट तक पहुंच** हो।

प्रमुख विशेषताएं

संवृद्धि के क्षेत्रों के नौ स्तंभों पर जोर

डिजिटल भारत कैसे साकार होगा: डिजिटल इंडिया के स्तंभ								
ब्रॉडबैंड हाईवे	मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस	पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम	ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रशासन में सुधार	ई-क्रांति - सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी	सभी के लिए सूचना	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण	नौकरियों के लिए IT	अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

डिजिटल इंडिया (DI) पहलों को सक्षम करने वाली प्रमुख एजेंसियां

इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
- प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (CCA)
- प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक/C-DAC)
- रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)
- सामान्य सेवा केंद्र (CSC)
- लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)

कार्यक्रम की प्रबंधन संरचना

निकाय	**निगरानी समिति**	**डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह**	**शीर्ष समिति**
अध्यक्ष	प्रधानमंत्री	संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	कैबिनेट सचिव

कुछ महत्वपूर्ण पहलें

आधार पहचान मंच	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL)	इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र	CERT-In	सामान्य सेवा केंद्र (CSCs)	साइबर स्वच्छता केंद्र	डिजिलॉकर	डिजी सेवक

© Vision IAS

16.3. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission: NSM)

केंद्र प्रायोजित योजना

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** राष्ट्र के स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना
- **अंतर-मंत्रालयी पहल:** MeiTY और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
- **अपेक्षित लाभ:** विज्ञान और इंजीनियरिंग के बहु-विषयक डोमेन में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तेजी आएगी
- **कार्यान्वयन: प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC)** और **बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC)**

शब्दावली को जानें

फ्लॉप्स (फ़्लोटिंग-पॉइंट ऑपरेशन्स प्रति सेकंड: FLOPS): यह माइक्रोप्रोसेसरों की गति की रेटिंग हेतु प्रयोग की जाने वाली एक सामान्य बेंचमार्क माप है।

- 1 मेगाफ्लॉप = 1 मिलियन फ्लॉप्स
- 1 गीगाफ्लॉप = 1 बिलियन फ्लॉप्स
- 1 टेराफ्लॉप = 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स
- 1 पेटाफ्लॉप्स = 1 हजार टेराफ्लॉप्स

क्या आप जानते हैं?

परम (PARAM) 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था।

अन्य उद्देश्य: 64 पेटाफ्लॉप्स से अधिक संचयी संगणन शक्ति वाले 24 सुपरकंप्यूटरों का निर्माण करना एवं तैनात करना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत **70 से अधिक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) सुविधाओं** से युक्त एक विशाल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना **हमारे राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों (R & Ds) को सशक्त बनाने की परिकल्पना** के साथ की गई है।
प्रमुख स्तंभ	**NSM के 4 स्तंभ:** अवसंरचना; एप्लीकेशन; अनुसंधान एवं विकास (R&D); मानव संसाधन विकास (HRD)
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network: NKN)	• सुपरकंप्यूटरों को **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN)** पर राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड में जोड़ा जाएगा। ○ NKN **उच्च गति नेटवर्क के माध्यम से अकादमिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास वेधशालाओं को जोड़ता है।**
विकसित किए गए सर्वर	• सी-डैक ने एक **कंप्यूट सर्वर "रुद्र"** और **हाई-स्पीड इंटरकनेक्ट "त्रिनेत्र"** को डिजाइन और विकसित किया है जो **सुपरकंप्यूटरों के लिए जरूरी प्रमुख उप- घटक** हैं।
NSM के तहत बड़े पैमाने पर एप्लिकेशन विकसित किए जा रहे हैं	जीनोमिक्स और औषधीय खोज के लिए NSM प्लेटफॉर्म। शहरी मॉडलिंग: शहरी पर्यावरण की समस्याओं (मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, वायु गुणवत्ता) के समाधान हेतु। भारत की नदी द्रोणियों के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान प्रणाली। तेल और गैस के अन्वेषण में सहायता हेतु भूकंपीय इमेजिंग के लिए HPC सॉफ्टवेयर सेट। MPPLAB: दूरसंचार नेटवर्क अनुकूलन।
प्रगति	• चरण-1 और चरण-2 के तहत **IISc, IITs, IISER पुणे, JNCASR, NABI - मोहाली** और सी-डैक में 20 से अधिक पेटाफ्लॉप की संचयी संगणन शक्ति वाले **11 सुपरकंप्यूटरों** को तैनात किया गया है।

16.4. सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019 (National Policy on Software Products, 2019)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में IT उद्योग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम के विकास में तेजी लाना।
- **कार्यान्वयन तंत्र:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में एक **'राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन (NSPM)'** शुरू किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** उपयुक्त कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से MeitY द्वारा।

क्या आप जानते हैं?

ऐसा अनुमान है कि IT उद्योग 2025 तक **350 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक का योगदान दे सकता है जो **भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10%** है।

अन्य उद्देश्य: बौद्धिक संपदा (IP) द्वारा संचालित एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देना ताकि **2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में इसकी हिस्सेदारी में दस गुना वृद्धि हो सके।**

प्रमुख विशेषताएं

विजन	• भारत को एक **सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र** के रूप में विकसित करना। साथ ही इसे बौद्धिक पूंजी संचालित सॉफ्टवेयर उत्पादों की अवधारणा, डिजाइन, विकास और उत्पादन में एक **वैश्विक नेतृत्वकर्ता** बनाना।
कार्यान्वयन की रणनीति	
सॉफ्टवेयर उत्पाद व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना	भारतीय **सॉफ्टवेयर उत्पाद रजिस्ट्री** का निर्माण करना **पूंजी बाजार में सॉफ्टवेयर कंपनियों की सक्रिय भागीदारी** को सुगम बनाना कानूनी और नियामक प्रक्रियाओं की फास्ट-ट्रैकिंग के लिए **सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म** स्वदेशी सॉफ्टवेयर उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास में किए गए **निवेश** (उपार्जित आधार पर) **पर कर में छूट** प्रदान करना
रोजगार के लिए उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना	**कम-से-कम 10,000 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को पोषित करने के लिए एक इन्क्यूबेशन कार्यक्रम शुरू करना, इन स्टार्टअप्स को टियर- II और टियर- III कस्बों और शहरों में स्थापित करने का लक्ष्य है** **फंड ऑफ फंड्स के रूप में 1000 करोड़ रुपये के कोष वाला एक समर्पित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास कोष (SPDF)** **उच्च शिक्षण संस्थानों में सॉफ्टवेयर उत्पादों पर अनुसंधान एवं नवाचार के समर्थन** हेतु एक कार्यक्रम **सामाजिक चुनौतियों जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, कृषि आदि के समाधान हेतु 20 समर्पित चैलेंज ग्रांट्स के गठन** के लिए एक कार्यक्रम
कौशल प्रदान करना और मानव संसाधन विकास	**स्कूल और कॉलेज के 100,000 छात्रों को लक्षित करने हेतु एक राष्ट्रीय "टैलेंट एक्सेलरेटर"** कार्यक्रम शुरू किया जाएगा **10,000 प्रतिबद्ध सॉफ्टवेयर उत्पाद नेतृत्वकर्ताओं** का एक टैलेंट पूल तैयार किया जाएगा
घरेलू बाजार तक पहुंच में सुधार करना तथा सीमा पार व्यापार संवर्धन	**खरीद में वरीयता** • **गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM)** के साथ एकीकृत भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों की रजिस्ट्री। • सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 के अनुरूप **सरकारी खरीद में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद के तरजीही समावेशन** के लिए एक फ्रेमवर्क। **सीमा पार व्यापार संवर्धन** • **वृद्धिशील नवाचार को बढ़ावा** देने हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के लिए **खुले APIs का कार्यान्वयन** करना। • **भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए** उत्पादों के विकास हेतु उद्योग को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना।

 © Vision IAS

16.5. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Large Scale Electronics Manufacturing}

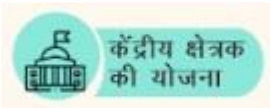

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **उद्देश्य:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनना।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी:** परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)
- **अवधि:** दूसरे दौर के लिए, इसका कार्यकाल 01.04.2021 से 4 वर्ष के लिए लागू होगा।

अन्य उद्देश्य: मोबाइल फोन के विनिर्माण, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तथा **असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग (ATMP) इकाइयों** सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित **इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला के क्षेत्र में व्यापक निवेश को आकर्षित** करना।

प्रमुख विशेषताएं

अर्हता	• **भारत में केवल लक्षित खंडों के विनिर्माण में संलिप्त कंपनियों को ही** सहायता प्रदान की जाती है।
प्रोत्साहन	**वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष) पर 4% से 6% का** प्रोत्साहन आधार वर्ष के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्हता प्राप्त कंपनियों को भारत में विनिर्मित वस्तुओं और लक्षित खंडों के तहत कवर की गई वस्तुओं के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
लक्षित खंड	• **मोबाइल फोन और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक**
आधार वर्ष	• वित्तीय वर्ष 2019-20 को वृद्धिशील निवेश और विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री की संगणना हेतु आधार वर्ष माना जाएगा।

16.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan)

- **उद्देश्य:** पेंशनभोगियों को **जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/दाखिल करने की ऑनलाइन** सुविधा उपलब्ध कराना तथा **जीवन प्रमाण-पत्र** प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और बाधारहित बनाना।

जीवन प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?	
• पेंशनर अपने नजदीकी डाकघर जा कर या डाकिए के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं। • इसके लिए उन्हें अपने पेंशन खाते से संबंधित मूल विवरण प्रदान करना होगा:	
• पेंशन ID • पेंशन संवितरण विभाग • मोबाइल नंबर	• पेंशन भुगतान आदेश • बैंक खाते का विवरण • आधार संख्या
• बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन के माध्यम से अपने अनुरोध को प्रमाणित करें। • डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificates: DLCs) शीघ्र ही आपके मोबाइल पर आपको भेजे गए प्रमाण ID के साथ जनरेट हो जाएगा। आपके प्रमाणपत्र का विवरण स्वचालित रूप से पेंशन विभाग में अद्यतित (Updated) हो जाएगा।	

- **अपेक्षित लाभार्थी:** केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी।
- **अन्य विशेषताएं:**
  - यह पेंशनभोगियों के लिए **आधार बॉयोमीट्रिक प्रमाणन आधारित DLCs है।**
  - इसका उद्देश्य पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए **पेंशन भोगियों को प्रत्येक वर्ष नवंबर में एक कागजी जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने** की आवश्यकता को **समाप्त करना** है।
  - DLC को सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs), बैंकों और सरकारी कार्यालयों द्वारा संचालित अलग-अलग **जीवन प्रमाण केंद्रों** के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, इसे कंप्यूटर/ मोबाइल/ टैबलेट पर क्लाइंट (ग्राहक) एप्लिकेशन का उपयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है।

भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (Software Technology Parks of India: STPI)

- **पृष्ठभूमि: 1991 में** STPI को MeitY के अधीन एक **स्वायत्त सोसाइटी** के रूप में स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** देश से **सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना।**
- **STPI द्वारा प्रदत्त प्रमुख सेवाएं**
  - इन्क्यूबेशन सुविधाएं
  - डेटा संचार सेवाएं
  - प्रशिक्षण और मूल्य वर्धित सेवाएं
  - वैधानिक सेवाएं
- **प्रमुख विशेषताएं**
  - STPI **सॉफ्टवेयर निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के दौरान 'एकल खिड़की (Singal window)'** के रूप में कार्य करता है।
  - STPI IT/IT सक्षम सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए **सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STP)** योजना और **इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (EHTP)** योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना (Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors: SPECS)

- **उद्देश्य: देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारितंत्र को मजबूत करने** के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के घरेलू विनिर्माण के समक्ष आने वाली अक्षमता को दूर करना।
- **अर्हता:** भारत में पंजीकृत संस्था तथा नई इकाइयों में निवेश और/या मौजूदा इकाइयों की क्षमता के विस्तार हेतु।
- **प्रोत्साहन:** इसके तहत **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं** की **चिह्नित** सूची के लिए **पूंजीगत परिव्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन** दिया जाता है। इन वस्तुओं में **इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की अनुप्रवाह मूल्य शृंखला** अर्थात इलेक्ट्रॉनिक घटक, अर्धचालक/डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत **पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अर्धचालकों (सेमीकंडक्टरों) के निर्माण के लिए निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों** हेतु अनुसंधान एवं विकास किया जाएगा। साथ ही, इसके अंतर्गत सहित संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपयोगिताओं और प्रौद्योगिकी के लिए **पूंजीगत व्यय पर 25 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन** उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan: PMGDISHA)

- **उद्देश्य:** प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना।
- **अर्हता मानदंड:** अर्हता प्राप्त परिवार अपने परिवार से एक व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकते हैं।
- **आयु: 14 से 60 वर्ष** के आयु समूह के भारतीय नागरिक।
- **कोर्स की अवधि:** 20 घंटे (न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 30 दिन)
- **शिक्षा का माध्यम:** भारत की राजभाषाएं।
- **शिक्षण स्थल:** निकटतम प्रशिक्षण केंद्र/ सामान्य सेवा केंद्र (CSC)।
- **मूल्यांकन:** राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन एजेंसी जैसे NIELIT, NIOS, IGNOU आदि द्वारा इसका स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकन किया जाता है।

BPO संवर्धन योजना (BPO Promotion Scheme)

- **उद्देश्य:** विशेष रूप से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)/ IT समर्थित सेवाओं (ITES) के संचालन की स्थापना करके IT/ ITES उद्योग को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत **"भारत BPO संवर्धन योजना (IBPS)"** और **"पूर्वोत्तर BPO संवर्धन योजना (NEBPS)"** विकसित की जा रही है।
- अर्हता प्राप्त कंपनियों को **व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (VGF)** के रूप में **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।

स्त्री स्वाभिमान (Stree Swabhiman)

- **उद्देश्य:** ग्रामीण इलाकों में किशोरियों एवं महिलाओं के घरों के पास **किफायती और सुलभ सैनिटरी उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए एक टिकाऊ मॉडल** का निर्माण करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (Electronics Development Fund: EDF)

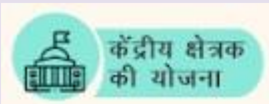

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य:** सक्रिय उद्योग की भागीदारी के साथ **नवाचार, अनुसंधान एवं विकास (R&D) के एक जीवंत पारितंत्र**

 © Vision IAS

को समर्थन प्रदान कर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पारितंत्र का निर्माण करना।

- इसे व्यावसायिक रूप से प्रबंधित **"डॉटर फ़ंड्स"** का समर्थन करने हेतु **"फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स"** के रूप में स्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप डॉटर फ़ंड्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी, सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूँजी प्राप्त हो सकेगी।

संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना {Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme}

- **उद्देश्य: प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं** के साथ-साथ उनकी आपूर्ति शृंखला को **आकर्षित करने हेतु विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं के निर्माण** के लिए सहायता प्रदान करना। इससे भारत में इनकी इकाइयों को स्थापित करना आसान हो जाएगा।
- यह योजना आपूर्ति शृंखला प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करके, आपूर्तिकर्ताओं के समेकन, बाजार में उत्पाद को खरीदने के लिए उपलब्ध कराने में लगने वाले समय में कमी करके तथा निम्न लॉजिस्टिक्स लागत आदि द्वारा **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मध्य संबंध** को सुदृढ़ करेगी।
- **वित्तीय सहायता:** देश भर में **EMC परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों (CFCs),** दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। EMC 2.0 योजना **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (EMCs) और सामान्य सुविधा केंद्रों (Common Facility Centres: CFCs), दोनों की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान** करेगी।

ज्ञान सर्कल वेंचर्स (Gyan Circle Ventures)

- ज्ञान सर्कल वेंचर्स भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) श्री सिटी का **प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर** है। IIITS का सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (CIEDI) एक सेक्शन 8 कंपनी है। यह **श्री सिटी (चित्तूर, आंध्र प्रदेश)** स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित एक प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर है। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
- ज्ञान सर्कल वेंचर्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए **'प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास-टाइड 2.0' (Technology Incubation and Development of Entrepreneurs - TIDE 2.0)** इनक्यूबेशन केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- **उद्देश्य:** यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉक-चेन, रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले **इनक्यूबेटरों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके गहन तकनीकी उद्यमिता** को भी बढ़ावा देगा।

डिजिलॉकर (DigiLocker)

- **डिजिलॉकर, दस्तावेज़ों और प्रमाण-पत्रों के संग्रहण, साझाकरण एवं सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है।**
- **उद्देश्य:** डिजीलॉकर का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट को प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का 'डिजिटल सशक्तिकरण' करना है।
- **श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज़ प्राप्त करें**
  - शिक्षा और शिक्षण
  - केंद्र सरकार
  - बैंकिंग और बीमा
  - राज्य सरकार
  - स्वास्थ्य और कल्याण
  - रक्षा मंत्रालय
  - अन्य संगठन
  - परिवहन विभाग
  - सर्वाधिक लोकप्रिय दस्तावेज़
- डिजीलॉकर खाते के लिए साइन-अप करने वाले भारतीय नागरिकों को उनके **आधार (UIDAI) नंबर से जुड़ा एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रदान किया जाता है।**
- सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले बिचौलियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 के नियम 9ए के अनुसार डिजिलॉकर सिस्टम में **जारी किए गए दस्तावेज़ों** को **मूल भौतिक दस्तावेज़ों के बराबर** माना जाता है।

आरंभ करना त्वरित और आसान है	स्वयं को रजिस्टर करें	स्वयं को सत्यापित करें	अपने दस्तावेज़ों को प्राप्त करें

यूनीफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) (Unified Mobile Application for New-age Governance: UMANG)

- यह एक साझा, एकीकृत प्लेटफार्म और मोबाइल ऐप है जो **सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए एकल बिंदु सुविधा** प्रदान करता है।
- यह **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत** आरंभ किए गए प्रमुख पहलों में से एक है।
- **उद्देश्य:** कई मोबाइल ऐप्स को प्रबंधित करने में **उपयोगकर्ताओं को होने वाली असुविधा को दूर करना** तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त

करने हेतु वन-स्टॉप-सॉल्यूशन की सुविधा प्रदान करना।

सुशासन के लिए डिजिटल इंडिया की शक्ति का उपयोग करना UMANG ऐप को नागरिकों द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके में क्रांति लाने हेतु लॉन्च किया गया है।
33 विभागों और 4 राज्यों की 162 सेवाओं तक पहुंच
विभिन्न उपयोगिताओं जैसे विद्युत, मोबाइल, गैस और जल के बिलों का भुगतान
13 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है तथा मांग आधारित मापनीयता को पूरा करता है
जल्द ही USSD के जरिए बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले फीचर फोन में भी यह सपोर्ट करेगा

डिजिशाला (Digishala)

- **यह दूरदर्शन का एक निःशुल्क DTH चैनल है।**
- **उद्देश्य: डिजिटल भुगतान** के विभिन्न तरीकों के बारे में **लोगों को शिक्षित और सूचित करना।**

साइबर सुरक्षित भारत पहल (Cyber Surakshit Bharat Initiative)

- **यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है तथा अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी है।**
- **उद्देश्य:** सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) और व्यापक IT समुदाय को **उनके डिजिटल अवसंरचना की रक्षा के लिए शिक्षित करना है। साथ ही, उन्हें भविष्य के साइबर हमलों से निपटने के लिए तैयार करना है।**
- **संस्थापक भागीदार:** माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो जैसी प्रमुख IT कंपनियां।
- **ज्ञान भागीदार:** सर्ट-इन (CERT-In), एनआईसी, नेस्कॉम (NASSCOM) एवं डेलोइट (Deloitte) और ईवाई (EY) जैसे कंसल्टेंसी फर्म।

ई-संपर्क (E-sampark)

- मेल, आउटबाउंड डायलिंग एवं SMS अभियानों के माध्यम से सरकार को प्रत्यक्षत: संपूर्ण देश **के नागरिकों से जोड़ना** है।
- इसका उपयोग **सूचनात्मक और सार्वजनिक सेवा संबंधी संदेशों को साझा** करने के लिए किया जाता है।
- यह सरकार को **कई कार्यक्रमों और पहलों के बारे में नागरिकों के साथ संवाद स्थापित** करने में सक्षम बनाता है।

सेवा के रूप में सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य वेबसाइट {Secure, Scalable & Sugamya Website as a Service (S3WAAS)}

- यह एक **ऑनलाइन सेवा है, जिसे सरकारी संस्थाओं के लिए** सुरक्षित, मापनीय और सुगम **वेबसाइट बनाने हेतु विकसित किया गया है।**
- यह **सरकारी संस्थाओं को वेबसाइटों के निर्माण के लिए विभिन्न विषयों में से एक को चुनने में सक्षम बनाता है।** साथ ही, यह बिना किसी तकनीकी जानकारी के **कंटेंट को अनुकूलित और प्रबंधित** करने में मदद करता है।
- **डिजाइन, विकसित, होस्ट और अनुरक्षित करने वाली संस्था:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)।

S3WaaS के माध्यम से वेबसाइट का निर्माण

1. S3WaaS पर लॉग इन करें: आधिकारिक ईमेल पते (gov.in.nic.in) के साथ लॉग इन करें	**2. अपनी थीम चुनें:** अपनी सुविधा की आवश्यकता अनुसार थीम चुनें	**3. वेबसाइट का विवरण डालें:** वेबसाइट का विवरण, तकनीकी स्वामित्व का विवरण और साइट के स्वामित्व का विवरण प्रदान करें	**4. साइट को अनुकूलित करें:** अभिलक्षण, पाठ, चित्र, वीडियो और अन्य तथ्य डालें/संपादित करें	**5. साइट लाइव करें:** अपनी साइट को लाइव करें और इसे जनता के साथ साझा करें

GI क्लाउड – मेघराज (GI Cloud – MeghRaj)

मेघराज पहल के तहत **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** राष्ट्रीय क्लाउड सेवाएं प्रदान कर रहा है।

प्रदत्त सेवाएं (नीचे दिए गए इन्फोग्राफिक का शीर्षक)

सेवा के रूप में अवसंरचना (IaaS) यह ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन की अनुमति प्रदान	**सेवा के रूप में प्लेटफार्म (PaaS)** यह सर्वर सेटअप की चिंता किए बिना वेब एप्लिकेशन	**सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (SaaS)** यह मांग आधारित सॉफ्टवेयर सेवा प्रदान	**संग्रहण के रूप में सेवा (STaaS)** यह आवश्यकता आधारित भंडारण	**होस्टिंग एनवायरनमेंट** NIC क्लाउड सर्विसेज वर्चुअल मशीन के निर्माण के लिए 3

करने के साथ बुनियादी वर्चुअल कंप्यूटर अवसंरचना संबंधी संसाधन जैसे सीपीयू, मेमोरी इत्यादि प्रदान करता है।	को प्रकाशित और चलाने के लिए प्री-इन्स्टॉल्ड वेब और डेटाबेस सर्वर प्रदान करता है।	करता है। इसमें उपयोगकर्ता एप्लिकेशन या किसी भी घटक के अनुसमर्थन के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं।	समाधान प्रदान करता है। यह पारंपरिक ऑन-साइट और समर्पित संग्रहण प्रणाली का एक विकल्प है। विविध भंडारण स्तरों को तैनात करने और प्रबंधित करने की जटिलताओं को कम करता है।	अलग-अलग प्रकार के परिवेश प्रदान करती है, जैसे उत्पादन, मंचन/स्टेजिंग और विकास

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल {National Information Centre-Computer Emergency Response Team (NIC-CERT)}

- NIC-CERT प्रखंड **साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की नोडल शाखा है।**
- यह NIC की अवसंरचना पर लक्षित साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के लिए **संबंधित हितधारकों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करने वाला एकल बिंदु** है।
- **कार्य:** यह साइबर खतरों के विरुद्ध NIC की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए **समय-समय पर खतरे संबंधी खुफिया सूचना, सुरक्षा अलर्ट/टिप्स और सलाह** जारी करता है।

प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा (Project Cyber Shikshaa)

- **आरंभ:** माइक्रोसॉफ्ट तथा **डाटा सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DSCI) द्वारा**
- **उद्देश्य: साइबर सुरक्षा के उपयुक्त क्षेत्र में इंजीनियरिंग स्नातक महिलाओं को कौशल प्रदान करना है।**

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु विश्वेश्वरैया पी.एच.डी. योजना (Visvesvaraya PhD Scheme for Electronics and IT)

- **उद्देश्य:** देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (IT/ITES) के क्षेत्र में पी.एच.डी. धारकों की संख्या में वृद्धि करना है।
- **अवधि:** 2021 से 9 वर्ष तक
- **लक्ष्य: 1000 पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों, 150 अंशकालिक पीएचडी** उम्मीदवारों, **50 यंग फैकल्टी रिसर्च** फैलोशिप **और 225 पोस्ट-डॉक्टोरल फैलोशिप का समर्थन करना।**
- **लाभ: 250 पूर्णकालिक पीएचडी अध्येताओं को 6 महीने के लिए एक बार सहायता प्रदान** किए जाने का प्रावधान है, ताकि वे अपने अनुसंधान परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाने के लिए **विदेशों में प्रयोगशालाओं का दौरा कर सके।**
- **पात्र संस्थान:** सभी IITs, NITS, IISc, IISERs, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय आदि।

17. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

17.1. सिक्योर हिमालय (उच्च श्रेणी के हिमालयी पारितंत्र की आजीविका, संरक्षण, संधारणीय इस्तेमाल और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने संबंधी) परियोजना {Secure Himalaya (Securing Livelihoods, Conservation, Sustainable Use and Restoration of High Range Himalayan Ecosystem Himalaya) Project}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: उच्च श्रेणी के हिमालयी पारितंत्र की आजीविका, संरक्षण, संधारणीय इस्तेमाल और पुनरुद्धार सुनिश्चित करना**
- **अंतर्राष्ट्रीय समर्थन:** वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
- **अवधि:** 2017-2024
- **पार्टनर एजेंसी:** ट्रैफिक (TRAFFIC)

अन्य उद्देश्य: विस्तृत उच्च हिमालयी पारितंत्र में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

वैश्विक परियोजना	• यह **"संधारणीय विकास के लिए वन्यजीव संरक्षण और अपराध की रोकथाम पर एक वैश्विक साझेदारी"** (वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम) का हिस्सा है। यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त-पोषित है। • यह **वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण (Global Snow Leopard Ecosystem Protection Program: GSLEP)** में योगदान करता है। GSLEP 12 देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रकों की एक संयुक्त पहल है।
संधारणीय संरक्षण	• यह विस्तृत उच्च हिमालयी पारितंत्र में **अल्पाइन चरागाहों और जंगलों के संधारणीय प्रबंधन** को बढ़ावा देता है। • यह एंडेंजर्ड हिम तेंदुओं और **उनके पर्यावासों सहित वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण वन्यजीवों का संरक्षण** सुनिश्चित करता है।
शामिल क्षेत्र	• **ट्रांस और ग्रेटर हिमालयी क्षेत्रों** में ऊंचाई वाले परिदृश्य, जिनमें शामिल हैं: ○ चांगथांग (जम्मू और कश्मीर) ○ लाहुल-पांगी और किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) ○ पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में गंगोत्री-गोविंद और दारमा-व्यास घाटी ○ कंचनजंगा-ऊपरी तीस्ता घाटी (सिक्किम)
मुख्य घटक	**प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों का संरक्षण** और उनका प्रभावी प्रबंधन **संधारणीय सामुदायिक आजीविका** और प्राकृतिक संसाधनों को **सुरक्षित करना** वन्यजीव अपराध और संबंधित खतरों को कम करने के लिए **प्रवर्तन, निगरानी और सहयोग बढ़ाना** **ज्ञान, एडवोकेसी, संचार** और सूचना प्रणाली की स्थापना
रणनीति	त्रि-आयामी रणनीति (Three pronged strategy): वैकल्पिक और आजीविका के नए विकल्प प्रदान करना वर्तमान आजीविका में वृद्धि करना कौशल आधारित रोजगार के अवसरों का समर्थन करना

© Vision IAS

17.2. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan On Climate Change: NAPCC)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य: इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाना।**
- **अवधि:** 2025-26 तक
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इन मिशनों को "संबंधित मंत्रालयों" द्वारा संस्थागत किया जाता है और जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की परिषद द्वारा समन्वित किया जाता है

अन्य उद्देश्य: इसके तहत देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम बनाया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• NAPCC 2008 से लागू है। यह **उन उपायों की पहचान करता** है जो **जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सह-लाभ प्रदान करते हुए विकास उद्देश्यों को बढ़ावा** देते हैं।
• NAPCC के सिद्धांत	**राष्ट्रीय विकास** को प्राप्त करना **और गरीबी उन्मूलन** **अंतिम उपयोग मांग पक्ष प्रबंधन** के लिए कुशल और लागत प्रभावी रणनीतियां अनुकूलन और शमन के लिए **उपयुक्त प्रौद्योगिकियों** की तैनाती **संधारणीय विकास के लिए** नए और अभिनव बाजार, नियामक एवं **स्वैच्छिक तंत्र** **नागरिक समाज, स्थानीय सरकारी इकाइयों (LGUs) और सार्वजनिक-निजी-भागीदारों** के साथ अद्वितीय संबंध
जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन	**1. राष्ट्रीय सौर मिशन** 2030 तक **280 गीगावॉट** की स्थापित सौर क्षमता हासिल करना। **2. संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (NMEE)** **विनियामक और नीति व्यवस्था को अनुकूल बनाकर** ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत करना। **3. सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन** **ऊर्जा दक्षता में सुधार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) का प्रबंधन** और शहरी **सार्वजनिक परिवहन** को बढ़ावा देना। **4. राष्ट्रीय जल मिशन** जल संरक्षण, **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन** के माध्यम से अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना और **जल उपयोग दक्षता को 20% तक सुगम बनाना।** **5. हिमालयी पारितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE)** पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए स्थानीय समुदायों को, विशेष रूप से पंचायतों को सशक्त बनाना। **6. हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMGI)** कार्बन सिंक जैसी पारितंत्र सेवाओं को बढ़ाना। इसे राज्य के वन विभागों के तहत स्थापित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से निम्नीकृत वन भूमि पर क्रियान्वित किया जाना है। **7. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)** फसलों की नई किस्मों, विशेष रूप से ताप प्रतिरोधी और वैकल्पिक फसल पैटर्न की पहचान करके भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना। **8. जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन** अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में वैश्विक समुदाय के साथ काम करने का प्रयास करना तथा इसके तहत जलवायु अनुसंधान कोष द्वारा समर्थित स्वयं का अनुसंधान एजेंडा भी होगा।

17.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP)

- **उद्देश्य:** एक निर्धारित समय-सीमा में देश के सभी स्थानों पर अनुबंधित वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना।

- **लक्ष्य: 2025-26** (आधार वर्ष 2017) **तक पार्टिकुलेट मैटर 10 (PM10) के स्तर में 40% तक** की कमी या राष्ट्रीय मानकों (60 माइक्रोग्राम / क्यूबिक मीटर) को हासिल करना।
- **कवरेज:** 24 राज्यों के **131 शहरों को कवर** करता है।
- **NCAP के तहत पहलें**
    - वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाना
    - 100 गैर-प्राप्ति वाले शहरों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना
    - इनडोर वायु प्रदूषण निगरानी और प्रबंधन
    - राष्ट्रीय उत्सर्जन सूची
    - प्रौद्योगिकी आकलन सेल
    - तकनीकी संस्थानों का नेटवर्क
    - गैर-प्राप्ति/शहरों में वायु-प्रदूषण के नियमन के लिए "प्राण/PRANA" पोर्टल

फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के मध्य क्लाइमेट रेजिलिएंस का निर्माण

- **उद्देश्य:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का मुकाबला करना।
- **यह परियोजना पराली जलाने से निपटने के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (National Adaptation Fund for Climate Change: NAFCC)** के अंतर्गत शुरू की गई है।
- **कवरेज: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान**

हरित कौशल विकास कार्यक्रम (Green Skill Development Programme: GSDP)

- **उद्देश्य:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत संधारणीय विकास के लिए तकनीकी ज्ञान और प्रतिबद्धता रखने वाले **हरित कुशल श्रमिकों** को विकसित करना है।
- **परिकल्पित और विकसित:** इसे **राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA)** के परामर्श से MoEF&CC के अंतर्गत परिकल्पित और विकसित किया गया है।
- इसके तहत सभी पाठ्यक्रम **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप** हैं।
- इसके तहत **पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) हब तथा रिसोर्स पार्टनर्स (RPs) के व्यापक नेटवर्क** का उपयोग किया जाता है।
- **GSDP-ENVIS एक मोबाइल ऐप है,** जो देश के युवाओं में रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (India Cooling Action Plan: ICAP)

- **उद्देश्य: समाज के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक लाभ** सुनिश्चित करते हुए सभी के लिए **सतत कूलिंग (शीतलन) तथा ऊष्मा से राहत प्रदान** करने की व्यवस्था करना।
- **शामिल क्षेत्रों में कूलिंग** की दिशा में एक एकीकृत दिशा प्रदान करता है-
    - **कूलिंग डिमांड में कमी,** रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और,
    - **20 साल की अवधि के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्प (इन्फोग्राफिक्स देखें)।**
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरह के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान	
20%-25%	सभी क्षेत्रों में कूलिंग की मांग में कमी
25%-30%	रेफ्रिजरेंट की मांग में कमी
25%-40%	कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं में कमी
100,000	2022-23 तक सर्विसिंग सेक्टर के तकनीशियनों का प्रशिक्षण और प्रमाणन

© Vision IAS

परिवेश (आपसी परामर्श, गुणकारी और पर्यावरण एकल खिड़की के माध्यम से अग्र-सक्रिय और जवाबदेह सुविधा) {Parivesh (Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub)}

- यह **एक वेब आधारित व भूमिका आधारित कार्य प्रवाह अनुप्रयोग** है। इसे केंद्र, राज्य और जिला स्तर के विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिए आवेदन जमा करने एवं आवेदनों की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। इससे विभिन्न प्रकार की मंजूरी लेना आसान हो जाएगा:
    - **पर्यावरण मंजूरी (EC),**
    - **वन निकासी (FC),**
    - **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) निकासी, और**
    - **वन्यजीव (WL) निकासी।**
- **उद्देश्य:** आवेदन जमा करने की **पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करना** और प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में ऐसे प्रस्तावों की स्थिति पर नजर रखना।

वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (Integrated Development of Wildlife Habitats)

केंद्र प्रायोजित योजना

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **वित्तीय सहायता:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को यह वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे संरक्षित क्षेत्रों (PAs) के साथ-साथ इसके बाहर भी वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा और उनका संरक्षण कर सकें। साथ ही, गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति हेतु कार्यक्रमों को आयोजित भी कर सकें।
    - संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, आरक्षित रिजर्वों एवं सामुदायिक रिजर्वों) को सहायता प्रदान करना।
    - क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों एवं पर्यावासों के संरक्षण हेतु पुनरुत्थान कार्यक्रम का संचालन करना।

योजना के घटक		
संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, आरक्षित रिजर्वों एवं सामुदायिक रिजर्वों) को सहायता प्रदान करना	संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण करना	गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों एवं पर्यावासों के संरक्षण हेतु पुनरुत्थान कार्यक्रम का संचालन करना

राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (National Mission on Himalayan Studies: NMHS)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य:** भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन
- **फोकस:** राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 के अनुसार स्थानीय समुदायों की आजीविका को बढ़ाना
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** हिमालयन नॉलेज नेटवर्क (HKN)

विषयगत क्षेत्र
• कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण • खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन करना • फिजिकल कनेक्टिविटी • बुनियादी ढांचे का विकास • जल संसाधन प्रबंधन • आजीविका विकल्प और रोजगार सृजन • जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन

पर्यावरण सूचना प्रणाली (Environmental Information System: ENVIS)

- एनविस हब के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संग्रह, मिलान, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रसार के साथ व्यापक **पर्यावरणीय जानकारी** का **एकल-स्टॉप वेब-सक्षम भंडार।**

पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (Environment Education Awareness and Training: EEAT)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य कार्यक्रम

नेशनल ग्रीन कॉर्प्स (NGC) कार्यक्रम	राष्ट्रीय प्रकृति कैम्पिंग कार्यक्रम (NNCP)
इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों में 1 लाख से अधिक इको-क्लब बनाए गए है। इससे छात्रों को शिक्षित करना और पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना आसान हो जाएगा।	इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के लिए देश के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों/नेचर पार्क/टाइगर रिजर्व में फील्ड विजिट/नेचर कैंप का आयोजन किया गया।

LeadIT (लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन) पहल

- **पृष्ठभूमि:** इसे **'संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, 2019'** में आरंभ किया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य विश्व को **विकार्बनीकृत करने में कठिन** और **ऊर्जा-गहन क्षेत्रों/उद्योगों** को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- **प्रारंभ: भारत और स्वीडन** तथा कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर
- **समर्थन: विश्व आर्थिक मंच**
- LeadIT **उन देशों और कंपनियों** को एकत्रित करता है **जो पेरिस समझौते के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।**
- LeadIT सदस्य इस अवधारणा का समर्थन करते हैं कि **ऊर्जा-गहन उद्योग** निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से **निम्न-कार्बन मार्गों पर प्रगति कर सकता है और उसे अवश्य करना चाहिए।**

सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर 'कोलंबो घोषणा-पत्र' (Colombo Declaration on Sustainable Nitrogen Management)

- **नाइट्रोजन चुनौतियों पर कार्रवाई के लिए एक प्रस्तावित रोडमैप।**
- **प्रस्तावित:** 2019 में श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
- **समर्थन:** इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा **समर्थन प्राप्त** है।
- **उद्देश्य: 2030 तक नाइट्रोजन अपशिष्ट को आधा करना।**
- कोलंबो घोषणा-पत्र' को **'अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली (International Nitrogen Management System: INMS)'** के तकनीकी समर्थन से विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि INMS, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNEP) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा समर्थित **अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल** की एक संयुक्त पहल है।

नगर वन योजना {Nagar van scheme}

- **इसे विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून), 2020 को लांच किया गया था।**
- **लक्ष्य: 2020-21 से 2024-25** की अवधि के दौरान देश में **400 नगर वन और 200 नगर वाटिकाओं** का विकास करना।
- **लक्ष्य:** इस योजना का उद्देश्य शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके अलावा, **वनों और हरित आवरण के बाहर अधिक से अधिक वृक्ष लगाना** है, जैव विविधता में वृद्धि करना है, शहरी और शहरों के बाहरी क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिक लाभ की दिशा में काम करना है।
- **योजना के तहत-**
  - वन या तो **मौजूदा वन भूमि पर या शहरी स्थानीय निकायों** द्वारा **प्रस्तावित किसी अन्य खाली भूमि के अंतर्गत आएंगे।**
  - वन उद्यान स्थापित हो जाने पर उसका **रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।**
- यह योजना **CAMPA अधिनियम या प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत** पूरी तरह से वित्त-पोषित है।

18. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)

18.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

भारत को जानो कार्यक्रम (Know India Programme: KIP)

- **उद्देश्य:** भारत में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों से भारतीय प्रवासियों को परिचित कराना।
- यह प्रवासी युवाओं के लिए तीन सप्ताह का एक अभिविन्यास कार्यक्रम (Orientation programme) है। यह भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं और देश द्वारा आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति पर जागरुकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है।
- **योग्यता:** इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा (अनिवासी भारतीयों को छोड़कर) शामिल हैं जिनकी आयु **18-30 वर्ष** के बीच है। ये युवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से **स्नातक या स्नातक के लिए नामांकित** और **अंग्रेजी में बोलने की क्षमता रखते** हैं।
- **वरीयता:** इसमें गिरमिटिया देशों (मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका और जमैका) के भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को वरीयता दी जाएगी।

प्रवासी कौशल विकास योजना (Pravasi Kaushal Vikas Yojana: PKVY)

- **उद्देश्य:** विदेशी रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चयनित क्षेत्रों और नौकरियों में विदेश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
- **मंत्रालय: इस योजना में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** के साथ विदेश मंत्रालय की साझेदारी है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)
- यह **अल्पकालिक कार्यक्रम** (2 सप्ताह से एक महीने तक) है। इसमें उन्हें उपयुक्त कौशल समूह में प्रशिक्षण देना सम्मिलित है जो **सांस्कृतिक अभिविन्यास के साथ-साथ संचार, व्यापार विशिष्ट ज्ञान और कौशल में आवश्यकताओं का समाधान करते** हैं।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम {Indian Technical & Economic COOPERATION (ITEC) Programme}

- इस कार्यक्रम की **स्थापना 1964 में की गई** थी। ITEC अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए सबसे पुरानी संस्थागत व्यवस्थाओं में से एक है।
- यह एक मांग-आधारित व प्रतिक्रिया-उन्मुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत और भागीदार राष्ट्र के मध्य नवीन तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की आवश्यकताओं को संबोधित करना है।
- यद्यपि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) **वास्तव में एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है,** परन्तु इसके संसाधनों का उपयोग इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और G-77 जैसे त्रिपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के वित्तपोषण के लिए भी किया गया है।
- यह प्रत्येक वर्ष भारत में 100 से ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थानों में लगभग **10,000 पूर्ण रूप से वित्त-पोषित व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अवसर** प्रदान करता है।
- यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के विकास भागीदारी प्रशासन-द्वितीय प्रभाग **द्वारा प्रशासित** है।

हालिया पहलों में शामिल हैं:

eITEC (डिजिटल डिलीवरी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन प्रशिक्षण)
ITEC-कार्यकारी (वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए अल्पकालिक नीति-केंद्रित, इन-पर्सन ट्रेनिंग)
ITEC-ऑनसाइट और ITEC-विशेषज्ञ (भारतीय विशेषज्ञों द्वारा किए गए ऑनसाइट क्षमता निर्माण कार्य)

प्रोजेक्ट (ई-वी.बी.ए.बी.): ई-विद्याभारती (टेली-एजुकेशन) और ई-अरोग्यभारती (टेली-मेडिसिन) {Project (e-VBAB): e-VidyaBharti (Tele education) and e-ArogyaBharti (Tele medicine)}

- **उद्देश्य:** अफ्रीकी देशों को निःशुल्क टेली-शिक्षा और टेली-मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना।

19. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

19.1. प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: PMVVY)

स्मरणीय तथ्य

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य: यह एक बीमा पॉलिसी-सह-पेंशन योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है।**
- **अर्हता:** केवल 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के **वरिष्ठ नागरिकों** के लिए।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय जीवन बीमा निगम

अन्य उद्देश्य: वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और **बाजार की अनिश्चितताओं** के कारण वृद्ध व्यक्तियों की ब्याज से अर्जित आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

गारंटीकृत पेंशन	परिपक्वता पर मूलधन की वापसी के साथ 10 वर्षों **के लिए पेंशन भुगतान की गारंटी** **अंशदान के आधार पर, 1000/- रुपये प्रति माह से लेकर 12,000/- रुपये प्रति माह तक सुनिश्चित पेंशन**
निवेश की सीमा	• **न्यूनतम सीमा = 1.56 लाख रुपये** • **अधिकतम सीमा = 15 लाख रुपये** • पेंशन की अधिकतम सीमा में **परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे।** परिवार में **पेंशनभोगी, उसका/उसकी जीवनसाथी और आश्रित** शामिल होंगे।
कर संबंधी लाभ	• इस योजना में मूलधन पर GST संबंधी छूट के अतिरिक्त अन्य **कोई कर संबंधी लाभ शामिल नहीं** है।
समय से पूर्व निकासी की अनुमति	• स्वयं या जीवनसाथी की गंभीर या लाइलाज बीमारी के मामले में मूलधन पर **2 प्रतिशत अर्थदंड** के साथ समय से पूर्व निकासी की अनुमति है।
ऋण संबंधी सुविधा	• **इस योजना के तहत 3 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के उपरांत ऋण संबंधी सुविधा उपलब्ध** है। • इसके तहत प्रदान किया जाने वाला अधिकतम ऋण, **क्रय मूल्य का 75% होगा।**
अभिदाता (Subscriber) की मृत्यु	• यदि किसी निवेशकर्ता की 10 साल की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो **लाभार्थी को मूलधन वापस कर दी जाएगी।**

19.2. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand up India scheme)

स्मरणीय तथ्य

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य:** प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना।
- **अर्हता:** विनिर्माण, सेवाओं, कृषि से संबद्ध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र में **ग्रीनफील्ड उद्यम।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)**

उद्देश्य: कम-से-कम एक **अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता** और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवाएं या व्यापार क्षेत्रक या **कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा से 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के तक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं

अर्हता और बहिष्करण	1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति या कोई महिला। 2. ग्रीन फील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपलब्ध ऋण। 3. गैर-व्यक्तिगत उद्यम के लिए कम-से-कम 51% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। 4. उधारकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
संपार्श्विक या जमानत मुक्त कवरेज	• संपार्श्विक मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए, भारत सरकार ने **स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFSI) की स्थापना की है।** ○ **हालांकि, सरकार** योजना के तहत ऋण के लिए **धन आवंटित नहीं करती है।**
ऋण देने वाली संस्था	• वाणिज्यिक मानदंडों के अनुसार, **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएं** ऋण प्रदान करती हैं।
ऋण सुरक्षा	• **प्राथमिक सुरक्षा** के अलावा, बैंकों द्वारा तय किए गए **CGFSI** की संपार्श्विक सुरक्षा या गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जा सकता है।
ब्याज दर	• ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगी, जो आधार दर {(मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट: MCLR) + 3% + परिपक्वता काल (Tenor) प्रीमियम)} से अधिक नहीं होगी।
ऋण भुगतान	• **अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि के साथ ऋण** को चुकाने की अवधि 7 वर्ष है।
स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर	• **संभावित उधारकर्ताओं को हैंड होल्डिंग सहायता।** • सिडबी और नाबार्ड के कार्यालयों को **स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर** के रूप में नामित किया गया है, जो आवश्यक सहायता की व्यवस्था करेंगे। **स्टैंड-अप इंडिया इकोसिस्टम** बैंक शाखा 1, बैंक शाखा 2 → कनेक्ट सेंटर सिडबी बैंक शाखा 3, बैंक शाखा 4 → कनेक्ट सेंटर नाबार्ड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र MSME विकास संस्थान राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास वित्त निगम उद्योग संघ जिला उद्योग केंद्र दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौशल केंद्र महिला उद्यमिता संघ
अन्य योजना के साथ अभिसरण	• **केंद्र/राज्य सरकार की योजना के साथ अभिसरण**

19.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana: PMMY)

स्मरणीय तथ्य

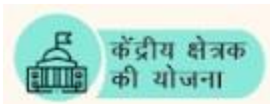

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य: एक समावेशी, संधारणीय और मूल्य आधारित उद्यमशीलता संस्कृति का निर्माण**

- **मुद्रा (MUDRA): यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में और RBI के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत है।**
- **इच्छित लाभार्थी:** कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्रक में आय सृजन गतिविधि के लिए व्यवसाय योजना है और जिसकी **ऋण आवश्यकता 10 लाख रुपये से कम** है।

उद्देश्य: बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक वित्त की पहुँच सुनिश्चित करना। साथ ही, अंतिम व्यक्ति को भी वित्त प्रदान करने वाले वित्तदाताओं (last Mile Financers) द्वारा अनौपचारिक क्षेत्रक के अधिकांश सूक्ष्म/ लघु उद्यमों को प्रदत्त वित्त की लागत में कमी लाना।

प्रमुख विशेषताएं

लाभार्थियों को ऋण	• **MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड) सूक्ष्म/लघु व्यावसायिक संस्थाओं को ऋण देने में शामिल वित्तीय संस्थाओं (FIs) को सहायता प्रदान करता है।** ○ **इन वित्तीय संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)/लघु वित्त बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC)** शामिल हैं।
लाभार्थी को 3 प्रकार के ऋण आबंटित किए जाएंगे	• PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। • **RBI द्वारा बैंकों को अधिदेश दिया गया है कि वे संपार्श्विक प्रतिभूतियों (Collateral security) पर जोर नहीं दे।**
मुद्रा कार्ड	• **डेबिट कार्ड** को मुद्रा ऋण खाते के एवज में जारी किया जाता है। • इसे **एक से अधिक बार आहरण** और ऋण लेने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि कार्यशील पूंजी की सीमा का लागत-कुशल तरीके से प्रबंधन किया जा सके और **ब्याज के बोझ को न्यूनतम रखा जा सके।** **ऋण के प्रकार**: 50,000 रुपये तक / 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक / 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक
क्रेडिट गारंटी	• संपार्श्विक संबंधी मुद्दे का समाधान करने और ऋण संस्थानों को सुविधा प्रदान करने के लिए, क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट को **"क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स फंड" (CGFMU)"** नामक एक कोष की स्थापना के साथ विस्तृत किया गया है। • इस योजना का प्रबंधन **'राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)'** द्वारा किया जा रहा है।

19.4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System: NPS)

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** भारत के प्रत्येक नागरिक को सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त आय प्रदान करना।
- **लाभार्थी: 18-65 वर्ष** के आयु वर्ग वाला **भारत का कोई भी नागरिक** (निवासी और अनिवासी दोनों)।
- **कवरेज:** सार्वजनिक, निजी और असंगठित क्षेत्रक के कर्मचारी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।**

उद्देश्य: सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति पर आय प्रदान करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की आदत विकसित करना।

मुख्य विशेषताएं

कवरेज	• 01.01.2004 को या उसके बाद भर्ती हुए **केंद्र सरकार के कर्मचारियों** (सशस्त्र बलों को छोड़कर) पर **अनिवार्य रूप से लागू होगी।** • पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य **सभी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए NPS को अपनाया है।**
योगदान	• **व्यक्ति** अपने सेवानिवृत्ति खाते में **योगदान करते हैं** और **नियोक्ता भी उस खाते में सह-योगदान कर सकते हैं।** • कोई व्यक्ति NPS के तहत केवल एक खाता ही खोल सकता है। हालांकि, वह व्यक्ति **अटल पेंशन योजना में दूसरा खाता खोल सकता है।**
दो प्रकार के खाते	**खाते का प्रकार – विशेषता** **टियर I खाता**: • **गैर-निकासी खाता:** यह सेवानिवृत्ति के लिए बचत के उद्देश्य से खोला गया खाता है। **टियर II खाता**: • यह एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है।

	• इसका लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं, जिनके पास टियर-1 खाता है। • सब्सक्राइबर कभी भी अपने इस खाते से बचत की राशि को निकाल सकता है। • इस खाते पर **कोई कर लाभ नहीं मिलता है।**
मार्केट लिंक्ड रिटर्न	• **सेवानिवृति की अवधि तक जमा किए गए योगदान पर मार्केट लिंक्ड रिटर्न प्राप्त होता है।** **NPS सब्सक्राइबर्स को 3 फंड ऑफर करता है।** **इक्विटीज** | **कॉरपोरेट बॉन्ड** | **सरकारी प्रतिभूतियां**
स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number: PRAN)	• इसके तहत एक **विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN)** आवंटित की जाती है। यह पोर्टेबल होती है और इसका इस्तेमाल **भारत में किसी भी स्थान से किया जा सकता है।**
आंशिक निकासी	**निकासी निम्नलिखित रूप से की जा सकती है-** • NPS में शामिल होने की तिथि से कम-से-कम 3 वर्ष बाद ही निकासी की जा सकती है, किंतु **कौशल विकास, री-स्किलिंग या किसी अन्य स्व-विकास जैसी गतिविधि के लिए इससे पूर्व भी निकासी की अनुमति है।** • सब्सक्रिप्शन की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार निकासी की जा सकती है। • स्वास्थ्य, विवाह, घर और शिक्षा जैसी अनिवार्यताओं के लिए अंशदान के 25% तक की निकासी की जा सकती है।
10 वर्ष पूरे होने के बाद ही प्रीमैच्योर एग्जिट	**निकासी के लिए शर्तें:** यदि कुल संचित निधि: **1 लाख या इससे कम हो तो पूर्ण राशि की निकासी की जा सकती है।** **1 लाख से अधिक हो:** • संचित निधि का केवल **20%** एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। • संचित निधि का 80% एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने वाली **एन्युटी की खरीद के लिए उपयोग करना होता है।**
60 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर योजना से प्राप्त होने वाले लाभ	**संचित पेंशन निधि का न्यूनतम 40%** — **मासिक एन्युटी या पेंशन के लिए उपयोग किया जाता है।** **संचित पेंशन निधि का शेष 60%** — **सब्सक्राइबर को एकमुश्त भुगतान किया जाता है।**
कर लाभ	NPS के तहत किया गया निवेश EEE के रूप में है। छूट (Exempt): किए गए योगदान पर कर लाभ प्राप्त होता है, अर्थात् कोई कर नहीं देना होता है। छूट (Exempt): वृद्धि और संचय चरण में कोई कर नहीं देना होता है। छूट (Exempt): योजना से बाहर निकलने पर प्राप्त होने वाले लाभ पर कोई कर नहीं लगता है। • **NPS टियर-I में कर्मचारी का स्वयं का अंशदान निम्नलिखित के लिए पात्र है:** ○ आईटी अधिनियम की धारा **80 C के तहत 1,50,000 रुपये की कर कटौती उपलब्ध है।** ○ आईटी अधिनियम की धारा **80 CCD(1) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ प्राप्त हो सकता है।** • **निकासी:** ○ NPS टियर-I से सब्सक्राइबर द्वारा किए गए **योगदान के 25% तक की अंतरिम/आंशिक निकासी** कर मुक्त है। ○ **सेवानिवृति के समय NPS टियर-I से कुल पेंशन निधि के 60% तक की एकमुश्त निकासी पर कर छूट प्राप्त** है। ▪ **एन्युटी के लिए उपयोग की गई राशि का न्यूनतम 40% भी कर मुक्त** है।

19.5. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme: GMS)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में **अप्रयुक्त स्वर्ण को एकत्रित करना** और उसे उत्पादक उपयोग में लाना।
- **लाभार्थी:** चैरिटेबल संस्थान, व्यक्ति और संयुक्त जमाकर्ता।
- **कराधान लाभ:** GMS के तहत अर्जित आय **पूंजीगत लाभ कर, संपत्ति कर और आयकर** से मुक्त है।

अन्य उद्देश्य:

- **परिवारों और संस्थानों के पास उपलब्ध स्वर्ण को एकत्रित करके** उसे उत्पादक उपयोग में लाना।
- स्वर्ण के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना।
- देश में रत्न और आभूषण क्षेत्रक को प्रोत्साहन प्रदान करना।

क्या आप जानते हैं?

रत्न और आभूषण क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में से एक है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 7% है। साथ ही, देश के कुल **पण्य-निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 10-12%** है।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• पूर्ववर्ती **'गोल्ड डिपॉजिट स्कीम' और 'गोल्ड मेटल लोन'** स्कीम को संशोधित तथा परस्पर संबद्ध करते हुए इसमें शामिल किया गया है।			
योग्यता	• **निवासी भारतीय** (व्यक्तिगत, हिन्दू अविभाजित परिवार या HUFs, प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म आदि) इस योजना के तहत स्वर्ण जमा कर सकते हैं। • **दो या दो से अधिक पात्र जमाकर्ताओं को संयुक्त रूप से जमा करने की अनुमति दी गई है।**			
जमा की जाने वाली मात्रा की सीमा	• **न्यूनतम: 10 ग्राम कच्चा स्वर्ण** {स्वर्ण के बिस्किट, सिक्के, आभूषण (रत्न और अन्य धातुओं को छोड़कर)} • अधिकतम: कोई सीमा नहीं है।			
अवधि		अल्पावधि बैंक जमा (Short Term Bank Deposit: STBD)	मध्यम अवधि की सरकारी जमा (Medium Term Government Deposit : MTGD)	दीर्घावधि की सरकारी जमा (Long Term Government Deposit : LTGD)
	जमाएं	**बैंक की ऑन-बैलेंस शीट संबंधी देयता**	**केंद्र सरकार की ओर** से बैंकों द्वारा **जमा स्वीकार किए जाते हैं।**	
	अवधि	1 - 3 वर्ष	5 - 7 वर्ष	12 - 15 वर्ष
	लॉक इन पीरियड	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
	निवेश पर लाभ (जमा के समय स्वर्ण की कीमत के आधार पर)	जैसा की बैंक द्वारा निर्धारित किया जाए	2.25% वार्षिक	2.50% वार्षिक
	मूल्य निर्धारण	• **मूलधन:** ग्राहक के विवेक के आधार पर स्वर्ण/नकद • **ब्याज:** स्वर्ण	• **मूलधन:** नकद • **ब्याज:** नकद	

19.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम

- SGBs **स्वर्ण को ग्राम में निरूपित करने वाली सरकारी प्रतिभूतियां हैं।**

© Vision IAS

- ये **भौतिक रूप में स्वर्ण रखने का एक विकल्प हैं।**
- निवेशकों को **निर्गम मूल्य का भुगतान नकद में करना होता है और परिपक्वता पर बॉण्ड को नकद में भुनाया जाएगा।**
- **अर्जित ब्याज: निवेशकों को अंकित मूल्य (Nominal Value) पर अर्द्ध-वार्षिक रूप से 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निश्चित दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा।**
- भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इस बॉण्ड को जारी करता है।
- **पात्रता:** भारत में रहने वाले व्यक्ति {व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान}।
- **नो-योर-कस्टमर (KYC) मानदंड:** प्रत्येक आवेदन के साथ 'पैन नंबर' होना अनिवार्य है।

अवधि	कर लाभ	एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले निवेश की सीमाएं	SGBs बेचने वाली अधिकृत एजेंसियां
• बॉण्ड की अवधि 8 वर्ष है। • **बॉण्ड के जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के बाद इसके पूर्व** नकदीकरण/मोचन की अनुमति दी जाती है।	• **बॉण्ड पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है।** • किसी व्यक्ति को SGBs के मोचन से प्राप्त **पूंजीगत लाभ** को कर से **छूट प्रदान की गई है।**	• **न्यूनतम:** एक ग्राम • **अधिकतम:** किसी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए 4 किग्रा तथा ट्रस्टों और अन्य समान संस्थाओं के लिए 20 किग्रा। • संयुक्त धारिता के मामले में **सीमा प्रथम आवेदक पर लागू होती है।**	• बॉण्ड को **राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित निजी बैंक, अनुसूचित विदेशी बैंक, नामित डाकघर, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL)** के कार्यालयों या शाखाओं के माध्यम से बेचा जाता है।

बीमा योजनाएं (Insurance schemes)

ब्यौरा	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) केंद्रीय क्षेत्रक की योजना	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
प्रकृति	जीवन बीमा योजना (55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा)	दुर्घटनाओं के लिए बीमा
पात्रता	• 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के **नागरिकों (NRI सहित)** के लिए उपलब्ध है।	• 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के **नागरिकों (NRI सहित)** के लिए उपलब्ध है।
कवर किया गया जोखिम	• नामांकन के पहले 45 दिनों के बाद **किसी भी कारण से** मृत्यु।	**दुर्घटना में मृत्यु और दिव्यांगता**
कवरेज	• **2 लाख रुपये (सावधि बीमा),** वर्ष-दर-वर्ष नवीकरणीय	• **आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपये** • **आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए 1 लाख रुपये।**
शर्तें	**एक बैंक या डाकघर खाता और प्रीमियम के ऑटो-डेबिट को सक्षम करने के लिए सहमति।**	
लागू करने वाली एजेंसी	• **जीवन बीमा निगम** • **अन्य सभी जीवन बीमा कर्ता**	• सार्वजनिक क्षेत्रक की **सामान्य बीमा कंपनियां** (PSGICs) • अन्य सामान्य बीमा कंपनियां
प्रीमियम दर	436 रुपये वार्षिक	20 रुपये वार्षिक

अटल पेंशन योजना (APY)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **उद्देश्य: असंगठित क्षेत्रक के लोगों के लिए न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

मुख्य विशेषताएं

पात्रता	लाभ	स्वैच्छिक बाहर निकलना
		• सब्सक्राइबर कुछ शर्तों साथ

• APY के तहत **18 से 40 वर्ष की** आयु के सभी बैंक खाताधारक शामिल हो सकते हैं।	• 60 वर्ष की आयु में **1000 या इसके गुणक के रूप में 5000 रुपए तक** की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है। यह मात्रा योगदान के आधार पर निर्धारित की जाएगी।	योजना से बाहर निकल सकता है।

• सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर	**समय से पूर्व मृत्यु होने पर** (60 वर्ष की अवधि से पहले)	उसका पति/पत्नी APY खाते में योगदान को जारी रख सकता/सकती है।
	60 वर्ष की अवधि के बाद मृत्यु होने पर	पति/पत्नी को पेंशन दी जाएगी।
		यदि पति/पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो संचित पेंशन निधि नामित व्यक्ति (Nominee) को दी जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY)

- **उद्देश्य:** विभिन्न क्षेत्रकों/उद्योगों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें अधिक श्रमिकों को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

पात्रता	भर्ती को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन
• इसमें **EPFO के तहत पंजीकृत प्रत्येक संस्थान** और अक्टूबर 2020 से जून 2021 के बीच नियुक्त **उनके नए कर्मचारी** (15,000 / - रुपये प्रतिमाह से कम वेतन अर्जित करने वाले) या मार्च 2020 से सितंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले शामिल हो सकते हैं।	• इसके तहत **केंद्र** द्वारा दो वर्षों के लिए EPFO पंजीकृत संस्थानों के **कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों के भविष्य निधि** के देय हिस्से (प्रत्येक के वेतन का 12%) का या केवल कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान किया जाएगा। इसका निर्धारण संस्थानों की रोजगार शक्ति के आधार पर किया जाएगा।

अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना (व्यवहार्य अंतराल वित्त-पोषण: VGF) {Scheme for Financial Support to PPP in Infrastructure Viability Gap Funding (VGF) Scheme}

- **उद्देश्य: सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)** के माध्यम से शुरू की गई अवसंरचना से संबंधित **परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु एकमुश्त या विलंबित अनुदान के रूप में** वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **अवधि:** 2024-25 तक।

उपयोजना-1	उपयोजना-2
अपशिष्ट जल उपचार, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे **सामाजिक क्षेत्रकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।**	यह **निरूपण/सामाजिक क्षेत्रकों की प्रायोगिक परियोजनाओं** को सहायता देगी तथा ये परियोजनाएं स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से हो सकती है
पात्र परियोजनाओं में कम-से-कम **100% संचालन लागत** पुन: प्राप्त (Recover) होनी चाहिए।	पात्र परियोजनाओं में कम-से-कम **50% संचालन लागत** पुन: प्राप्ति होनी चाहिए।
केंद्र सरकार VGF के तहत कुल परियोजना लागत का अधिकतम 30% प्रतिशत उपलब्ध कराएगी तथा राज्य सरकार/प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय/सांविधिक निकाय कुल परियोजना लागत का 30% अतिरिक्त सहायता के रूप में उपलब्ध करा सकती है।	केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर पहले पांच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का **80% हिस्सा तथा संचालन एवं रखरखाव (O&M) लागत का 50% हिस्सा उपलब्ध कराएंगी।** **केंद्र सरकार** इस परियोजना में **कुल परियोजना लागत** का अधिकतम 40% हिस्सा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, यह पहले पांच वर्षों में वाणिज्यिक संचालन के लिए परियोजना की संचालन लागत का अधिकतम 25% भी उपलब्ध करा सकती है।

पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCE) योजना {Special Assistance to States for Capital Expenditure (SASCE) scheme}

- पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को **50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- इसके तहत प्रदान किया गया ऋण वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों को दी जाने वाली **सामान्य उधारी सीमा से अधिक या उसके अतिरिक्त** है।
- इस आवंटन का उपयोग **पीएम गति शक्ति से संबंधित और राज्यों के अन्य उत्पादक पूंजी निवेश** के लिए किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित घटक के लिए निवेश शामिल हैं:
    - **पीएम ग्राम सड़क योजना** के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पूरक वित्त-पोषण, जिसमें राज्यों के हिस्से का समर्थन शामिल है।
    - **अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, जिसमें** डिजिटल भुगतान तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) नेटवर्क को पूरा करना भी शामिल है।
    - **सुधार,** जिसमें इमारतों से संबंधित उप-नियमों, नगर नियोजन योजनाओं, संक्रमण-उन्मुख विकास और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट (TDR) से संबंधित सुधार शामिल हैं।

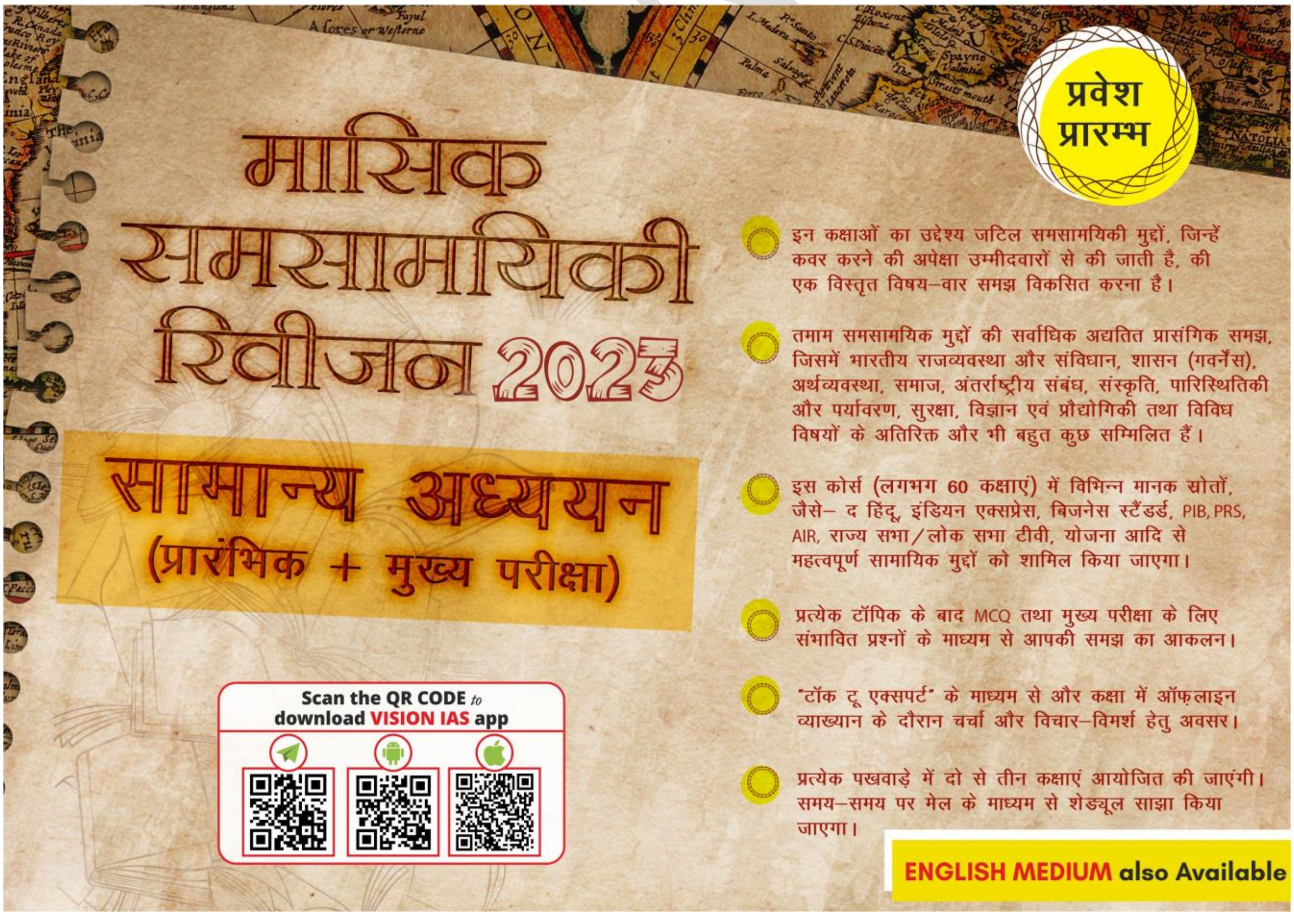

20. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)

20.1. नीली क्रांति: समेकित मात्स्यिकी विकास और प्रबंधन (Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries)

स्मरणीय तथ्य

केंद्र प्रायोजित योजना

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

लक्ष्य: अंतर्क्षेत्रीय और समुद्री, दोनों क्षेत्रों में जलकृषि (Aquaculture) व मात्स्यिकी संसाधनों से उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना।

कवरेज: पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्य।

कमजोर वर्गों को समर्थन: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं तथा उनके सहकारी संस्थाओं को मत्स्यन और मत्स्य-पालन संबंधी गतिविधियों को अपनाने में सहायता करना।

उद्देश्य

- **उत्तरदायी और संधारणीय तरीकों से समग्र मत्स्य उत्पादन में वृद्धि** करना।
- **मत्स्य-पालन का आधुनिकीकरण करना तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा** सुनिश्चित करना।
- **रोजगार और निर्यात से आय सृजित करना तथा समावेशी विकास** सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

विज़न	• **नीली क्रांति का मिशन देश, मछुआरों तथा मत्स्य कृषकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है।**
वित्तीय सहायता	• इसके तहत मत्स्य-पालन और जलकृषि क्षेत्रक के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही, मत्स्य उत्पादन और उससे संबंधित सभी गतिविधियां को भी सहायता दी जाएगी। इन गतिविधियों में मत्स्य ब्रूड बैंक, हैचरीज, तालाबों का निर्माण आदि शामिल है।
मिशन फिंगरलिंग	• देश में मत्स्य फिंगरलिंग (नवजात/छोटी मछली), झींगे और केकड़े के लार्वा की निश्चित स्तर तक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए **हैचरी और फिंगरलिंग पालन-पोषण तालाबों की स्थापना की सुविधा प्रदान करना।**
मत्स्य-पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF)	• इसकी स्थापना **7522.48 करोड़ रुपये** की कुल निधि के साथ की गई थी। • केंद्र सरकार मत्स्य-पालन क्षेत्रक में अवसंरचना के विकास के लिए नोडल ऋण संस्थाओं द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने हेतु **3% प्रति वर्ष तक ब्याज अनुदान प्रदान करती है।**
योजना के घटक	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि का विकास समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और उत्पादन पश्चात् परिचालनों का विकास मात्स्यिकी क्षेत्रक के डेटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण मात्स्यिकी क्षेत्रक के लिए संस्थागत व्यवस्था निगरानी, नियंत्रण और निरिक्षण (MCS) और अन्य आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना।

© Vision IAS

20.2. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission: RGM)

स्मरणीय तथ्य

लक्ष्य: स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण।

किसकी उप-योजना है: राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना।

प्रमुख लाभार्थी: लघु एवं सीमांत किसान, विशेष रूप से महिलाएं।

अवधि: 2021-22 से 2025-26 तक

उद्देश्य

- **उन्नत तकनीकों का उपयोग करके** एक संधारणीय तरीके से **गोवंश की उत्पादकता में वृद्धि करना**।
- प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों की नस्ल के उपयोग को बढ़ावा देना।
- प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करके और **किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करके कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना।**
- वैज्ञानिक और सर्वांगीण तरीके से **देसी गोवंशीय पशुओं एवं भैंसों के पालन व संरक्षण को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

<table>
<tr><td>निधीयन पैटर्न</td><td>

भाग लेने वाले किसानों को प्रति इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) गर्भावस्था के लिए 5,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
सेक्स सॉर्टेड सीमेन को बढ़ावा देने और नस्ल गुणन फार्म (Breed Multiplication Farm) की स्थापना हेतु 50% तक अनुदान दिया जाएगा।
अन्य घटकों के लिए 100% अनुदान सहायता दी जाएगी।

</td></tr>
<tr><td>प्रमुख घटक</td><td>
<table>
<tr><th>उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले जर्मप्लाज्म की उपलब्धता</th><th>AI कवरेज का विस्तार करना</th><th>स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना</th><th>कौशल विकास</th><th>किसानों को जागरूक करना</th><th>मवेशियों और भैंस के विकास से संबंधित अन्य गतिविधियां</th></tr>
<tr><td>बैल उत्पादन कार्यक्रम</td><td>ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय AI तकनीशियनों की स्थापना (MAITRIs) करना।</td><td>गौशालाओं,गौसदनों और पिंजरपोलों को सहायता प्रदान करना।</td><td rowspan="2">पेशेवरों को IVF तकनीक और अन्य उन्नत प्रजनन तकनीकों में प्रशिक्षित करना। इसके अलावा, AI तकनीशियनों/ पेशेवरों आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।</td><td rowspan="2">इस योजना के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रजनन शिविर आदि का आयोजन किया जाता है। साथ ही, किसानों, सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियनों, डेयरी सहकारी समितियों आदि को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।</td><td rowspan="2">मवेशी और भैंस के विकास के लिए गोजातीय प्रजनन और अन्य संबंधित गतिविधियों में अनुसंधान विकास तथा नवाचार करना।</td></tr>
<tr><td>वीर्य स्टेशनों को समर्थन देना</td><td>राष्ट्रव्यापी AI कार्यक्रम (NAIP)</td><td>राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का संचालन करना।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td><table><tr><td>IVF प्रौद्योगिकी को लागू करना</td><td>सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करना।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>नस्ल गुणन फार्म</td><td>राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (लाइवस्टैक) का कार्यान्वयन करना।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>कार्यान्वयन एजेंसी (IAs)</td><td><table><tr><td>राज्य स्तर पर
पशुधन विकास बोर्ड
दुग्ध संघ</td><td>केंद्रीय स्तर पर
सेंट्रल फ्रोजन सिमेन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
मवेशी प्रजनन फार्म
सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
भारतीय कृषि विकास परिषद (ICAR) और इसके संस्थान
केंद्रीय विश्वविद्यालय/ सरकारी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>निधीयन</td><td>निधियां सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों (IAs) को जारी की जाती है।</td></tr>
<tr><td>राज्यवार रैंकिंग</td><td>राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच अच्छे प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार रैंकिंग प्रदान की जाती है।</td></tr>
<tr><td>भागीदारी निगरानी</td><td>पंचायती राज संस्थाओं को निगरानी के लिए समेकित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम Nationwide Artificial Insemination Programme (NAIP)</td><td>कम लागत वाले ब्रीडिंग तरीकों का उपयोग करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गोवंश की सभी नस्लों को शामिल करने वाला एक अभियान मोड आनुवंशिकता उन्नयन कार्यक्रम है।
कृत्रिम गर्भाधान के तहत आने वाली प्रत्येक गाय एवं भैंस को टैग किया जाता है और उन्हें पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क (INAPH) डेटाबेस के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है।</td></tr>
</table>

20.3. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) {Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य :** भारत में मात्स्यिकी क्षेत्रक के संधारणीय एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** जैसे पुनर्चक्रीय जलकृषि प्रणाली, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स, केज कल्टीवेशन आदि।
- **अवधि:** वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक

उद्देश्य: मात्स्यिकी क्षमता का दोहन, अवसंरचना एवं विनियमन में सुधार, किसान की आय में वृद्धि और नीली क्रांति की उपलब्धियों का समेकन करना।

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं

इच्छुक लाभार्थी	• मछुआरे, मछली कृषक, मछली विक्रेता, मछली उद्योग में लगे हुए श्रमिक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग व्यक्ति, मत्स्य सहकारी समितियां/संघ आदि।
क्लस्टर या क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण	• आवश्यक **फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज** और प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक तक समाधान (End to End Solutions) उपलब्ध कराना।
फोकस के क्षेत्र	**जम्मू और कश्मीर** | **लद्दाख** | **द्वीपसमूह** | **पूर्वोत्तर** | **आकांक्षी जिले**
मुख्य गतिविधियां	ठंडे जल में मत्स्यन विकास | खारे जल और लवणीय क्षेत्रों में जलकृषि का विस्तार | समुद्री कृषि, समुद्री शैवाल उत्पादन और सजावटी मत्स्यन जैसी गतिविधियां
मछुआरों का सर्वांगीण विकास	• **तटीय मछुआरा समुदायों** का विकास करना। इसके लिए **आधुनिक तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों** को आवश्यक बुनियादी ढांचे से जोड़ना चाहिए।
मछुआरों का सामूहिकीकरण	• मछुआरों और मत्स्य कृषकों की सौदेबाजी करने की शक्ति बढ़ाने के लिए मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) का गठन करना।
अन्य सहायताएं	मत्स्यन नौकाओं को बीमा कवर प्रदान करना। | कार्य समर्थन के लिए बेहतर सेवाएं। | फिशिंग हार्बर और लैंडिंग केंद्रों के निर्माण तथा आधुनिकीकरण में वृहद निवेश
निजी क्षेत्रक भागीदारी	• इस क्षेत्रक की भागीदारी से उद्यमशीलता का विकास होगा, व्यापार सुगमता, स्टार्ट-अप, इनक्यूबेटर आदि सहित नवाचार गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

20.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष {Dairy processing & Infrastructure Development Fund (DIDF)}	केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **नाबार्ड** के साथ इस कोष की स्थापना की गई है।
- **लक्ष्य: दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों एवं मशीनों को आधुनिक बनाना। साथ ही,** अधिक दुग्ध को प्रसंस्कृत करने के लिए **अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण** करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)**
- **अंतिम उधारकर्ता:** इसमें दुग्ध संघ, राज्य डेयरी संघ, बहु-राज्य दुग्ध सहकारी समितियां, दुग्ध उत्पादक कंपनियां और NDDB की सहायक कंपनियां शामिल हैं।
- **वित्तीय सहायता:** यह योजना **पूंजी के अभाव वाली सहकारी दुग्ध संस्थाओं को 6.5% की दर से सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करती है।**
- **पुनर्भुगतान अवधि:** 2030-31 तक, अवधि में छूट के साथ वित्तीय वर्ष 2031-32 की प्रथम तिमाही तक।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme: NADCP)

- **उद्देश्य:** पशुओं, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों की 100% आबादी का टीकाकरण करके खुरपका एवं मुंहपका रोग (FMD) व ब्रुसेलोसिस का नियंत्रण करना।
- **लक्ष्य:** टीकाकरण करके **FMD को 2025 तक नियंत्रित करना** और अंततः **2030 तक उन्मूलन** करना।

शब्दावली को जानें

- **FMD:** फटे-खुर वाले पशुओं जैसे मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर आदि में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक वायरल वैस्कुलर रोग।
  - इसके कारण **दुग्ध उत्पादन में कमी, विकास दर में कमी, बांझपन, बैलों की कार्य क्षमता में कमी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके व्यापार पर प्रतिबंध तक लग जाता है।**
- **ब्रुसेलोसिस: बैक्टीरियम ब्रुसेला एबोर्टस** के कारण मवेशियों और भैंसों का एक प्रजनन रोग।
  - **बुखार, गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात, बांझपन, गाभिन अवस्था में देरी, बाधित स्तनपान** के परिणामस्वरूप बछड़ों की मौत, मांस और दूध के उत्पादन में कमी इस रोग के लक्षण हैं।
  - **भारत में स्थानिक और हाल के दिनों में इसमें वृद्धि होती प्रतीत हो रही है।**

राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण I (NDP-I)

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **अवधि:** 2012-2019
- **कवरेज:** गुजरात सहित 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य।
- **लक्ष्य: दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने** में मदद करना और ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को **संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्रक तक अधिक पहुंच** प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड।

"राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" योजना

- **लक्ष्य: दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना** और संगठित दुग्ध खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ाना।
- **अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक

योजना के **दो घटक** है।

घटक 'क'	घटक 'ख'
गुणवत्तापूर्ण दुग्ध जाँच उपकरणों के लिए अवसंरचना का निर्माण या उनका सुदृढीकरण करना। साथ ही, सहकारी संस्थाओं/स्वयं सहायता समूहों द्वारा चालित निजी डेयरी/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादन संगठनों के लिए प्राथमिक शीतलन सुविधा उपलब्ध कराना।	• **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA)** द्वारा सहायता प्राप्त है। • इसे शुरुआत में उत्तर प्रदेश व बिहार में पायलट आधार पर क्रियान्वित किया जाना है। • **गांवों के दुग्ध उत्पाद को बाजार से जोड़ने के लिए आवश्यक डेयरी अवसंरचना के सृजन** की सुविधा करना और गांव से राज्य स्तर तक हितधारक संस्थाओं के **क्षमता-निर्माण को मजबूत करना।**

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission: NLM)

- **लक्ष्य: जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, कुक्कुट पालन और सूअर पालन क्षेत्र तथा चारा क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास के माध्यम से** रोजगार सृजित करना।
- नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना।
- मांस, अंडे, बकरी के दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि।

प्रमुख घटक

पशुधन एवं कुक्कुट नस्लों का विकास	पशु आहार एवं चारा विकास	नवाचार एवं विस्तार

© Vision IAS

ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Control and Eradication of Glanders)

- कार्य योजना के अनुसार, **संक्रमित पशुओं का शीघ्र ही वध कर देना चाहिए।**
  - नितांत आवश्यक होने पर, रोगी पशुओं को **उचित स्थान पर ले जाकर उनका वध किया जा सकता है। साथ ही,** बंद वाहन में डालकर दूर कहीं **इनके शवों का निस्तारण किया जा सकता है।**
  - पशुओं को मारने और शवों को निपटाने के समय सभी चिड़ियाघर-स्वच्छता (Zoo-sanitary) उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

शब्दावली को जानें

- **ग्लैंडर्स:** यह **बैक्टीरियम बुर्खोल्डेरिया मैलैई (Burkholderia Mallei)** के कारण होने वाला एक संक्रामक तथा घातक रोग है। यह रोग अश्व प्रजाति (Equines) अर्थात् घोड़े, गधों और खच्चरों में पाया जाता है।
  - यह रोग **मनुष्यों** में भी हो सकता है।
  - इस रोग के लिए **फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है।**

21. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Food Processing Industries: MOFPI)

21.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना {PM Formalization Of Micro Food Processing Enterprises (PM- FME) Scheme}

स्मरणीय तथ्य:

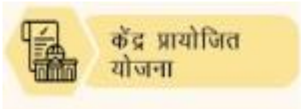

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

कार्यावधि: इसकी अवधि 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्ष निर्धारित की गई है।

इच्छित लाभार्थी: मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)/ स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/ उत्पादक सहकारी समितियां

नोडल बैंक: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अन्य उद्देश्य: मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

लक्ष्य	मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की **2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां**
समर्थन एवं फोकस क्षेत्र	• कार्यशील पूंजी और लघु उपकरणों की खरीद के लिए प्रत्येक **स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य को 40,000/- रुपये की प्रारंभिक पूंजी (Seed capital)** प्रदान की जाएगी। • **FPOs / SHGs / उत्पादक सहकारी समितियों** को पूंजीगत निवेश के लिए परियोजना लागत का **35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है।** • साझा प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, शीत भंडारण, पैकेजिंग और इनक्यूबेशन केंद्र सहित **सामान्य अवसंरचना के विकास के लिए 35% तक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।** • राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए परियोजना लागत का 50% अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करना।
निधि हिस्सेदारी	**केंद्र का हिस्सा** 90% – पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य 60% – अन्य राज्य
एक जिला एक उत्पाद One District One Product (ODOP)	• राज्य विद्यमान क्लस्टर और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक **जिले के लिए विशिष्ट खाद्य उत्पाद की पहचान करेंगे।** इसमें शीघ्र ख़राब होने वाले खाद्य उत्पाद भी शामिल हैं। • ODOP संबंधी उत्पादों के लिए **साझा अवसंरचना और ब्रांडिंग तथा विपणन के लिए समर्थन** प्रदान किया जाएगा।
फोकस क्षेत्र	**वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद → लघु वन उत्पाद → आकांक्षी जिले**
क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान	• सूक्ष्म इकाइयों हेतु **इकाइयों का प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, उपयुक्त पैकेजिंग और मशीनरी की व्यवस्था की जा रही है। यह कार्य राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों** के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (IIFPT) द्वारा किया जायेगा।**
पी. एम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (PMFME) योजना के तहत सीड कैपिटल मॉड्यूल	**उद्देश्य:** भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में कार्यरत शहरी स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों को सीड कैपिटल **किसके द्वारा लॉन्च किया गया:** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) MIS पोर्टल पर आवासन **वित्तीय सहायता पोर्टल:** PMFME योजना के तहत प्रति SHG सदस्य द्वारा 40,000 रुपये की आरंभिक

© Vision IAS

	सहायता लेने को सुविधाजनक बनाना। **सीड कैपिटल:** एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक आरंभिक पूंजी।	और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के सहयोग से MoFPI द्वारा लॉन्च किया गया है।	**पूंजी सहायता** प्राप्त करने के लिए सीड कैपिटल पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

21.2. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)

स्मरणीय तथ्य

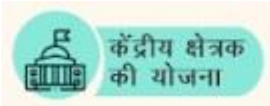

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **लक्ष्य:** खेतों से लेकर खुदरा बाजारों तक कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना।
- **छत्रक योजना (Umbrella Scheme):** चल रही योजनाओं और मंत्रालय की नई योजनाओं को भी इसके तहत शामिल किया गया है।
- **संभावित लाभ: किसानों की आय दोगुनी करना, रोजगार सृजित करना, कृषि उपज की बर्बादी को कम करना।**

अन्य उद्देश्य:

- खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना,
- प्रभावी फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करना और
- शीघ्र खराब होने वाली चीजों के लिए मजबूत आपूर्ति शृंखला अवसंरचना का निर्माण करना।

प्रमुख विशेषताएं

योजनाओं के घटक: अग्रलिखित पहली 4 योजनाएं चल रही योजनाएं हैं जबकि अंतिम तीन योजनाओं को PMKSY के तहत शुरू किया गया है।	
मेगा फूड पार्क्स	• सुस्थापित आपूर्ति शृंखला के साथ **आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों** की स्थापना। • **द्वारा क्रियान्वित: विशेष प्रयोजन वाहन** (SPV)।
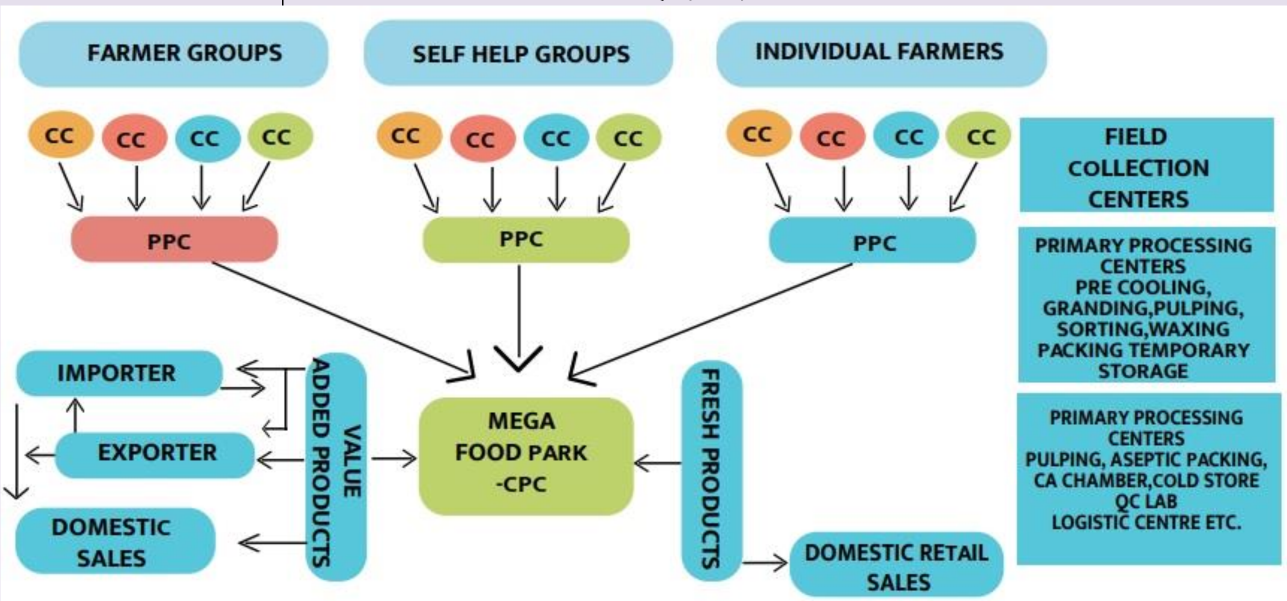	
एकीकृत प्रशीतित शृंखला, तथा मूल्य वर्धन और सुरक्षा अवसंरचना	• खेत से लेकर उपभोक्ता तक बाधा रहित शीत भंडारण शृंखला की सुविधा उपलब्ध कराना। • इस अवसंरचना शृंखला परियोजना की स्थापना कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) आदि द्वारा की गई है।
खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	• इसका मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन और मौजूदा प्रसंस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण/विस्तार करना है। • यह परियोजना कंपनियों, SHGs, FPOs, NGOs आदि द्वारा स्थापित की गई है।
खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना	• गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन करना, • HACCP/ISO मानक/खाद्य सुरक्षा/गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। {HACCP अर्थात् संकट विश्लेषण और महत्वपूर्ण

	नियंत्रण बिंदु प्रणाली (Hazard Analysis and Critical Control Point System); ISO अर्थात् इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर स्टैंडर्डाइज़ेशन}
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	• उद्यमियों के समूह को प्रोत्साहित करने हेतु आधुनिक अवसंरचना और साझा सुविधाओं का विकास करना।
बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज सृजन योजना	• इंसुलेटेड/रेफ्रिजरेटेड (प्रशीतित) परिवहन के माध्यम से कनेक्टिविटी के साथ-साथ खेत के समीप प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/संग्रहण केंद्रों और अग्रवर्ती छोर पर आधुनिक खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना करना।
मानव संसाधन एवं संस्थान	• **मांग संचालित अनुसंधान एवं विकास (R&D)** के लिए प्रचार गतिविधियों (सेमिनार, कार्यशालाओं, मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन) और क्षेत्रक विशिष्ट कौशल का विकास करना।

21.3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI)}

स्मरणीय तथ्य

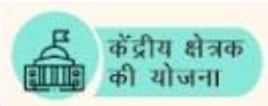

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **लक्ष्य:** प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना और मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए **विदेशों में ब्रांडिंग का विस्तार करना।**
- **अवधि:** 2021-22 से 2026-27 तक।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)

अन्य उद्देश्य: वैश्विक पदचिह्न और रोजगार सृजन को बढ़ाने हेतु खाद्य विनिर्माण इकाइयों का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं

<table>
<tr><td>आवेदक</td><td>सीमित देयता भागीदारी (LLP) अथवा भारत में पंजीकृत कोई कंपनी; सहकारिताएं; लघु और माध्यम उद्यम (SME) और अन्य आवेदक इस योजना के तहत कवरेज के लिए आवेदन कर रहे हैं।</td></tr>
<tr><td>मुख्य घटक</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">दो घटक</th></tr>
<tr><th>चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना अर्थात्:</th><th>मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग हेतु समर्थन</th></tr>
<tr><td>पकाने के लिए तैयार/ खाने के लिए तैयार (RTC/ RTE) खाद्य पदार्थ, जिनमें मोटे अनाज आधारित उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, मोज़ेरेला चीज़ शामिल हैं।</td><td>विदेशों में भारतीय ब्रांड के प्रचार के लिए, इस योजना में आवेदक संस्थाओं को 'स्टोर में ब्रांडिंग, किराए पर शेल्फ स्पेस और मार्केटिंग' के लिए अनुदान की परिकल्पना की गई है।</td></tr>
<tr><td>फ्री रेंज सहित SMEs के अभिनव/जैविक उत्पाद- अंडे, पोल्ट्री मांस, अंडा उत्पाद।</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली "निधि सीमित" है।</td><td>• अधिकतम प्रोत्साहन राशि पूर्व-अनुमोदित सीमा तक ही होगी।</td></tr>
<tr><td>निगरानी</td><td>• कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा केंद्र में योजना की निगरानी की जाएगी।
• कार्यक्रम में तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन और मध्यावधि समीक्षा तंत्र का निर्माण किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>अन्य योजनाओं के तहत लाभ</td><td>• PLI योजना के तहत कवरेज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसी अन्य योजनाओं के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी।</td></tr>
</table>

21.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens)

- इसे **ऑपरेशन फ्लड की तर्ज** पर 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य: टमाटर, प्याज और आलू (TOP/टॉप) की आपूर्ति को स्थिर करना और इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना।**
- **नोडल एजेंसी:** भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)

 © Vision IAS

- **टॉप से टोटल तक:** वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को **पायलट आधार पर छह महीने की अवधि** के लिए **टॉप से सभी फलों और सब्जियों (टोटल) तक** विस्तारित किया गया था।

ऑपरेशन ग्रीन्स	**आत्मनिर्भर भारत अभियान** **'टॉप' से टोटल तक - 500 करोड़ रुपये**

किसानों को लाभ, समृद्धि लाना!	• ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू (TOP) से लेकर सभी फलों और सब्जियों (TOTAL) तक विस्तारित किया जाएगा।
	• **इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार होंगी**
	  ○ अधिशेष से कमी वाले बाजारों तक परिवहन पर 50% सब्सिडी।
	  ○ कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारण पर 50% सब्सिडी।
	• **इस योजना को 6 महीने के लिए पायलट** आधार पर शुरू किया गया है। तत्पश्चात इसे प्रसारित और विस्तारित किया जाएगा।
	• **अपेक्षित परिणाम:** किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति, कम बर्बादी, उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की वहनीयता।

निवेश बंधु

- **यह एक निवेशक सुविधा पोर्टल है।**
- **उद्देश्य: केंद्र और राज्य सरकारों की निवेशक** अनुकूल नीतियों, कृषि-उत्पादक समूहों, बुनियादी ढांचे और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में निवेश के संभावित क्षेत्रों के बारे में **जानकारी** प्रदान करना।

कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और संरक्षण अवसंरचना के लिए योजना (Scheme of Cold Chain, Value Addition & Preservation Infrastructure)

- **उद्देश्य: बागवानी और गैर-बागवानी कृषि उत्पादों की फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों को कम करना।**
- यह योजना **फार्म गेट से उपभोक्ता तक** बिना किसी रुकावट के **एकीकृत कोल्ड चेन और संरक्षण अवसंरचना सुविधाएं** प्रदान करती है।
- यह खेत स्तर पर कोल्ड चेन अवसंरचना के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ **प्रोजेक्ट प्लानिंग में लचीलेपन** की अनुमति प्रदान करती है।
- यह **गैर-बागवानी, बागवानी, समुद्री उत्पाद (झींगे को छोड़कर), डेयरी, मांस और पोल्ट्री** के वितरण की सुविधा प्रदान करती है।
- भागीदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, SHGs, FPOs, NGOs आदि द्वारा इससे संबंधित **परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं।**

22. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare: MOHFW)

22.1. आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat)

स्मरणीय तथ्य

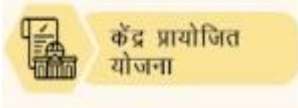

- **प्रकार:** यह **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **लक्ष्य:** इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (निवारक, संवर्धन और एंबुलेटरी देखभाल को कवर करना) को समग्र रूप से संबोधित करना है।
- **पृष्ठभूमि:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसा पर आरंभ किया गया था।
- **घटक:** स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs); और प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (PM-JAY)।

अन्य उद्देश्य: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के दृष्टिकोण को साकार करना।

प्रमुख विशेषताएं

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र

- **व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) प्रदान करने हेतु 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs)** सृजित किए जाएंगे, **जो सार्वभौमिक हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क हैं।**
- **फोकस:** लोगों का कल्याण करना तथा समुदाय के निकट सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का वितरण करना।
- **वित्त पोषण:** इसका वित्त पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से किया जाएगा।

देखभाल की निरंतरता - टेली-स्वास्थ्य/रेफरल	विस्तारित सेवा वितरण	HR और मल्टीस्किलिंग का विस्तार करना	ज्ञान कार्यान्वयन के लिए भागीदारी
HWC के माध्यम से CPHC			
दवाएं और विस्तारित निदान	वित्तपोषण प्रदाता भुगतान सुधार	मजबूत IT सिस्टम	सामुदायिक लामबंदी और स्वास्थ्य संवर्धन

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

- **पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS)** का नाम परिवर्तित कर PM-JAY कर दिया गया है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)
- **लाभार्थी:** इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के माध्यम से की जाएगी।
- **इस योजना के तहत माध्यमिक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा प्रदान किया जाएगा।**
- **भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।**

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) **दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।**

लाभ

प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जायेगा।	SECC के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवार हकदार हैं।	कार्यान्वयन के तरीके पर निर्णय लेने के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान किया गया है।	योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल होंगे।	परिवार के आकार या आयु पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।	तकनीकी रूप से संचालित, कैशलेस और पेपरलेस लेन-देन को सक्षम बनाता है।

© Vision IAS

22.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)

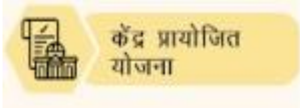

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **लक्ष्य: समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।**
- **राज्यों को सहायता:** इसके तहत बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- **मिशन प्रमुख: मिशन का निदेशक** अतिरिक्त सचिव के स्तर का होगा।

अन्य उद्देश्य: ग्रामीण और शहरी आबादी को वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों की पहचान करना जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रमुख विशेषताएं

राज्यों को समर्थन	• **यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने** हेतु राज्यों को वित्त पोषण एवं समर्थन का प्रमुख साधन है। • राज्य को वित्त पोषण राज्य की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP) पर आधारित होगा। **PIP का हिस्सा:** NRHM RCH लचीला पूल | NUHM लचीला पूल | संचारी रोगों के लिए लचीला पूल | गैर संचारी रोगों, चोट और आघात अंग के लिए लचीला पूल | अवसंरचना प्रबंधन
2 उप योजनाएं	• **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)** • **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)**
मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटक	**ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना** | **प्रजनन मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A)** | **संचारी और गैर संचारी रोग**
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	• मिशन का जोर सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के साथ **पूरी तरह कार्यात्मक, समुदाय के स्वामित्व वाली, विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली** स्थापित करने पर है। • यह **जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे** स्वास्थ्य के निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत की गई पहलें** • जिला अस्पताल और ज्ञान केंद्र (DHKC) • आयुष को मुख्यधारा में लाना: स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनर्जीवित करना • मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) • जननी सुरक्षा योजना • जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) • राष्ट्रीय चलित चिकित्सा इकाइयाँ • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) • नि:शुल्क औषधि और नि:शुल्क निदान सेवा • RMNCH+A: प्रजनन (Reproductive), मातृ (Maternal), नवजात (Newborn), बाल (Child) और किशोर (Adolescent) स्वास्थ्य। • मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग (MCH-विंग)
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)	**कवरेज:** सभी राज्यों की राजधानियाँ, जिला मुख्यालय और 50000 से अधिक आबादी वाले शहर/कस्बें। **विकेन्द्रीकृत:** आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय एवं स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित। **बाहरी सहयोगी:** एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

	सेवा वितरण अवसंरचना: शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) और रेफरल अस्पताल और आउटरीच सेवाएं।
इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (Electronic Vaccine Intelligence Network: e-VIN)	• यह देश भर में कई स्थानों पर रखे गए टीकों के **स्टॉक और भंडारण के तापमान की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम** करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, एक मजबूत आईटी अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन को एक साथ लाता है।
राज्यों को प्रोत्साहन	• ऐसे राज्य जो IMR, MMR, टीकाकरण, गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या और अनुपात आदि जैसे **प्रमुख परिणामों/आउटपुट के संबंध में बेहतर प्रगति को दर्शाते हैं वे प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।**
आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ECRP) चरण- I	• NHM, ECRP चरण-I के लिए **कार्यान्वयन एजेंसी** है। • ECRP-I को COVID-19 की **शीघ्र रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए तत्काल प्रतिक्रिया** हेतु स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था। • यह स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा संसाधनों के पूरक हेतु **100% केंद्र द्वारा समर्थित** हस्तक्षेप है।
प्रमुख कार्यान्वयन निकाय	• **तकनीकी सहायता के लिए शीर्ष निकाय:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) • **प्रशिक्षण के लिए शीर्ष निकाय:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW) • **राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत निर्देश:** ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में मिशन संचालन समूह (MSG) द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

22.3. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए अम्ब्रेल योजना (Umbrella scheme for Family Welfare and Other Health Interventions)

स्मरणीय तथ्य

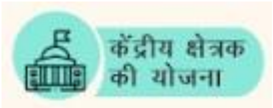

- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है
- **लक्ष्य:** बीमार लोगों की देखभाल से आरोग्य (वेलनेस) की अवधारणा को बढ़ावा देना;
- **लाभार्थी: समस्त आबादी, जबकि** कुछ उप-योजनाओं के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **अवधि:** वर्ष 2019-20 तक

उद्देश्य: आधुनिक गर्भनिरोधक प्रसार दर (Modern Contraceptive Prevalence Rate : mCPR) को बेहतर करना; परिवार नियोजन में सहायता करना और जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना; शिशुओं एवं माताओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017** में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों और **सतत विकास लक्ष्यों (SDG)** के रूप में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए उप-योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रमुख लक्ष्यों (जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है) का समर्थन करना है।
5 उप-योजनाएं	
स्वस्थ नागरिक अभियान (SNA)	• भारत के **नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु स्वास्थ्य के मुद्दों** पर सूचना का प्रसार करना। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए एक सामाजिक प्रवृत्ति का निर्माण करना, जागरूकता का सृजन करना तथा बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देना है।
गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति	• **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार** और जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने **की दृष्टि से** राज्यों को गर्भ निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति प्रदान करना।
स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान (HSHR)	• आवधिक रूप से आयोजित किए जाने वाले **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)** के माध्यम से भारत और इसके **राज्यों के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण पर डेटा की सोर्सिंग** करना। इसका उद्देश्य समय-समय पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आयोजन सहित संपूर्ण देश और राज्यों के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आंकड़ों को प्राप्त करना है।

 © Vision IAS

गर्भ-निरोधकों का सामाजिक प्रसार	• इसका उद्देश्य वहनीय मूल्यों पर निम्न आय वाले समूहों के लिए परिवार नियोजन से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं की ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग, विपणन एवं बिक्री करना है।
जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (PRCs)	• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा नीतियों से संबंधित अनुसंधान-आधारित इनपुट प्रदान करने के अधिदेश के साथ PRCs के एक नेटवर्क को स्थापित किया गया है।

22.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

- **उद्देश्य: मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में अंतराल को पाटने के लिए** देश के **एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का** समर्थन करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के बुनियादी तत्व

ABDM के मुख्य तत्त्व			
आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) और ABHA ऐप	**स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण**	**स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों की रजिस्ट्री**	**एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफ़ेस (UHI)**
आधार या मोबाइल नंबर का उपयोग करके तैयार की गई एक 14-अंकीय पहचान संख्या।	स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण, चिकित्सा की अलग-अलग प्रणालियों के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक भंडार है।	सभी स्वास्थ्य पेशेवरों का एक व्यापक भंडार है।	अलग-अलग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ओपन प्रोटोकॉल के रूप में कल्पना की गई है।
अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक डिजिटल रूप से पहुंचने और उसे साझा करने का एक सुगम तरीका।	इसमें अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक, फार्मेसी सहित सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।	चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों के लिए उपलब्ध है।	UHI अपॉइंटमेंट, टेली-परामर्श आदि सहित अलग-अलग सेवाओं को सक्षम बनाएगा।

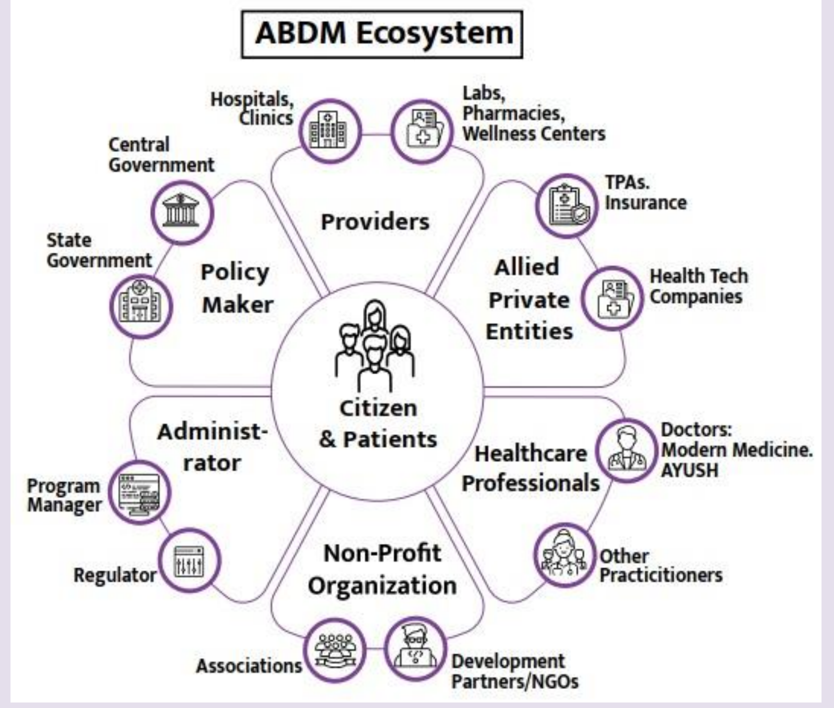

ई-संजीवनी

- यह एक राष्ट्रीय **टेलीमेडिसिन सेवा** है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से **पारंपरिक भौतिक परामर्शों का विकल्प** प्रदान करने का प्रयास करती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने **ABDM के साथ ई-संजीवनी के सफल एकीकरण** की घोषणा की है।
- यह एकीकरण मौजूदा **ई-संजीवनी उपयोगकर्ताओं को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) बनाने** और उसे उनके वर्तमान स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जोड़ने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।

ई-संजीवनी के 2 कार्यक्षेत्र	
ई-संजीवनी AB-HWC	ई-संजीवनी OPD
यह **'हब-एंड-स्पोक' मॉडल** में क्षेत्रीय स्तर पर स्पेशलिटी/ सुपर-स्पेशलिटी डॉक्टरों के साथ **'आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र' (HWCs)** को जोड़ता है।	किसी भी स्थान पर रहने वाले रोगी के लिए अपने निवास स्थल से ही **डॉक्टर के परामर्श को सुलभ बनाना।**

जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)

- **यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए** एक मांग संवर्धन और **सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।**
- **यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के अंतर्गत **100% केंद्र प्रायोजित योजना है।**

जननी सुरक्षा योजना (JSY)	सुरक्षित मातृत्व पहल
उद्देश्य: समाज के कमजोर वर्गों की गर्भवती महिलाओं में **संस्थागत प्रसव को बढ़ावा** देकर मातृ मृत्यु दर को कम करना।	
• 2005 में शुरू • **आशा कर्मी** सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रक और गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। • **आशा कर्मी** स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में मदद करती है। • इसके अंतर्गत 10 सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। • प्रत्येक संस्थागत प्रसव के लिए आशी कर्मी और माता को प्रोत्साहन राशि **जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी** **निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य* -** सभी गर्भवती महिलाएं, जो संस्थागत प्रसव कराती हैं। **उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य -** संस्थागत प्रसव के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली महिलाएं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, दो जीवित जन्मों तक	(see table below)
*** निम्न संस्थागत प्रसव वाले राज्य**	

प्रोत्साहन राशि	**माता**	**आशा कर्मी**
निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	1400 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	1000 रु.	400 रु.
उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	700 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	600 रु.	400 रु.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

- **उद्देश्य:** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना तथा संस्थागत प्रसव में होने वाले **अधिक खर्च की समस्या का समाधान** करना।
- यह कार्यक्रम उन गर्भवती महिलाओं को **'बिना खर्च वाले प्रसव'** की सुविधा प्रदान करता है जो अपने प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें).

घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस ले जाने के लिए निःशुल्क सुनिश्चित एंबुलेंस	शिशु को एक वर्ष होने तक समान सुविधा

सेवा एवं आवागमन	
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लाभ	
नि:शुल्क दवा, नैदानिक सुविधा एवं रक्त चढ़ाना	नि:शुल्क प्रसव/ सिजेरियन सेक्शन

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan)

- **उद्देश्य: प्रत्येक माह की 9 तारीख** को सभी गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण **प्रसवपूर्व देखभाल (antenatal care)** प्रदान करना।
- यह निर्दिष्ट सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में **गर्भावस्था की दूसरी/तीसरी तिमाही** में महिलाओं को **प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज** की गारंटी प्रदान करता है।
- यह **निजी क्षेत्रक के साथ जुड़ाव** प्रदान करता है जैसे- अभियान के लिए स्वयं सेवा करने हेतु निजी चिकित्सकों को प्रेरित करना; आदि।

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
1. दूसरी या तीसरी तिमाही में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच करना।
2. प्रसवपूर्व विजिट के दौरान देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. युक्तिसंगत जन्म योजना और जटिलता के लिए तैयारी करना।
4. चिकित्सा इतिहास के आधार पर उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान और लाइन-लिस्टिंग करना।
5. कुपोषित महिलाओं के शीघ्र निदान, उचित प्रबंधन पर जोर देना।
प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित करना।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme: UIP)

- यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है।
- इसे वर्ष 1985 में आरंभ किया गया था और यह विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है।

सरकार द्वारा शुरू किए गए टीके
• डिप्थीरिया वैक्सीन • परट्यूसिस वैक्सीन • टिटनस वैक्सीन • पोलियो वैक्सीन • मीजल्स (खसरा) वैक्सीन • हेपेटाइटिस बी वैक्सीन • पेंटावैलेंट वैक्सीन • रोटावायरस वैक्सीन • रूबेला वैक्सीन • एडल्ट जेई वैक्सीन • जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन • बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (bOPV) • मीजल्स (खसरा)-रूबेला वैक्सीन (MR) • इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (IPV)

सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 4.0

- **पृष्ठभूमि:**इसे वर्ष 2014 में, टीकाकरण कार्यक्रम को पुन:सक्रिय करने तथा सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।
- इसके बाद MI2 और MI3 भी लॉन्च किए गए।
- IMI 4.0 को **कोविड-19 महामारी** के कारण **उभरे अंतराल को पाटने** के लिए लॉन्च किया गया था।
- **यह पूरे देश में गैर-टीकाकृत और आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं** तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram: RKSK)

- **लाभार्थी: 10-19 वर्ष** के आयु-वर्ग के किशोर।
- यह कार्यक्रम, **भारत में सभी किशोरों को** उनके स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंधित सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेने के द्वारा **अपनी पूरी क्षमता को साकार करने** में सक्षम बनाता है।
- **विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच** की जाती है। इसके उपरांत बीमारियों, विशेष रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs), का शुरुआती दौर में पता लगाने हेतु उन्हें स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में भेजा जाता है।
- **समुदाय-आधारित हस्तक्षेप:** इसके तहत **सहकर्मी शिक्षक (साथिया)** सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप योजना संबंधी जानकारी किशोरों को उपलब्ध कराएंगे।
- **साथिया रिसोर्स किट:** सहकर्मी शिक्षक को सहयोग प्रदान करने हेतु, विशेष रूप से गांवों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने तथा सूचित तरीके (Informed Manner) से अपने समुदाय के किशोरों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु साथिया रिसोर्स किट उपलब्ध कराई जाएगी।
- MOHFW ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के सहयोग से **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति** विकसित की है।
- **मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS):** इसके तहत प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों को सब्सिडी प्राप्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किये जाते हैं।

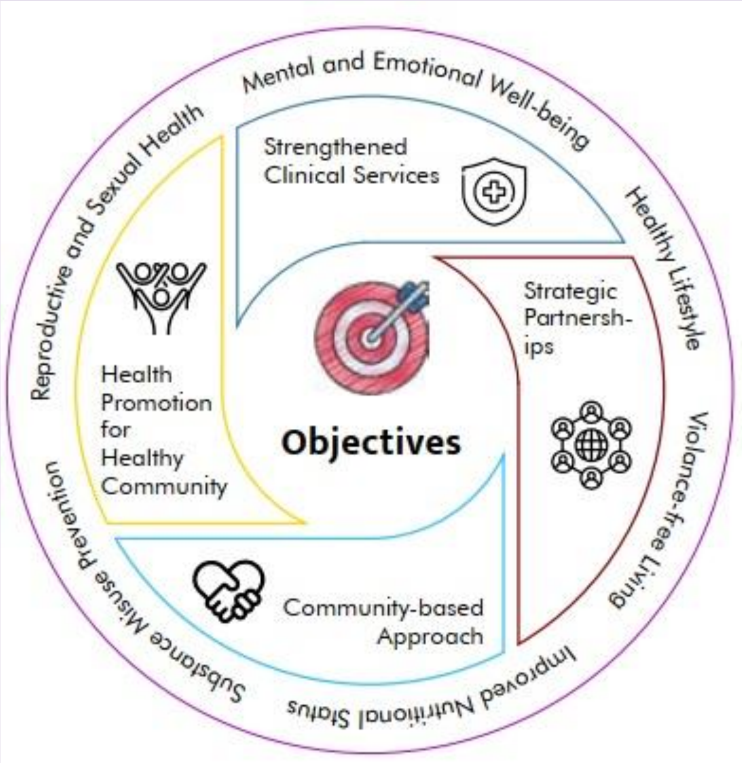

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram: RBSK)

- **उद्देश्य:** 4 D - बच्चों में जन्म के समय किसी प्रकार के विकार (**D**efects at birth), बीमारी (**D**iseases), न्यूनता (**D**eficiencies) और विकलांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रुकावट (Development **D**elays) की शुरुआती तौर पर पहचान करना तथा इस दिशा में शुरुआती हस्तक्षेप करना।
- **अपेक्षित लाभार्थी:** ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 6 वर्ष तक आयु समूह के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। 18 वर्ष तक के बड़े बच्चे, जो सरकारी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/छात्रा हैं।
- बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में **30 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों को कवर करने की परिकल्पना की गई है।** इसके तहत स्क्रीनिंग, **यथाशीघ्र निदान और नि:शुल्क प्रबंधन** परिकल्पित है।

लक्ष्य कार्यक्रम (प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल) (LaQshya- Labor Room Quality Improvement Initiative)

- **उद्देश्य:** लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटर (OT) में प्रसव के दौरान देखभाल से जुड़ी **रोकथाम योग्य मातृ एवं नवजात मृत्यु दर, रुग्णता और मृत जन्म को कम करना तथा सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना।**
- **हस्तक्षेप**
    - सम्मानजनक मातृत्व देखभाल प्रदान करने के लिए **देखभाल प्रदाताओं को संवेदनशील बनाना।** साथ ही लेबर रूम, OT में उनकी भाषा, व्यवहार और आचरण की बारीकी से निगरानी करना।
    - **प्राकृतिक/सामान्य प्रसव प्रक्रिया के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना।**

- ○ रक्त आधान सेवाओं, नैदानिक सेवाओं, दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों (Consumables) की **चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करना।**
- ○ इष्टतम और कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- लेबर रूम और मैटरनिटी OT में गुणवत्ता सुधार का मूल्यांकन **राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (NQAS) के माध्यम से** किया जाएगा।
  - ○ NQAS पर 70% स्कोर प्राप्त करने वाली **प्रत्येक सुविधा को लक्ष्य (LaQshya) प्रमाणित सुविधा के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।**

LaQshya प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सुरक्षित प्रसव मोबाइल ऐप।
प्रसव का प्रबंधन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए एक एम-हेल्थ टूल।
प्रशिक्षण में सुधार के लिए, प्रशिक्षण के बाद सुदृढ़ीकरण परामर्श और प्रदर्शन।
जिला और उप जिला अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कवर करना।
लेबर रूम के गुणवत्ता प्रमाणन के संचालन के लिए सहायता प्रदान करना और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देना।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना {Surakshit Matritva Aashwasan (Suman) Yojana}

- **उद्देश्य: गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं** को **किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा** उपलब्ध कराना।
- गर्भवती महिलाएं, प्रसव के 6 माह बाद तक माताएं और सभी रुग्ण नवजात शिशु नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल सेवा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
- **लाभार्थी:** सभी गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताएं।
- **नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल लाभ**
  - ○ प्रसव पूर्व कम से कम चार जांच (checkup) करना;
  - ○ प्रथम तिमाही अवधि के दौरान एक बार जांच करना;
  - ○ प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कम से कम एक बार जांच करना;
  - ○ आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण;
  - ○ टिटनेस डिप्थीरिया का टीकाकरण तथा
  - ○ व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल (Antenatal Care: ANC) पैकेज के अन्य घटक और नवजात शिशु की देखभाल हेतु छह बार घर पर जाकर जांच करना।

मां का पूर्ण स्नेह (Mother Absolute Affection: MAA)

- यह **एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है।** इसका उद्देश्य स्तनपान को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से **स्तनपान के समर्थन हेतु परामर्श सेवाओं** के प्रावधान पर पूर्ण ध्यान केन्द्रित करना है।

मां का पूर्ण स्नेह : MAA	
जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान	कम-से-कम 2 वर्ष तक स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए।
एक शिशु के जीवन के छह माह तक केवल मां का दूध ही सबसे अच्छा भोजन और पेय है।	
6 माह बाद - दो साल तक स्तनपान कराने के साथ-साथ अर्ध-ठोस, हल्का भोजन शुरू करना चाहिए।	

मिशन परिवार विकास (Mission Parivar Vikas)

- **उद्देश्य: 3 एवं उससे अधिक की कुल प्रजनन दर (TFR) वाले 146 उच्च प्रजनन वाले जिलों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पर्याप्त रूप से पहुंच बढ़ाना।**
- **कवरेज:** उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के विशेष जिले, जिनमें कुल मिलाकर देश की जनसंख्या का 44% है।
- **नई पहल किट:** इस किट में **नवविवाहित जोड़ों के लिए परिवार नियोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता के उत्पाद** शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day)

- **उद्देश्य:** मृदा संचरित हेल्मिंथ्स (Soil Transmitted Helminths: STH) या आंतों के परजीवी कीड़े की व्यापकता को कम करना।

- **अपेक्षित लाभार्थी:** 1-19 वर्ष तक की आयु के सभी प्री-स्कूल तथा स्कूल जाने योग्य आयु के (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत) बच्चों को कृमि मुक्त करना।
- **अंतर मासिक-धर्म पहल:**
    - **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
    - **शिक्षा मंत्रालय**
    - **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
    - **जल शक्ति मंत्रालय**
- **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र** STH मानचित्रण करने हेतु नोडल एजेंसी है।
- इसे स्कूलों और आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **एल्बेंडाजोल की गोलियां** देकर किए गए उपचार के बारे में **जन जागरूकता** उत्पन्न करता है। यह **अल्बेंडाजोल टैबलेट** के माध्यम से किये जाने वाले सबसे प्रभावी और कम लागत वाले STH उपचार के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करेगी।
- इस पहल में स्वच्छता, साफ़-सफाई, शौचालयों के उपयोग, जूते/चप्पल पहनने, हाथ-धोने आदि से संबंधित **व्यवहार परिवर्तन प्रथाओं** का उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi: RAN)

- RAN को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।
- RAN के तहत **केंद्र सरकार के 13 अस्पतालों/संस्थानों में परिक्रामी निधियां (Revolving Funds)** स्थापित की गई हैं।
- **उद्देश्य**: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और **गंभीर जानलेवा रोगों से पीड़ित रोगियों को 2 लाख रुपये तक के उपचार हेतु वित्तीय सहायता** प्रदान करता है।
- इसके अलावा, उन **सरकारी अस्पतालों/संस्थानों द्वारा रेफर किए गए व्यक्तिगत मामलों** के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनके पास परिक्रामी निधि नहीं है। साथ ही इसके तहत परिक्रामी निधि वाले 13 सरकारी अस्पतालों/संस्थानों द्वारा रेफर किए गए मामलों के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जाती है।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Diseases Surveillance Program: IDSP)

- यह NHM के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक **प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है।**
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य महामारी-प्रवण रोगों (एपिडेमिक प्रोन डिज़ीज़) के लिए विकेंद्रीकृत, प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी तंत्र को सशक्त बनाना/बनाये रखना है।
- यह प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) के माध्यम से रोग की प्रवृत्तियों की निगरानी करने और शुरुआती चरण में प्रकोप का पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने में मदद करता है।

सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhea Control Fortnight: IDCF)

- **उद्देश्य:** संपूर्ण देश में डायरिया से प्रभावित बच्चों में ORS और जिंक के प्रयोग के संदर्भ में उच्च कवरेज सुनिश्चित करना।
- इसे वर्ष 2014 से **प्री-मानसून/मानसून** के मौसम के दौरान मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य **'बचपन में डायरिया के कारण होने वाली बच्चों की मृत्यु को शून्य'** करना है।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता **पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के घरों** में जाते हैं, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता पैदा करते हैं और **ORS पैकेट वितरित करते हैं।**

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (National Viral Hepatitis Control Program: NVHCP)

- **उद्देश्य:**
    - समुदाय में हेपेटाइटिस के बारे में **जागरूकता बढ़ाना** और जन सामान्य विशेषकर उच्च ज़ोखिम से ग्रस्त समूहों और क्षेत्रों में निवारक उपायों पर बल देना।
    - स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर वायरल हेपेटाइटिस का **प्रारंभिक निदान और प्रबंधन प्रदान करना।**
- यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.3 प्राप्त करने हेतु भारत में **वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण** के लिए एक एकीकृत पहल है। ध्यातव्य है कि SDG 3.3 का उद्देश्य **2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त** करना है।
- यह एक व्यापक योजना है। इसके तहत **हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई** के पूरे समूह तथा इनकी **रोकथाम, पहचान और उपचार से लेकर परिणामों के मानचित्रण तक** को कवर किया गया है।

	हेपेटाइटिस B और C अर्थात् सिरोसिस और हेपेटो-सेलुलर कार्सिनोमा (यकृत कैंसर) से संबद्ध **संक्रमित आबादी**, रुग्णता और मृत्यु दर **में उल्लेखनीय कमी करना।**

© Vision IAS

उद्देश्य	हेपेटाइटिस का मुकाबला करते हुए **वर्ष 2030 तक संपूर्ण देश से हेपेटाइटिस C का उन्मूलन करना।**
	हेपेटाइटिस A और E के कारण जोखिम, रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना।

राष्ट्रीय अंधता और दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम (National Program for Control of Blindness & Visual Impairment)

- **उद्देश्य: रोकथाम योग्य अंधेपन की व्यापकता को वर्ष 2025 तक 0.25% तक कम करना।**
- यह कार्यक्रम **मोतियाबिंद, अपवर्तक त्रुटियों** (Refractive Errors), बचपन के अंधेपन और अन्य नेत्र रोगों, जैसे- **ग्लूकोमा, मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी** आदि पर केंद्रित है। ध्यातव्य है कि ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी जीवन शैली से संबंधित बीमारियों जैसे मधुमेह और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से संबंधित हैं।
- **प्रभाव:** "राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि सर्वेक्षण" के अनुसार दृष्टिहीनता का प्रसार 1% (2007) से घटकर **0.36% (2019)** हो गया।

राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम, चरण-V (National AIDS and STD Control Programme (NACP, Phase-V)

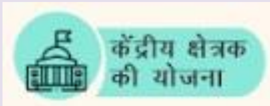

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **अवधि:** 2026 तक
- NACP चरण-V **2030 तक** सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में **HIV/एड्स महामारी को समाप्त** करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र के SDG 3.3 की प्राप्ति** की दिशा में एड्स और एसटीडी के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थानों में उच्च जोखिम वाले, सुभेद्य लोगों के लिए **निःशुल्क एचआईवी रोकथाम, पहचान और उपचार सेवाएं** उपलब्ध कराई जाएंगी।
- **निगरानी:** जिला स्तरीय कार्यक्रम निगरानी और सामुदायिक फीडबैक लूप का विकेंद्रीकृत मॉडल।
- **पृष्ठभूमि:**
  - राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम की शुरुआत **1992 में** राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम के पहले चरण के साथ हुई थी।
  - तब से, NACP के चार चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।
  - 2010 को आधार वर्ष रखने पर **नए वार्षिक एचआईवी संक्रमणों** में वैश्विक औसत में 31% की गिरावट आई है जबकि **भारत में 48% की गिरावट** आई है।

किफायती दवाएं एवं उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) योजना {Affordable Medicines And Reliable Implants For Treatment (AMRIT) Program}

- AMRIT फार्मेसी के नाम से स्थापित खुदरा दुकानों पर हृदय प्रत्यारोपण के साथ-साथ कैंसर तथा हृदय रोग से संबंधित दवाइयां प्रचलित बाजार दर से 60 से 90 प्रतिशत तक कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
- यह योजना सरकार के स्वामित्व वाली HLL लाइफकेयर लिमिटेड के सहयोग से संचालित की जा रही है। HLL लाइफकेयर लिमिटेड को संपूर्ण देश में अमृत फार्मेसियों की श्रृंखला स्थापित करने और उनके संचालन के लिए नियुक्त किया गया है।
- यह उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ देखभाल और जानकारी पहुंचाने में मदद करता है, जहां अभी तक इनकी उपलब्धता नहीं है।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana)

- **उद्देश्य:** यह योजना **किफायती स्वास्थ्य देखभाल में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर** करेगी। इसके साथ ही यह अल्प-सेवित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाएगी।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के पहले चरण के दो घटक	
6 एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण करना। बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) और उत्तराखंड (ऋषिकेश) प्रत्येक राज्य में एक-एक एम्स का निर्माण किया जाएगा।	13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज संस्थानों का उन्नतिकरण।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल (National Health Profile)

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **भारत की स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का एक डेटाबेस तैयार करना** है, जो व्यापक, अद्यतित और स्वास्थ्य क्षेत्रक के सभी हितधारकों के लिए आसानी से सुलभ हो।
- यह प्रकाशन **जनसांख्यिकी, रोग प्रोफ़ाइल** (संचारी और गैर संचारी / जीवन शैली रोग) और **उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधनों में हाल की प्रवृत्तियों** को ध्यान में रखता है।
- **तैयार किया गया है:** इसे **सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस (CBHI)** द्वारा तैयार किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी (National Health Resource Repository: NHRR)

- यह भारत के सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के प्रामाणिक, मानकीकृत और अद्यतित भू-स्थानिक डेटा (Geospatial data) की पहली **स्वास्थ्य देखभाल सुविधा रजिस्ट्री** है।
- **तैयार किया गया है: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस (CBHI)**

निक्षय पोषण योजना (Nikshay Poshan Yojana: NKY)

- **उद्देश्य:** टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।
- **प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए 500 रुपये प्रति माह नकद या अन्य किसी रूप में प्रोत्साहन, टीबी के उपचार की अवधि के दौरान लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान किया जाता है।**
- इसका कार्यान्वयन **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के तहत किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा मित्र (FSM) योजना

- **उद्देश्य:** यह योजना **लघु और मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित विधियों का पालन करने** में सहायता प्रदान करने और लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण, स्वच्छता रेटिंग एवं प्रशिक्षण संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है।
- **खाद्य सुरक्षा मित्र, खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा वृत्तिक/पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति हैं,** जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, अन्य नियमों और विनियमों से संबंधित अनुपालन में सहायता करते हैं।
- **खाद्य सुरक्षा मित्र के प्रकार**
  1. डिजिटल मित्र
  2. प्रशिक्षक मित्र
  3. स्वच्छता मित्र

दक्षता प्रोग्राम (Dakshata Programme)

- **उद्देश्य:** सक्षम और आत्मविश्वासी स्वास्थ्य प्रदाताओं के माध्यम से इंट्रा और तत्काल **प्रसवोत्तर अवधि** के दौरान **मातृ और नवजात शिशु की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना।**
- यह **NHM के तहत एक पहल** है।
- इसमें लेबर रूम के प्रदाताओं के लिए क्लिनिकल अपडेट सह कौशल मानकीकरण प्रशिक्षण, पोस्ट ट्रेनिंग फॉलो-अप और मेंटरिंग सहायता, सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही में सुधार करना आदि शामिल है।

अनमोल (सहायक नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन)

- यह एक टैबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो ANMs को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के डेटा को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करती है।

किलकारी (Kilkari)

- यह एक मोबाइल एप्प आधारित स्वास्थ्य शिक्षा सेवा है।
- यह गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और उनके परिवारों को गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक **गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और बच्चे की देखभाल के बारे में** समयबद्ध, सुलभ, सटीक और प्रासंगिक संदेश प्रदान करती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मोबाइल एप्प किलकारी ने बार्सिलोना में ग्लोबल मोबाइल पुरस्कार जीता।

ई-रक्तकोष पहल (E-RaktKosh initiative)

- यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से जोड़ती है।

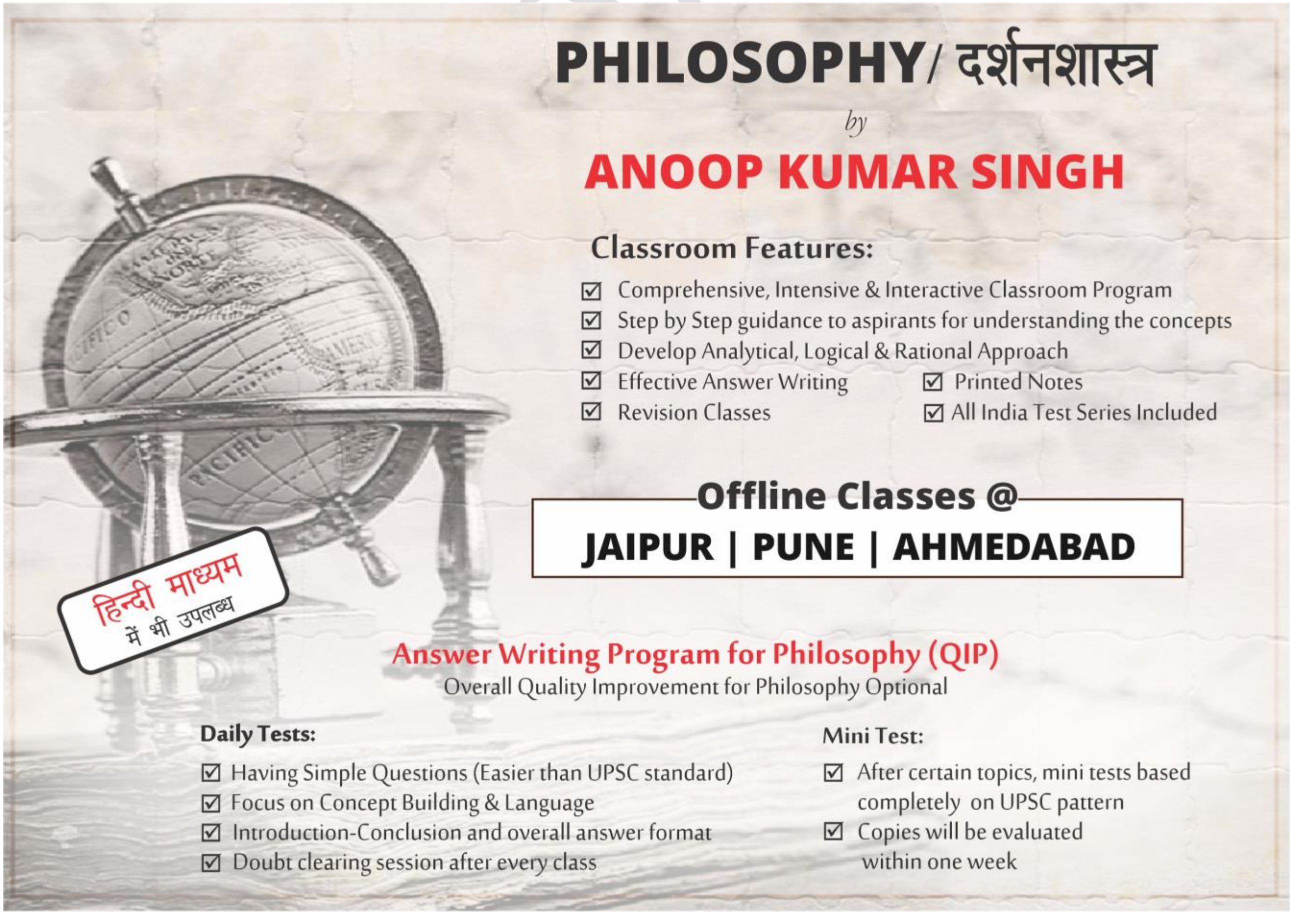

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021

from various programs of VisionIAS

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

2 AIR

ANKITA AGARWAL

1 AIR

SHUBHAM KUMAR

3 AIR

GAMINI SINGLA

4 AIR

AISHWARYA VERMA

5 AIR

UTKARSH DWIVEDI

6 AIR

YAKSH CHAUDHARY

7 AIR

SAMYAK S JAIN

8 AIR

ISHITA RATHI

9 AIR

PREETAM KUMAR

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

www.visionias.in
8468022022

DELHI JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD LUCKNOW CHANDIGARH GUWAHATI RANCHI PRAYAGRAJ BHOPAL

enquiry@visionias.in /c/Visiionlasdelhi /visionias.upsc vision_ias www.visionias.in /visionias_UPSC